INSTITUTE OF JUDICIAL TRAINING AND RESEARCH

UTTAR PRADESH
LUCKNOW

RESEARCH PAPER

RELATIONS BETWEEN BENCH & BAR
AND
STRIKES IN COURTS

A.B. Hajela
H.J.S.
Director

Raghunath Prasad
H.J.S.
Joint Director (Training)

शोध-पत्र

न्यायपीठ एवं विधिज्ञ वर्ग के पारस्परिक सम्बन्ध
और
न्यायालयों में हड़ताल

अवध बिहारी हजेला
उ.न्या. सेवा
निदेशक

रघुनाथ प्रसाद
उ. न्या. सेवा
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ

Copyright : **Institute of Judicial Training & Research, U.P., Lucknow**

प्रतिलिप्याधिकार : न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Year : 1993

वर्ष : 1993

Special Assistance: Km Sabiha Akhtar, Research Officer
Smt Sushma Joseph & Sri D. C. Kapri.

विशेष सहयोग : कुमारी सबीहा अख्तर, अनुसंधान अधिकारी
श्रीमती सुषमा जोसेफ एवं श्री डी. सी. कापरी।

Printed at : Shivam Arts, 211, Nishatganj, Lucknow-226007
Phone: 79022

मुद्रक : शिवम् आर्ट्स, 211, निशातगंज, लखनऊ-226007
फोन : 79022

JUDGE

Four things belong to a judge:
to hear courteously,
to answer wisely,
to consider soberly,
and to decide impartially.

– SOCRATES, 470-399 B.C.
Franklin Pierce Adams,
F.P.A. Book of Quotations,
1952

LAWYER

A serjeant of the law
wary and wise,
There was also,
full rich of excellence,
Discreet he was,
and of great reverence.

– Chaucer
Prologue,
The Canterbury's Tales

न्यायाधीश

न्यायाधीश के चार गुण :—
धृता से श्रवण करें,
विद्वता से उत्तर देवें,
संयत हो विचारण करें,
एवं, निष्पक्षता से निर्णय देवें।।

— सुकरात, 470-399 ई. पू.
फ्रैन्कलिन पियर्स एडम्स,
एफ.पी.ए. बुक आफ क्वोटेशन्स, 1952

अधिवक्ता

विधि का प्रहरी सतर्क एवं बुद्धिमान,
विशिष्टता से पूर्णरूपेण युक्त,
विवेकी एवं महान आदर का पात्र ।।

— चासर प्रोलोग,
दी कैन्टरबरी टेल्स
सी 1380

CHIEF JUSTICE
UTTAR PRADESH

ACTING CHIEF JUSTICE

HIGH COURT
ALLAHABAD
Camp Lucknow

15.3.1993

I have glanced through the research paper prepared at the Institute of Judicial Training and Research, U.P., Lucknow. It is a good attempt to identify the causes which lead to unpleasant scenes in Court, rowdyism, physical assault on members of the judiciary, strike and closure of courts. When these events take place, the worst sufferers are (1) the judicial system, (2) the sober section of the Bar and (3) the litigant.

The judicial system exists for impartial dispensation of justice. When attempt is made to obtain favourable order by display of lung power or muscle power, the very foundation of the judicial system is shaken. If an order is passed in favour of the party on whose behalf lung or muscle power has been used, a lurking suspicion remains in the mind of the party opposite that the order is not based on judicial consideration, although factually the order may be based on judicial considerations alone. The sober and disciplined section of the Bar feels aggrieved.

The most important unit in the administration of justice is the litigant. It is for the protection of his interest that the entire judicial system exists. Still he is the most forgotten entity. Nobody seems to realise the inconvenience, hardship and agony he has to suffer or undergo when functioning of the Court is halted.

If the research paper produced by the Institute generates a healthy debate leading to restoration of old values and old glory, the researchers should consider themselves amply rewarded. Let me hope this effort will not go waste.

(S.C. MATHUR,
ACTING CHIEF JUSTICE

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

उच्च न्यायालय
इलाहाबाद
शिविर लखनऊ
15.3.1993

न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उ.प्र. लखनऊ द्वारा तैयार किये गये शोधपत्र का मैंने अवलोकन किया। यह उन कारणों से तादात्म्य स्थापित करने का अच्छा प्रयत्न है जिन कारणों से न्यायालयों में अप्रिय घटना, हुल्लड़बाजी, न्यायिक सदस्यों पर भौतिक प्रहार, हड़ताल एवं न्यायालयों की बंदी होती है। जब ये घटनायें घटती हैं, तब (i) न्यायिक प्रक्रिया (ii) विधिज्ञ वर्ग का शिष्ट वर्ग एवं (iii) वादकारी, सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभावित होता है।

न्यायिक तंत्र न्याय के निष्पक्ष निष्पादन हेतु बना है। जब कभी अनुकूल आदेश की प्राप्ति के लिये जिह्वा या बाहु शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है, जब न्यायिक तंत्र की नींव हिल जाती है। यदि उस पक्षकार के पक्ष में आदेश पारित होता है जिसकी ओर से जिह्वा या बाहु का प्रयोग किया गया है, तब उस स्थिति में यद्यपि मात्र न्यायिक कारणों को दृष्टिगत रखकर ही वास्तव में आदेश पारित किया गया हो सकता है, फिर भी विरोधी पक्षकार के मस्तिष्क में यह शंका घर किये रहती है कि प्रश्नगत आदेश का आधार न्यायिक दृष्टिकोण नहीं है। विधिज्ञ वर्ग के शालीन एवं मर्यादित सदस्य उस स्थिति में क्षुब्ध होते हैं।

न्यायिक प्रशासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई वादकारी होता है। सम्पूर्ण न्यायतंत्र उसी के हित के रक्षार्थ बना है। फिर भी वह सबसे अधिक भूला-बिसराया अस्तित्व है। न्यायालय का कार्य जब अवरुद्ध हो जाता है तो सबसे अधिक असुविधा, कठिनाई, व पीड़ा उसे ही होती है, यह तथ्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई नहीं समझता।

संस्थान द्वारा तैयार किये गये शोध पत्र से यदि प्राचीन मूल्यों एवं प्राचीन गौरव के पुर्नस्थापन हेतु स्वस्थ विचारों का सृजन होता है, तो शोधकर्ताओं को आश्वस्त होना चाहिये कि उनका प्रयत्न फलीभूत हुआ। उनका प्रयत्न व्यर्थ नहीं जायेगा, इस हेतु मैं आशान्वित हूं।

हस्ताक्षर
(एस.सी. माथुर)
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

IN SUBSTANCE

We, the people of Bench and Bar, are and made for each other. Our co-existence is lotted that way. why, then, so much so in between. Torment and lament, deception and deceit, misbehaviour and malafides, rage and revenge, lust and thirst. One, alone, cannot be blamed. Fire is smouldering at both ends. What was our past, what is our present and what shall be our future-all these issues are provoking anxiety and thought. For every one, to ponder.

Sri R.P. Srivastava, Joint Director of this Institute, has, in this behalf, made a first leap, drawn conclusions after a deep scrutiny of practical and theoretical angles and given suggestions deserving serious consideration. For such a study, bravo and blessings on him.

A.B. HAJELA
Director

Institute of Judicial Training & Reserarch, U.P.,
1/19, Vishwas Khand,
Gomti Nagar,
Lucknow.

तात्विक

हम, न्यायपीठ तथा विधिज्ञ वर्ग के लोग, हैं और रहेंगे एक दूजे के लिए। अपना सह-अस्तित्व कुछ ऐसा ही बन पड़ा है। फिर दोनों के मध्य यह सब क्यों ? क्लेश और कुण्ठा, कपट और झपट, दुर्व्यवहार और दुर्भावना, आक्रोश और प्रतिशोध, लालसा और पिपासा। दोष एक का नहीं हो सकता, और आग दोनों तरफ लगी है। हमारा भूत क्या था, वर्तमान क्या है, भविष्य क्या होगा – यह चिन्ता और चिन्तन का विषय है। प्रत्येक के सोचने के लिए।

श्री रघुनाथ प्रसाद, संस्थान के संयुक्त निदेशक, ने इस दिशा में पहल की है, गहन, व्यवहारिक तथा सैद्धान्तिक, अध्ययन कर सारभूत निष्कर्ष निकाले हैं एवं विचारणीय सुझाव दिये हैं। धन्य – धन्य हो उनको, ऐसी कृति के लिए।

अवध बिहारी हजेला
निदेशक

न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

INDEX

Foreword

In Substance

		Page No.
1.	An Introduction	1 – 3
2.	Programme for Study	4
3.	Questionnaire and Replies	5 – 94
4.	Anlysis of Replies	95 – 101
5.	Discussions	102 – 105
6.	Conclusion	106 – 108
7.	Suggestion	109 – 117

सूची

प्राक्कथन

तालिका

अनुक्रमणिका

(1) परिचय 1 - 3

(2) कार्यक्रम प्रारूप 4

(3) प्रश्नावली एवं प्रश्नोत्तर 5 - 94

(4) विचार विश्लेषण 95 - 101

(5) विचार विमर्श 102 - 105

(6) निष्कर्ष 106 - 108

(7) सुझाव 109 - 117

AN INTRODUCTION

Bench and Bar are the two organs which play leading role in the dispensation of justice in our judicial system. The role of both is to ensure justice to the aggrieved party according to law. They have been appropriately described as two sides of the same coin or as two wheels of the same charriot. For smooth functioning of the judicial system it is necessary that the Bench and the Bar should work harmonously.

Certain events have taken place in recent past in the judicial administration which have prompted us to trace out the actual causes of this conflict. First instance of rowdysm was carried to the State High Court of U.P. and thereafter it occurred in the Supreme Court. Allegations of various nature are being made against members of the judiciary at all stages. Such allegations lead to erosion of the credibility of the judicial system.

Reports of alleged assault and threats for unpleasant consequences from district quarters have also come to light. If such state of affairs continue unabated and the members of the judiciary are exposed to the risk of physical assault, there is no denying that fair and impartial administration of justice will become very difficult if not impossible.

परिचय

न्याय पीठ एवं विधिज्ञ वर्ग दो अंग हैं जो हमारे न्यायिक तंत्र में न्याय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोनों की भूमिका पीड़ित पक्षकार को विधि के अनुसार न्याय दिलाना है। पीठ एवं अधिवक्ताओं को उचित ही एक ही सिक्के का दो पहलू कहा गया है या एक ही रथ के दो पहियों के नाम से सम्बोधित किया गया है। न्यायिक तंत्र को सफलता पूर्वक कार्य करने के लिए पीठ एवं अधिवक्ता दोनों को सामंजस्य पूर्वक कार्य करना चाहिए।

न्यायिक प्रशासन में निकट विगत वर्षों में कई ऐसी घटनायें हुई हैं जिन्होंने हमें इस मतभेद का वास्तविक कारण पता करने के लिये प्रेरित किया। प्रथम दृष्टान्त उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में हुआ। तत्पश्चात् उच्चतम न्यायालय में घटित हुआ। अधिवक्ताओं द्वारा पीठ के सदस्यों के विरुद्ध अनेक स्तरों पर आरोप लगाये जा रहे हैं। इन आरोपों के फलस्वरूप न्यायिक तंत्र के विश्वसनीयता की साख को धक्का लगा है।

जनपदों से भी शारीरिक प्रहार एवं दूरगामी परिणामों को भुगतने के धमकी प्राप्त होने की अप्रिय सूचनायें प्रकाश में आई हैं। यदि इस प्रकार की स्थिति अबाधित बनी रही और न्यायपालिका के अधिकारियों के मन में शारीरिक प्रहार से हत होने की आशंका बनी रही तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि स्वच्छ एवं निष्पक्ष न्याय करना न केवल कठिन बल्कि असम्भव हो जायेगा।

These are obviously disturbing trends and are threatening to shake the very foundation of the Indian Judicial System. All law abiding citizens are naturally interested in identification of the causes which have led to the present state of affairs and they are keen to evolve solutions therefor.

The present study attempts to draw out the causes of deteriorating relationship between Bench and Bar and to scruitinize and analyse as to how members of the Bar and Bench should conduct themselves for upholding the rules of law which is the backbone of our judicial system.

निश्चय ही इस प्रकार की स्थिति निराशाजनक है और भारतीय न्यायतंत्र की नींव को हिलाने वाली है। सभी विधि में विश्वास रखने वाले नागरिक वर्तमान स्थिति उत्पन्न करने वाले कारणों और उनके निदान जानने को उत्सुक होंगे।

यह शोध, न्यायपीठ व विधिज्ञ वर्ग के मध्य गिरते हुए सम्बन्धों के कारण, उनका मूल्यांकन और इन तथ्यों के विश्लेषण करने का प्रयास है कि किस प्रकार उभय पक्ष व्यवहार करें ताकि हमारे न्यायिक प्रथा की रीढ़ विधि का साम्राज्य सुगठित हो सके।

The present study could not have been successful but for the active and industrious attempts being made by Km. Sabiha Akhtar, Research Officer of the Institute who had taken pains in making the direct contacts and getting the answers of the questionnaires from the personalities mentioned in the programme for study. She has also done the Hindi translation of the English text successfully. I record a deep sense of appreciation and gratefulness to Hon'ble Mr. Justice I.S. Mathur the then Director of the Institute and the present Director Mr. A.B. Hajela, H.J.S., for their guidance in the work from time to time. Smt. Sushma Joseph and Sri D.C. kapri, who have done the work of electronic typing of English & Hindi, respectively, deserve the praise for systematic completion of the work.

RAGHUNATH PRASAD
Joint Director

Institute of Judicial Training & Research, U.P.,
Lucknow.

इस अध्ययन को पूर्ण करने में, संस्थान की अनुसंधान अधिकारी कुमारी सबीहा अख्तर ने अपना सक्रिय योगदान दिया है और उन्होंने प्रोग्राम की रूपरेखा में वर्णित अधिकांश महानुभावों के उत्तर संकलित किये हैं तथा अंग्रेजी पाठ्य का हिन्दी में अनुवाद भी किया है। समय-समय पर, इस कार्य को पूर्ण करने में जो मार्गदर्शन माननीय न्यायमूर्ति श्री ईश्वर सहाय माथुर संस्थान के तत्कालीन निदेशक एवं श्री अवध बिहारी हजेला, उच्चतर न्यायिक सेवा, वर्तमान निदेशक से प्राप्त होता रहा है, उसके लिये, उक्त व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। श्रीमती सुषमा जोसेफ व श्री दीपक चन्द्र कपरी ने क्रमशः अंग्रेजी व हिन्दी में इलेक्ट्रानिक टाइपिंग, क्रमबद्ध एवं नियमित ढंग से किया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

रघुनाथ प्रसाद
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

PROGRAMME FOR STUDY

After delibrations, 37 questions were framed regarding the Relationship between the Bench and Bar and relating to the problems of strikes in courts. Cyclostyled questionnaires were supplied to a good number of members of Bench and Bar for their replies. After distribution of questionnaires, direct contacts were made and after holding interviews their views were recorded and then questionwise their views were sorted out and compiled, which are reproduced, hereinafter. So far interviews were made of

1. Hon'ble Mr. Justice S. C. Mathur (Acting Chief Justice U. P.)
2. Hon'ble Mr. Justice Murtaza Husain (Retd.)
3. Hon'ble Mr. Justice U. C. Srivastava (Retd
4. Hon'ble Mr. Justice B. L. Loombar (Retd)
5. Hon'ble Mr. Justice Brijesh Kumar
6. Hon'ble Mr. Justice S.H.A. Raza
7. Hon'ble Mr. Justice S.R. Bhargava
8. Hon'ble Mr. Justice R.R.K. Trivedi
9. Hon'ble Mr. Justice K.K. Birla (Retd)
10. Hon'ble Mr. Justice N.L. Ganguly
11. Hon'ble Mr. Justice S.P. Srivastava
12. Hon'ble Mr. Justice J.D. Dubey
13. Hon'ble Mr. Justice Om Prakash Verma
14. Hon'ble Mr. Justice B. C. Saxena
15. Hon'ble Mr. Justice Om Prakash Pradhan
16. Sri A. K. Srivastava, Judicial Secretary, U.P.
17. Sri O.N. Khandelwal, A.D.J.
18. Sri Sushil Kumar, A.D.J.
19. Sri R.P. Pandey, Munsif Megistrate
20. Sri Mohd. Aslam, Munsif Magistrate
21. Sri Sanjay Khare, Munsif Magistrate
22. Sri R.V.S. Gautam, Munsif Magistrate
23. Sri B.L. Kaul, Lawyer
24. Sri A.D. Giri, Ex. Solicitor General of India
25. Sri Ravindra Narayan Singh, Lawyer
26. Sri P.N. Mathur, Lawyer
27. Sri Umesh Chandra, Lawyer
28. Sri Sudhir Shanker, Lawyer
29. Sri Umesh Kumar Srivastava, Lawyer
30. Sri Ashish Narayan Trivedi, Lawyer
31. Sri S.C. Misra, Lawyer
32. Sri Mirza Imtiyaz Murtaza, Lawyer
33. Sri D.K. Sampat, Lawyer
34. Sri Prakash Awasthi, Lawyer
35. Sri Mahesh Chandra, Lawyer
36. Sri P.N. Srivastava, Lawyer
37. Sri Rajiv Lochan, Lawyer

कार्यक्रम प्रारूप :

विचार विमर्श के बाद, 37 प्रश्नों का प्रश्नावली न्याय पीठ एवं अधिवक्ताओं के आपसी संबंध व न्यायालयों में हड़ताल की समस्या से सम्बन्धित तैयार किये गये। जिनको पीठ के सदस्यों एवं अधिवक्ताओं के बीच उनके बहुमूल्य विचारों को प्रस्तुत करने हेतु वितरित किया गया। वितरण के बाद उनसे सम्पर्क स्थापित कर उनका साक्षात्कार लिया गया। उसके पश्चात् उस साक्षात्कार के परिणामस्वरूप आये विचारों को एकत्रित किया गया जो कि रिपोर्ट में एतत् द्वारा प्रस्तुत है। जहाँ तक साक्षात्कार का सम्बन्ध है निम्नलिखित न्यायमूर्तियों, न्यायाधीशों व अधिवक्ताओं ने अपने विचार दिये हैं:-

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. सी. माथुर (वर्तमान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, उ. प्र.)
2. " न्यायमूर्ति श्री मुर्तजा हुसैन (सेवा निवृत्त)
3. " न्यायमूर्ति श्री बी.एल. शुक्ला (सेवा निवृत्त)
4. " न्यायमूर्ति श्री यू.सी. श्रीवास्तव (सेवा निवृत्त)
5. " न्यायमूर्ति श्री बृजेश कुमार
6. " न्यायमूर्ति श्री एस.एच.ए. रज़ा
7. " न्यायमूर्ति श्री एस.आर. भार्गव
8. " न्यायमूर्ति श्री आर.आर.के. त्रिवेदी
9. " न्यायमूर्ति श्री के.के. बिरला (सेवा निवृत्त)
10. " न्यायमूर्ति श्री एन.एल. गांगुली
11. " न्यायमूर्ति श्री एस.पी. श्रीवास्तव
12. " न्यायमूर्ति श्री जे.डी. दुबे
13. " न्यायमूर्ति श्री ओम प्रकाश वर्मा
14. " न्यायमूर्ति श्री बी .पी. सक्सेना
15. " न्यायमूर्ति श्री ओम प्रकाश प्रधान
16. श्री ए.के. श्रीवास्तव, न्याय सचिव, उ. प्र.
17. श्री ओ. एन. खंडेलवाल, ए.डी.जे.
18. श्री सुशील कुमार, ए. डी. जे.
19. श्री आर.पी. पांडे, मुंसिफ मजिस्ट्रेट
20. श्री मोहम्मद असलम, मु. मजिस्ट्रेट
21. श्री संजय खरे, मु. मजिस्ट्रेट
22. श्री आर.बी.एस. गौतम, मु.म.
23. श्री बी.एल. कौल, अधिवक्ता
24. श्री ए.डी. गिरी, वरिष्ठ अधिवक्ता (तत्कालीन सालिसिटर जनरल आफ इण्डिया)
25. श्री रवीन्द्र नारायण सिंह, अधिवक्ता
26. श्री पी.एन. माथुर, अधिवक्ता
27. श्री उमेश चन्द्रा, अधिवक्ता (भूतपूर्व एडवोकेट जनरल)
28. श्री सुधीर शंकर, अधिवक्ता
29. श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता
30. श्री आशीष नारायण त्रिपाठी, अधिवक्ता
31. श्री एस.सी. मिश्रा, अधिवक्ता
32. श्री मिर्जा इम्तियाज़ मुर्तजा, अधिवक्ता
33. श्री डी.के. सम्पत, अधिवक्ता
34. श्री प्रकाश अवस्थी, अधिवक्ता
35. श्री महेश चन्द्रा, अधिवक्ता
36. श्री पी.एन. श्रीवास्तव, अधिवक्ता
37. श्री राजीव लोचन, अधिवक्ता

QUESTIONNAIRE AND REPLIES

Q.1 Do you think that there exists some conflict in between the members of Bench and Bar?

Replies from Bench

There is no institutionalised conflict as such between the members of Bar and Bench.

Some differences arise at the spur of the moment. Of them, some are unanimous and some are thrusted upon senior members of the Bar. If the Bar takes unreasonable stand then the senior members of the Bar do not combine with them. They keep themselves away from the affiliation of the Bar on muddy issues. There are often reports of strike by the Bar of the courts or boycott of a particular court in the subordinate courts. This gives an impression of conflict between the Bench and Bar. But in most of the cases such strikes are for the causes unrelated to the working of the courts. In few cases only it relates to the general working of the courts. At times it is on account of confrontation of a particular lawyer and a presiding officer. Therefore even in subordinate courts there is no real conflict between the Bench and Bar as such. In higher courts

प्रश्नावली एवं प्रश्नोत्तर

प्रश्न – 1 क्या आप सोचते हैं कि विधिज्ञ वर्ग एवं पीठ के बीच किसी प्रकार का मतभेद विद्यमान है?

न्याय पीठ का विचार :

विधिज्ञ वर्ग एवं न्याय पीठ के मध्य किसी संस्थात्मक प्रकार का विरोध विद्यमान नहीं है।

क्षणिक उत्तेजना के कारण कुछ मतभेद पैदा हो जाते हैं। कुछ तो एक मत हो जाते हैं, व कुछ सीधे बार के वरिष्ठ सदस्यों पर थोप दिये जाते हैं। यदि बार कोई अयुक्ति संगत बात पर टिका रहता है तो बार के वरिष्ठ सदस्य उनका साथ नहीं देते। बेकार के मुद्दों पर वे अपने आप को दूर रखते हैं। प्रायः बार के द्वारा न्यायालयों में हड़ताल या किसी एक न्यायालय विशेष के बहिष्कार की सूचना मिलती रहती है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि विधिज्ञ वर्ग एवं न्याय पीठ के मध्य कुछ मतभेद हैं। अधिकतर मामलों में हड़तालें अदालत के कार्य से सम्बन्धित नहीं होती। केवल कुछ ही में बहिष्कार या हड़ताल अदालत के कार्यों या न्यायपीठ से सम्बन्धित होती हैं। कभी किसी अधिवक्ता विशेष व पीठासीन अधिकारी में तनाव के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालयों में पीठ व विधिज्ञ वर्ग के बीच कोई वास्तविक विरोध नहीं कहा जा सकता।

too, there is no such conflict. Some times conflicts arise when some adverse orders are passed against some advocates. Some times these conflicts arise when some advocates become personally interested, apart from their advocacy, in the result of their cases. For example if an advocate has been assaulted by a police constable and consequently a prosecution is launched, against the police officials, then the victim advocate wants that the police official should not be bailed out even though the offence may be bailable or in normal circumstances in non bailable nature bail would have been ordinarily granted by the courts. Grant of bail in such contingencies sometimes ensues the conflicts.

While suggesting corrective measures, it has been stated that if despite over crowding, discipline and old traditions are maintained there will be no conflict. There should be mutual respect between the members of the Bench and the Bar. Inter- change of thoughts on matters which cause tension is necessary. Some sort of statutory provision for disposal of different categories of cases within a prescribed period may be of some help. There should be a check upon entry of those persons into the profession, who have spent a major part of their life in different offices and branches of activity. A redressal forum for resolving the reasonable conflict between the Bench and Bar may be set up as an experimental measure.

उच्चतम न्यायालयों में भी ऐसा कोई विरोध नहीं है। कभी-कभी विरोध का कारण अधिवक्ताओं के विरुद्ध विपरीत आदेशों का पारित होना भी है। कभी-कभी विरोध का कारण अधिवक्ता का किसी विशेष मामले में स्वार्थबद्ध होना भी है। उदाहरण के लिये यदि कोई अधिवक्ता पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता है व जिसके फलस्वरूप पुलिस के विरुद्ध अभियोजन आरम्भ होता है तो आहत अधिवक्ता का यह प्रयास होता है कि उसकी जमानत न हो भले ही वह अपराध जमानतीय प्रकृति का हो जिसकी वजह से भी मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं।

जहाँ तक सुझावों का प्रश्न है, अधिक भीड़भाड़ के होते हुए भी यदि पुरानी परम्परायें व अनुशासन को बनाये रखा जाए तो किसी प्रकार का मतभेद नहीं उत्पन्न होगा। पीठ व बार के सदस्यों में आपसी आदर व प्रेम का भाव होना चाहिये। किसी भी प्रकार के तनावों को दूर करने के लिये सर्व प्रथम विचारों का आदान-प्रदान आवश्यक है। विभिन्न श्रेणी के वादों के निस्तारण के लिये कुछ विशेष सांविधिक प्राविधान बनाये जायें, जिससे उनका निस्तारण समय से हो सके। इससे आपसी मतभेद दूर होने में सहायता मिल सकती है। वकालत के क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा भाग किसी अन्य सेवा में व्यतीत किया हो। आपसी मतभेदों को जो कि तर्कसंगत हो प्रयोगात्मक आधार पर निवारण समिति बनाकर हल किया जा सकता है।

Normal expectations of the Bar is from the Bench that justice be imparted impartially after giving reasonable opportunity of being heard to the Bar. Still nobody resents the judgment unless the judge deflects from the settled view taken in the past on similar facts and circumstances.

न्याय पीठ से बार की सामान्यतः यही आशा होती है कि स्वच्छ व निष्पक्ष न्याय किया जाय व बार को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाय। कोई आक्रोश तब तक नहीं उत्पन्न होता जब तक कि न्यायाधीश अपने सिद्धान्तों से पथ भ्रष्ट नहीं होता।

Replies from Bar

Some of the Advocates are of the view that in fact, there is no conflict. However when in some case an advocate identifies himself with the client and lingers the matter at times then some unpleasant things happen in court rooms. Others, though have not directly stated about the conflict yet they have suggested certain measures hereinafter mentioned, for resolving the conflict.

The conflict can be resolved by means of periodicals face to face conferences between the members of the Bench and the Bar.

Regular conferences between the members of the Bench and the representative of the Bar, for mutual solution of the grievance would be a good suggestion for improving the relationship. The members of the Bench are polite and courteous except with some exception. If the judges are honest, lawyer would not be encouraged to be a party, to any dishonesty. Judges have to decide the disputes, so they must be above board and should not disclose any leaning in favour of any lawyer or litigent. Conflicts can be avoided and minimised by the judges

बार का विचार :

कुछ अधिवक्ताओं का मत है कि विधिज्ञ वर्ग एवं पीठ के बीच कोई मतभेद नहीं है। कुछ तनावपूर्ण स्थिति तभी उत्पन्न होती है जबकि एक अधिवक्ता अनावश्यक कारणों से वाद को लम्बित कराने का प्रयास करता है। अधिवक्ताओं के एक वर्ग ने किसी प्रत्यक्ष मतभेद की बात तो नहीं की किन्तु फिर भी उनको दूर करने के सुझाव दिये।

पीठ व विधिज्ञ वर्ग के बीच का मतभेद आपसी बातचीत के द्वारा हल किया जा सकता है। सम्बन्धों में सुधार लाने के लिये दोनों पक्षों की नियमित सम्मन्त्रणा आवश्यक है। कुछ अपवादों को छोड़कर पीठ के सदस्य विनम्र व सहनशील हैं। यदि न्यायाधीश ईमानदार होंगे तो अधिवक्ताओं का भी किसी प्रकरण में बेइमानी करने का दुस्साहस नहीं होगा। न्यायाधीशों का कार्य वादों का निपटारा करना है। इसलिये उन्हें शंका से परे होना चाहिये। उनका झुकाव किसी अधिवक्ता या वादकारी के प्रति प्रदर्शित नहीं होना चाहिये। न्यायाधीश द्वारा किसी भी मतभेद को समाप्त या कम

themselves behaving honestly and if any complaint is brought against any judge, the judges should provide a forum for the complaint being looked into and redressed.

किया जा सकता है यदि वे ईमानदारी पूर्वक व्यवहार करें और यदि न्यायाधीश के विरुद्ध कोई शिकायत प्रकाश में आवे तो उसके लिये एक समिति का गठन किया जाय जो परिवाद के औचित्य को देखे और निदान प्रस्तुत करे।

Q.2 What is the reason of this conflict?

Replies from Bench

There are a handful of lawyers who cannot take an adverse order gracefully. They belong to such a class who either do not have a lucrative practice or who earn money by questionable means. The consequence is that these indisciplined lawyers have the field day. Due to heavy pressure of work in a particular case in a particular court and engagement of the lawyers in other courts, misunderstanding arises, as a result of which the lawyers resort to strike. Often on trivial issues like tussel in the staff of the court, beating or handcuffing of lawyers by police, certain remarks on the court or due to political reasons, lawyers often go on strike. Non training of lawyers, social and political tensions in the society, heavy rush of work in courts, pendency of arrears, lack of proper etiquette, conduct and behaviour may be enumerated as few of the reasons of conflict. Over commercialisation of profession, by the Bar which has the concept "Nyaya to Nara Hai, Khane Peene Ka Sahara hai, Jo Badkismat Phans jay chara Hamara Hai" and also incompetence of large number of members of the Bar worsens the situation. The question of conflict arises when a section or some members of the Bar act otherwise with a view either to get rich overnight or to earn a reputation, which on merit, they are

प्रश्न – 2 इस मतभेद का क्या कारण है?

न्याय पीठ का विचार :

थोड़े से अधिवक्ता इस प्रकार के हैं जो कि विपरीत आदेश को सहन नहीं कर सकते। यह समूह उन्हीं प्रकार के अधिवक्ताओं का है जिनकी प्रैक्टिस बहुत नहीं चलती, या वे जो येन केन प्रकारेण धन उपार्जित करना चाहते हैं। जिसका परिणाम यह होता है कि इन अनुशासनहीन अधिवक्ताओं को कोई काम नहीं रहता। कभी अत्यधिक कार्य के कारण या अधिवक्ता का किसी विशेष केस के सम्बन्ध में किसी अन्य अदालत में उपस्थित रहना, जिसके फलस्वरूप गलतफहमियां या भ्रान्ति हो जाती है, परिणामस्वरूप हड़ताल हो जाती है। हड़तालों का दूसरा कारण कभी छोटे मोटे विषय हो सकते हैं, जैसे स्टाफ के बीच झगड़े, पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं को प्रताड़ित करना, कोई राजनैतिक कारण इत्यादि। मतभेदों के अन्य कारण अधिवक्ताओं का प्रशिक्षित न होना, सामाजिक व राजनैतिक तनाव, कार्य का बोझ, न्यायालयों में वादों की बढ़ती संख्या, अनुचित आचरण व व्यवहार भी है। विधि को व्यवसाय के रूप में लेना, जैसा कि निम्न पंक्तियों द्वारा विदित होता है कि "न्याय तो न्यारा है, खाने पीने का सहारा है, जो बदकिस्मत फंस जाये चारा हमारा है" व किसी हद तक अधिवक्ताओं की अयोग्यता। मतभेद का प्रश्न तब उठता है जब अधिवक्ताओं का एक वर्ग एक ही रात में सम्पन्नता के साधन जुटाने की कोशिश करता है

not entitled to. Another reason is behaviour of a member of Bar or Bench. Some times, though not often, indisciplined and unruly behaviour is resorted to adopt the tactic of brow-beating and if that is checked, a threat is there to create trouble for the courts. Sometimes some officers also adopt unreasonable attitude and air arrogance, which create problems.

There is no conflict. In cases of casual conflict, generally the behaviour of a particular member of the Bar and in some cases a particular member of the Bench provide the dissatisfaction which is so highlighted that it results in group action.

There is fierce competition amongst the members of the Bar. They have become more result oriented and therefore they are more aggressive to achieve the wanted result. Some of the lawyers have started identifying themselves with the client. There are also cases where the presiding officer is not completely objective, where his integrity is doubtful and he does not give patient hearing. There is growing tendency of what may loosely be termed as trade unionism. Therefore, these reasons generally lead to the incidents giving an impression of conflict. There are individual conflicts which occur mainly due to over eagerness on the part of the members of Bar, to get a desired

या बिना योग्यता के प्रसिद्धि पाना चाहता है। मतभेद का दूसरा कारण बेंच व अधिवक्ता वर्ग का व्यवहार भी है। कभी-कभी अनुशासन हीनता व विद्रोही व्यवहार का सहारा लेकर अधिवक्ता समुदाय धमकाने की कोशिश करते हैं और यदि उन्हें रोका जाये तो वे अदालत के लिये बाधायें खड़ी करने की धमकी भी देते हैं। प्रायः कुछ पीठासीन अधिकारी भी उग्र व असंगत व्यवहार को अपनाते हैं जिससे परेशानियाँ हो जाती हैं।

ऐसा कोई मतभेद नहीं है। अधिवक्ता वर्ग के किसी सदस्य या न्यायपीठ के किसी अधिकारी के व्यवहार के कारण कभी-कभी आकस्मिक मतभेद उपजता है जिसे इस प्रकार कभी-कभी प्रस्तुत किया जाता है कि वह वर्ग के मतभेद का कारण बन जाता है।

अधिवक्ता वर्ग में अब तीव्र प्रतियोगिता है। वे परिणाम प्राप्ति में विश्वास करने लगे हैं और इसी कारण वे वांछित आदेश पाने के लिये उग्र हो जाते हैं। अधिवक्ताओं में से कुछ सदस्य, अब अपने को अपने पक्षकार के साथ जोड़ने लगे हैं। ऐसे भी प्रकरण है जब कि न्यायाधीश पूर्णरूप से वस्तुपरक दृष्टिकोण नहीं अपनाता, जहाँ उसकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध हो गई है और वह धैर्यपूर्वक सुनने की प्रवृत्ति भी नहीं रखता। इन्हीं कारणों से कुछ ऐसी घटनायें घट जाती हैं, जिनसे लोग आभास करने लगते हैं कि मतभेद दोनों में व्याप्त है। अधिवक्ता वर्ग के किसी सदस्य द्वारा किसी वांछित परिणाम के अधिक पाने की लालसा या

result in a case and some time due to harsh and dry behaviour on the part of the member of Bar and Bench. Otherwise there is no conflict between the experienced and mature officers of the judiciary and the seasoned lawyers of the Bar.

कभी-कभी किसी अधिवक्ता या न्यायाधीश के उग्र और शुष्क व्यवहार के कारण भी व्यक्तिगत मतभेद हो जाते हैं। अन्यथा, अनुभवी एवं परिपक्व न्यायिक अधिकारियों एवं अभ्यस्त अधिवक्ताओं के मध्य कभी कोई मतभेद नहीं उठता।

The reason of conflict is uncontrolable temper of the younger generation of lawyers and judges both. Delay in disposal of urgent matters by judges creates frustration in the public and also lawyers who represent them and leads to irritation and conflict.

Some lawyers are oversensitive. Some judges are abrasive. However the resulting unpleasantness need not be elevated to the status of a conflict.

There is neither clash of values, nor of interests between the Bar and the Bench. Dishonest judges and lawyers bring about conflict between the Bar and the Bench. Conflict is in matters relating to interim orders, because there are no defined norms or parameters of discretion. Whenever a court resists uncalled for adjournments, a section of the Bar has the misplaced notion that it is an affront to them. Some times conflict arise due to peculiar behaviour of some Presiding Officers on the one side and some advocates on the other side.

नई पीढ़ी के अधिवक्ताओं एवं न्यायाधीशों के अनियंत्रित बर्ताव भी मतभेद का कारण हैं। न्यायाधीशों द्वारा आवश्यक प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब से जनता तथा उनके प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ताओं में कुंठा व्याप्त होती है जो उनके चिढ़ व मतभेद का कारण हो जाता है।

कुछ अधिवक्ता अति संवेदनशील हैं। कुछ न्यायाधीश भी बात की खाल निकालने वाले हैं किन्तु फलस्वरूप भ्रान्ति जो उपजती है, उसे मतभेद कहना उपयुक्त नहीं होगा।

न्यायपीठ एवं बार के मध्य न तो मूल्यों का और न तो हित का टकराव है। बेईमान न्यायाधीश एवं बेईमान अधिवक्ता मतभेद पैदा करते हैं। अन्तरिम आदेशों के संदर्भ में मतभेद उपजते रहते हैं क्योंकि विवेकाधिकार के प्रयोग का कोई निश्चित माप दण्ड या प्रक्रिया नहीं है। जब कभी न्यायालय प्रकरण के किसी अनुपयुक्त स्थगन का विरोध करती है, तो बार के कुछ सदस्य विचार बना लेते हैं कि उनका तिरस्कार किया जा रहा है। कभी-कभी मतभेद, न्यायाधीश एवं अधिवक्ताओं के विचित्र व्यवहार के कारण पैदा हो जाता है।

Q.3 Do you think that there has been a fall in the standard of behaviour of the Bench/Bar?

Replies from Bench

There is no general fall in the standard of behaviour on either side. By and large the members of the Bar are still disciplined and well behaved, but a small indisciplined section threatens to hold to ransom the disciplined section. It is difficult to fix the exact time since when the fall in behaviour started. However, during the last ten years things have really gone too bad and the members of the judiciary have been subjected to even physical assault by lawyers. The process of decline started when persons from each and every section of the society without proper training started entering into the legal profession. Some of the lawyers do not possess the legal accumen, etiqutte and behaviour as a result of which often conflicts erupt. In few cases these weaknesses we find in subordinate judiciary as well. Problem on occassions does arise when a presiding Judge in his attempt to control the proceedings allows his patience to become exhausted. The fall in the standard of behaviour of Bench and Bar started since appointments are being made on considerations other than integrity and efficiency. The behaviour of a judicial officer is also not on the same pattern as it ought to be.

प्रश्न - 3 क्या आप ऐसा सोचते हैं कि विधिज्ञ वर्ग एवं पीठ के सदस्यों के व्यवहार के स्तर में निम्नता आई है?

न्याय पीठ का विचार :

किसी भी पक्ष के व्यवहार के स्तर में कोई सामान्य निम्नता नहीं आई है। बार के सदस्य अब भी अनुशासित विनम्र हैं केवल कुछ ही अनुशासनहीन व्यक्ति हैं। यह कहना कठिन है कि व्यवहार के स्तर में कब से गिरावट आई है किन्तु फिर भी पिछले दस वर्षों में स्थिति काफी खराब हो गई है। यहाँ तक कि न्यायिक सदस्यों के ऊपर हमले तक किये गये। पतन की प्रक्रिया या स्थिति तब शुरू हुई जब समाज के हर वर्ग का प्राणी विधि व्यवसाय में बिना उचित प्रशिक्षण के प्रवेश करने लगा। आज ज्यादातर अधिवक्ता में विधिक प्रतिभा नहीं है और न ही वे न्यायालय के आचरण से भिज्ञ हैं जिसके फलस्वरूप कभी मतभेद पैदा हो जाते हैं। अधीनस्थ न्यायपालिका के अधिकारियों में भी कुछ प्रकरणों में यह कमियाँ पायी जाती है। कई स्थितियों में समस्या तब उपजती है जब न्यायिक अधिकारी मुकदमें की सुनवाई को नियमित करते हुये अपने धैर्य को खो देता है। बेंच एवं बार के स्तर में गिरावट का कारण यह भी है कि नियुक्ति सत्यनिष्ठा व दक्षता के बजाय अन्य कारणों से की जाने लगी है। न्यायिक अधिकारियों का भी आचरण जिस प्रकार का होना चाहिये था अब वैसा नहीं है।

The fall has been noticed since power of magistracy was conferred on the munsifs. Since then some of these munsifs have started behaving as if they are executive officers. The fall in the behaviour is also on account of lack of endeavour on the part of the judicial officers to equip themselves with the current pronouncements of the various High Courts.

The fall from the Bar side is on account of their struggle for existence. Young lawyers who have fewer cases are naturally interested in the success of their cases. In this way their advocacy being result oriented affects their behaviour in the court. Due to huge costs of law books, they are not equipped with the library as to enable them to study their cases on the anvil of the latest pronouncements of the Supreme Court and various High Courts and also latest amendments made in various laws applicable to their cases. Another view is that for about two decades the standard of the Bar and the Bench both have started falling down. The reason for such decay or fall in standard is several fold namely growth in the size of judiciary after its separation from the executive,

यह गिरावट उस समय से अनुभव की जाने लगी है जब से मजिस्ट्रेसी शक्तियाँ मुंसिफों को प्रदान की जाने लगी हैं। तब से यह मुंसिफ कार्यकारिणी मजिस्ट्रेट की तरह कार्य करने लगे हैं। व्यवहार में निम्नता का कारण न्यायिक अधिकारियों का विभिन्न उच्च न्यायालयों के नवीनतम निर्णयों को न जानने का प्रयास भी है।

बार के स्तर में गिरावट का कारण, उनका अपने अस्तित्व के लिये जूझना है। नये अधिवक्ता जिनके पास कम मुकदमें हैं, स्वाभाविक रूप से चाहते हैं कि वे अपने मुकदमें जीतें। इस कारण उनके तर्क वांछित फल चाहने के अनुरूप होते हैं, जिसके कारण न्यायालय में उनके व्यवहार प्रभावित हुये हैं। विधि पुस्तकों के अत्याधिक मूल्यों के कारण, बहुधा अधिवक्ता अपने पुस्तकालय के सुविधा से वंचित हो जाते हैं, जिस कारण उच्चतम न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों के नवीनतम निर्णयों एवं नवीनतम संशोधनों का उन्हें ज्ञान नहीं हो पाता जिन्हें वे अपने मुकदमें के पक्ष में वर्णित कर सकें। एक अन्य विचार है कि दो दशकों से बेन्च एवं बार, दोनों के स्तरों में गिरावट आने लगी है। इनके गिरावट के अनेक कारण हैं, जैसे कार्यकारिणी से अलग होने के पश्चात् न्यायपालिका

growth in the size of the Bar, departure from old norms and traditions by the Bench as well as the Bar and last but not the least training with the senior advocates is no more a condition precedent and therefore a new entrant entering into the Bar does not learn the old glorious traditions of the Bar.

के आकार में वृद्धि, बार के आकार में वृद्धि, बेन्च एवं बार द्वारा प्राचीन परम्पराओं एवं मान्यताओं का त्याग, एवं अन्ततः किन्तु अन्तिम नहीं, वकालत प्रारम्भ करने के लिये वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ प्रशिक्षण की अब आवश्यकता नहीं रह गई है, जिस कारण बार के सदस्य प्राचीन भव्य परम्पराओं को नहीं सीख पाते।

There has been a deterioration. Since the deterioration has been gradual, exact time can not be fixed. But generally speaking it began with the selection of law officers of government at the Centre and the State and also of the members of the Bench not on merits but on the whims of the appointing authorities or on the political considerations. This decline is only a part of the general abnormlessness that is rampant today in all sections of our society. On account of unemployment there has been greater over crowding in the legal profession and particularly after independence their behaviour has started falling down. The degradation in the standard of the Bench and the Bar has been seen for the last about two decades. This has been created due to downfall in the standard of law teaching in law colleges and universities.

विधिज्ञ सदस्यों का विचार :

न्याय पीठ एवं विधिज्ञ सदस्यों के व्यवहार के स्तर का ह्रास हुआ है। चूंकि इसकी गति मध्यम रही अतः कह पाना कठिन है कि यह कब से शुरू हुआ। जब विधिक अधिकारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति तथा बेंच के सदस्यों की नियुक्ति उनकी कुशलता पर न होकर राजनैतिक प्रभाव को लेकर होने लगी, तब से स्तर में गिरावट आई है। यह गिरावट हमारे समाज के सभी वर्गों में आज व्याप्त सामान्य असामान्यता का एक भाग है। बेरोज़गारी की समस्या के कारण विधि व्यवसाय में अत्यधिक व्यक्तियों का प्रवेश हुआ है तथा विशेषतः स्वतंत्रता के बाद, व्यवहार में कमी आई है। करीब दो दशकों से न्याय पीठ एवं बार के सदस्यों में गिरावट दिखाई पड़ रही है। यह विधि विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के विधि स्तर गिरने के कारण हुआ है।

Q.4 What short comings you feel in the members of the Bench/Bar?

Replies from Bench

So far as the members of the Bench are concerned there is no short coming as such. Of-course the judiciary is a part of the society and if the general standards of society will go down they are likely to have some effect on the members of Bench also. Earlier the persons holding high positions accepted adverse judgments and orders gracefully and never imputed motives to the judge deciding the case adversely. In recent past this discipline has not been observed and the consequence has been that today there is crisis of confidence. So far as the members of Bar are concerned, the developments which have taken place, constitute short comings in the members of the Bar. Lack of proper education and training, departure from normal judicial behaviour, violence, and corruption prevailing in the society are yet some of the other short comings. The Bench and Bar both should be taught and trained in proper way to save this institution from the devastating effects of socio political and economic maladies prevailing in the society. Mostly both Bar and Bench indulge in popularism and showmanship of business. Lack of feeling that justice is part of spiritualism, is also one of the reasons for downfall.

प्रश्न – 4 पीठ एवं बार के सदस्यों में आप क्या कमियाँ या त्रुटियों का अनुभव करते हैं?

न्याय पीठ का विचार :

जहाँ तक पीठ के सदस्यों का प्रश्न है ऐसी कोई त्रुटि नजर नहीं आती। न्यायपालिका समाज का ही एक भाग है। यदि समाज का स्तर गिरता है तो न्यायपालिका अवश्य ही कुछ प्रभावित हो सकती है। पहले समय में प्रतिष्ठित अधिवक्ता विपरीत पारित निर्णयों या आदेशों को भी सम्मान पूर्वक स्वीकार कर लेते थे व न्यायाधीशों पर कोई दोषारोपण नहीं करते थे। आज के युग में उस स्तर का अनुशासन नहीं है जिससे विश्वास में कमी आई है। जहाँ तक बार के सदस्यों का सम्बन्ध है कुछ बदलाव आया है जिससे कि त्रुटियाँ उत्पन्न हुई हैं। उचित शिक्षा व्यवस्था व प्रशिक्षण का अभाव, न्यायिक व्यवहार का पालन न किया जाना, हिंसा, व समाज में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार इन कमियों के कारण है। पीठ एवं बार दोनों के सदस्यों को इस संस्था को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विध्वंस या सर्वनाश के प्रभावों से बचाने के लिये उचित तरीके से प्रशिक्षित होना चाहिये। प्रायः पीठ एवं बार अपनी प्रसिद्धि एवं दिखावे में लगे रहते हैं। अध्यात्म वाद के भाव में न्याय की कमी का अनुभव भी इस गिरावट का एक कारण हो सकता है।

There should be willingness to work on the part of both. The noticeable short comings amongst some members of the Bar are their too much identification with the matter and exercising undue pressure underlying the submission in seeking favourable orders, particularly in interim stay matters.

Some of the judicial officers from the very beginning start endeavouring to live a luxurious life. They do not think that as a judicial officer, they are always students of law and their quest for learning has no ending till they are in the office or in any way attached to the legal world. If the judicial officers make a digest of the cases cited to them during the argument, then that will help them a lot. Experience so gained may be utilised in other matters. The learned judge can be compared with a fruit ladden branch of a tree. The branch when full of fruits bends low, so a learned judge will show humility, politeness and gentleness in all spheres of his life. So far as the members of the Bar are concerned some of them do not stick to the ethics of the profession. They are some times arrogant, show complete lack of mastery over facts of the case and are blissfully ignorant of law. They are interested in result oriented practice. They have little interest to see justice being done according to law, since the favourable result and interim stay order is the sole object.

उभयपक्षों द्वारा कार्य के प्रति तत्परता होनी चाहिये। प्रमुख कमियों में पीठ एवं बार दोनों के सदस्यों का किसी मामले के साथ अपने को आत्मसात करना भी है ताकि अनुचित प्रभाव डालकर वे अपने पक्ष में अनुकूल आदेश पारित करा सकें।

आरम्भ से ही न्यायिक अधिकारी सम्पन्नता या वैभव पूर्ण जीवन का प्रयास करने लगते हैं। वे यह नहीं सोचते कि न्यायिक अधिकारी होने के नाते वे विधि के ही छात्र हैं तथा उनको अध्ययनरत ही रहना है चाहे वे कार्यालय में हों या विधि के किसी क्षेत्र में। यदि वे निर्णीत वादों का एक डाइजेस्ट बना लें तो उससे उनको काफी सहायता मिल सकती है। इस प्रकार प्राप्त किया गया अनुभव दूसरे मामले में भी काम आयेगा। एक अनुभवी जज फलों से भरी हुई टहनी की तरह होता है। यदि टहनी फलों से लदी होगी तो नीचे झुकी होगी। इसी प्रकार अनुभवी न्यायाधीश को भी नम्रता, शालीनता व मानवता जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनानी चाहिये। जहाँ तक बार के सदस्यों का सम्बन्ध है उनमें से कुछ व्यवसाय की नीति या आचार पर अडिग नहीं हैं। कभी वे अत्यन्त उग्र भाव से कार्य करते हैं तथा तथ्यों से पूर्णतयः अनभिज्ञ होते हैं। वे केवल अनुकूल फल प्राप्ति की चेष्टा करते हैं जबकि वे विधि के ज्ञान से अज्ञान होते हैं। उन्हें केवल अनुकूल परिणाम या अन्तरिम आदेश से ही मतलब रहता है। वह बिल्कुल जानने की चेष्टा नहीं करते कि विधि के अनुसार न्याय हो।

Another view is that there can be no generalisation. But nature of shortcomings in some members whose number is increasing may be pointed. General lowering of the ethical values in the society is reflected there also. Fierce competition in the profession has resulted in the attitude of 'no hold Barred' in considerable number of the members of the Bar. Aggressiveness and trade union tendency in considerable number of members of the Bar, less devotion to the study of law in members of the Bench, lacking objectivity and impartiality, less devotion or dedication to work are some of the reasons for deterioration and conflict. Majority of the members of the Bar do not take the profession very seriously. These are the days of unemployment. A young law graduate in the begining knocks all possible doors for getting in the service but having failed to secure the jobs, finds it easier to land into this profession. Their whole approach is aimed at to succeed in a given case by hook and crook. They do not mind the means but the ends and in that process they commit all sorts of irregularites and malpractices, and that leads to a vitious atmosphere in the Bar and that brings down the prestige of the noble profession as a whole.

दूसरा पहलू यह है कि सामान्यीकरण नहीं हो सकता लेकिन बदलते हुए युग में जो कमियों के प्रकार हैं उन पर विचार किया जावे। समाज में आचार नीति का गिरना भी इस पर प्रकाश डालता है। विधि व्यवसाय में बढ़ती हुई ज्वलन्त प्रतियोगिता ने व्यवहार को और उच्छृंखल बना दिया है। उग्र स्वभाव, ट्रेड यूनियन प्रकृति, विधि के ज्ञान को अर्जित करने का चाव न होना, निष्पक्ष व्यवहार की कमी तथा कार्य के प्रति समर्पित न होना भी मतभेद व निम्न स्तर का कारण है। बार के अधिकांश सदस्य विधि व्यवसाय के प्रति गम्भीर नहीं होते हैं। आज के युग में बेरोज़गारी की समस्या है। एक युवा विधि स्नातक जब नौकरी के लिये सभी द्वार खटखटा चुकता है तब अन्त में निराश होकर विधि व्यवसाय को सरल समझ कर उसमें प्रवेश करता है। येन केन प्रकारेण अपने मामलें को जीतना इनका एकमात्र उद्देश्य रहता है। वे किसी भी प्रकार की अनुचित प्रक्रिया या अनियमितता अपनाने से नहीं हिचकिचाते जो बार का वातावरण दूषित करता है जिससे इस सम्मान जनक व्यवसाय की साख नीचे गिरती है।

Another view is that Bar is no more a watch dog of the judiciary. The more the vigilent the lawyers are the better and cleaner the judiciary will remain. Instead of having a vigilance over an erroneous and erring judicial officer, the majority of the members of Bar have started playing a dubious role.

एक दूसरा विचार है कि बार के सदस्य न्यायपालिका की निगरानी करने वाले नहीं रह गये हैं। जागरूक अधिवक्ता एक साफ सुथरी न्यायपालिका को बनाने में सफल हो सकते हैं। आज अधिवक्ताओं ने न्यायिक अधिकारियों को उनकी गलतियों का एहसास कराने के बजाय स्वयं ही संशयपूर्ण भूमिका अदा करनी शुरू कर दी है।

The basic short coming is the general deteriorations of moral regarding truth, rituousness and equitable social behaviour due to numerous causes amongst the Bench. So far as the members of the Bar are conerned, over crowding and non-getting of proper cases in the profession are responsible factors for deterioration in the profession of Bar. There is less tolerance and understanding amongst the members of the Bar, lack of firmness on the part of the Bench, and not maintaining an atmosphere of formality and seriousness in court. The basic short coming appears to be the down fall in the teaching standard. Neither the Bar nor the Bench is fully equipped for entering into legal profession after completing the law education. The another short coming is downwards trend in tradition and values.

बार के सदस्यों का विचार :

जो मौलिक कमी है वो पीठ के सदस्यों में नैतिकता का ह्रास, संस्कार तथा न्याय संगत सामाजिक व्यवहार कुछ कारणों से न कर पाना है। बार के सदस्यों में पतन का कारण अत्यधिक भीड़ व मुकदमें का न प्राप्त होना है। सहनशीलता व समझदारी का, बार में सदस्यों में तथा पीठ के सदस्यों में अभाव तथा पीठ के सदस्यों में दृढ़ निश्चय का अभाव इस पतन का कारण है। एक अन्य मौलिक कारण भी जो दिखाई देता है वह शिक्षा के स्तर का गिरना भी है। आज न ही पीठ एवं न ही बार के सदस्य विधिक क्षेत्र में प्रवेश के लिये पूरी तरह तैयार होते हैं। दूसरे कारण परम्पराओं एवं मूल्य का अपतन भी है।

Q. 5 Do you think that the members of the Bench/Bar are responsible for the conflict?

Replies from Bench

Fault lies both ways. Some times some members of the Bench patronise a section of the Bar and instigate it for mis-behaviour or strike or indiscipline and thus indulge in leg pulling of some members of the Bench.

Bench has been highly ambitious, too much self seeking, and for securing higher position or office or some material gain play safe and refuse to call a spade a spade, or become committed to something other than justice. The conflict may erupt due to lack of judicial approach and behaviour either on the part of lawyers or judges. It is seldom that a member of the Bench is responsible for a conflict between the Bench and Bar.

None of the two can be blamed alone. If the advocate is not result oriented and members of the Bench are equipped with the latest case law then they may confront case law and can ask to argue as to what he has to say on the point when the case law to the mind of the judicial officer was against the point pressing by the advocate. Experience is that members of the Bar in majority participate.

प्रश्न -5 आपके विचार से इस मतभेद का दायित्व न्याय पीठ या बार का है?

न्याय पीठ का विचार :

दोनों ही का दोष है। कभी पीठ के सदस्य बार के सदस्यों को संरक्षण देते हैं तथा उन्हें दुराचरण, हड़ताल या अनुशासनहीनता के लिये उकसाते हैं, व इस प्रकार बेंच के दूसरे सदस्यों की खिंचाई का काम करते हैं। पीठ के सदस्य भी अत्यन्त महत्वाकांक्षी, अत्याधिक पाने की चेष्टा व ऊंचा पद तथा कुछ सम्पत्ति के लिये झूठे तथ्यों का सहारा लेने लगे हैं, व स्पष्ट रूप से कहने से दूर रहते हैं तथा निष्पक्ष रूप से न्याय करने में असमर्थ हैं। जब पीठ व बार के सदस्य न्यायिक व्यवहार की सीमा के बाहर चले जाते हैं तभी मतभेद पैदा होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है जब पीठ के सदस्यों का ही दायित्व मतभेद उत्पन्न करने का हो।

दोनों में से अकेले ही किसी एक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अगर अधिवक्ता परिणाम परक दृष्टिकोण को लेकर बाद न लड़े तथा पीठ के सदस्यों को भी बाद निर्णयों की नवीनतम जानकारी हो तो अधिवक्ता के दबाव के बावजूद भी पीठासीन अधिकारी उचित निर्णय पारित कर सकते हैं। अनुभव बताता है कि बार के सदस्य अधिक से अधिक इसका स्वागत करते हैं।

Agitations generate due to individual conflicts which are mostly on very trifling matters which could be avoided merely by keeping restraint on the part of members of Bar and a wise handling of situation on the part of members of Bench. It may be experienced that generally conflicts and clashes occur when members of the Bar do not get uniform behaviour from Bench. Even a less intelligent officer commands more respect in Bar, by giving uniform treatment to each member of Bar, than those who are intelligent but adopt discriminatory behaviour or treatment which may be for any reason. It has a direct relation with the result of the case. If the members of the Bar are assured of undiscriminatory treatment from Bench, they also stand assured about the result of the case handled by them, and the necessary consequence will be faith and respect towards Bench. Except in a few case conflicts take place in those courts where discrimination is frequent and apparent.

छोटे-छोटे मुद्दे को लेकर ही, व्यक्तिगत मतभेदों के कारण टकराव होता है जिन्हें बार के सदस्य, अपने ऊपर अंकुश लगाकर तथा न्यायपीठ के सदस्य बुद्धिमानी पूर्वक परिस्थिति को संभालकर, दूर कर सकते हैं। ऐसा अनुभव किया गया है कि मतभेद या टकराव की स्थिति तभी उत्पन्न होती है जबकि पीठ के सदस्यों का व्यवहार समान नहीं होता। एक अधिकारी जिसको कम ज्ञान है, यदि एक समान व्यवहार बार के सदस्यों के साथ करता है तो उसका आदर उन अधिकारियों से अधिक होता है जो कि बुद्धिमान होते हुए भी विभेद या भेद-भाव का व्यवहार करते हैं। मुकदमें के परिणाम पर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पड़ता है। यदि पीठ के सदस्य बार के सदस्यों के साथ भेदभाव न करें तो बार के सदस्यों में भी उनके लिये विश्वास व आदर की भावना जाग्रत होगी। सिवाय कुछ मामलों के मतभेद केवल उन्हीं न्यायालयों में होता है जहाँ भेदभाव की प्रक्रिया अपनायी जाती है।

Replies from Bar

The blame is apportionable, but the Bar appears to be more responsible. The members of the Bar who have either heavy polictical leanings or are commercially minded are mostly responsible for conflict. Their stake in loosing or winning the case are too heavy because of disproportionate fees demanded by them. Apart from the members of the Bar and Bench, society is also responsible, There is all round degradation in standard and judiciary is not untouched.

बार का विचार :

दोनों का दोष बराबर है, किन्तु बार के सदस्य की जिम्मेदारी कुछ अधिक है। बार के वे सदस्य जो कि राजनीति से प्रेरित हैं या फिर इस क्षेत्र को व्यवसाय की दृष्टि से देखते है, मतभेद के लिये जिम्मेदार हैं। बाद को जीतना या हारना उनके लिये दांव की तरह है क्योंकि अनुचित फीस की मांग उनके द्वारा की जाती है। कुछ हद तक इसमें समाज का भी दायित्व है। जब सभी क्षेत्रों में पतन है तो न्यायपालिका भी इससे अछूती नहीं हो सकती।

Q.6 Do you think that over-crowding of Bar is responsible for the conflict?

Replies from Bench

Over - crowding is not directly responsible for conflicts but it may be indirectly a cause thereof. If despite over-crowding discipline and old traditions are maintained there will no conflict. There is no provision of training for the lawyers. Due to the prevailing unemployment particularly among the advocate class, profession having no inclination in the legal profession, and having no background, even join the legal profession.

There should be check upon entry of those persons entering the profession who have spent a major part of their life in different offices and branches of activity. This is a major factor not only for the conflict between the Bar and Bench but for the decay of the standards of the judicial system as well.

प्रश्न – 6 **क्या आप ऐसा सोचते हैं कि इस मतभेद का कारण अत्यधिक लोगों को विधि व्यवसाय में प्रवेश करना है?**

न्यायपीठ का विचार :

बहुत अधिक भीड़ मतभेद के लिये सीधे जिम्मेदार तो नहीं कहीं जा सकती, परन्तु यह अप्रत्यक्ष कारण हो सकता है। भीड़ के बावजूद भी यदि पुरानी परम्परायें व अनुशासन बनाये रखा जाये तो मतभेद नहीं पैदा होगा। अधिवक्ताओं के प्रशिक्षण के लिये कोई प्रावधान नहीं है। बढ़ती हुई बेकारी के कारण, वे लोग विधि व्यवसाय में प्रवेश करते हैं जिनकी न तो विधि क्षेत्र में पृष्ठभूमि है और न तो विधि व्यवसाय में आने की जिनकी रुचि है। ऐसे व्यक्तियों का विधि व्यवसाय के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये जिन्होंने अपने जीवन का अत्यधिक भाग विभिन्न कार्यालयों एवं कार्यकलापों में व्यतीत कर दिया है। यह न्यायपीठ एवं बार के सदस्यों के मध्य मतभेद का मुख्य का कारण ही नहीं है वरन् न्यायिक प्रणाली के स्तर में गिरावट भी इसी कारण है।

Over-crowding of the Bar does not lead directly to conflict between the Bench and the Bar, except in very very rare case in which a dishonest and unprincipled member of the Bar may try to give publicity to his name by creation of a conflict between him and the Bench. Due to over-crowding juniors are not able to get just and proper guidance from senior counsel. Quite a few members of seniors cannot be expected to accommodate a huge number of new professionals every year.

बार का विचार -

सिवाय उन एकाध प्रकरणों को छोड़कर जिसमें बेइमान एवं असिद्धान्तवादी अधिवक्ता, अपने व न्यायपीठ के सदस्य के मध्य मतभेद पैदा कर अपने नाम को उछालते हैं, बार के सदस्यों की अधिकता के कारण प्रत्यक्ष रूप में बार एवं न्याय पीठ के सदस्यों के मध्य मतभेद नहीं होता। अधिक भीड़ के कारण वरिष्ठ अधिवक्ताओं से ठीक व उचित राय कनिष्ठ अधिवक्ता नहीं पा पाते। कुछ थोड़े वरिष्ठ सदस्य, व्यवसाय में आये अधिक संख्या में नवागन्तुकों को अपने यहाँ स्थान नहीं दे पाते।

Q.7 What type of conduct you expect from the members of the Bench/Bar?

Replies from Bench

There should be mutual respect between the members of the Bench and the Bar. No Judge should think that he knows all the law and he should give the counsel a fair hearing. Every counsel should be able to make an assessment of the merit of his case and he should not unnecessarily waste the time of the court. Aggressive advocacy scuttles debate. Lawyers are expected to adhere and to follow the code of conduct as provided under the rules and provisions of Bar Council of India. The member of the Bench should be judicious in approach, impartial in their conduct inside and outside the court. They should be patient in hearing the case and should not indulge into dilogue with lawyers. Bar should not act as a trade union. It should feel that its members are part of spiritual organisation and have no right of strike. The members of the Bar should be responsible and courteous to the members of the Bench who are also expected to reciprocate.

Members of the Bench should be impartial, objective, hard working and fearless. Both should think that their goal is to see proper administration of justice. The members of the Bar should be knowledgeable, industrious and should behave politely in the court. They should take the result of the case in a detached manner. There should be cordial relationship between the

प्रश्न-7 बेन्च/बार एक दूसरे से किस प्रकार के आचरण की अपेक्षा रखते है?

न्यायपीठ का विचार -

दोनों सदस्यों के हृदय में एक दूसरे के लिये आदर की भावना होनी चाहिये। एक न्यायाधीश को कभी नहीं सोचना चाहिये कि उसे विधि का समस्त ज्ञान है तथा उसे अधिवक्ता के तर्क को पूरी तरह सुनना चाहिये। अधिवक्ताओं को भी बाद की उत्कृष्टता के निर्धारण पर ही जोर देना चाहिये तथा न्यायालय का समय नष्ट नहीं करना चाहिये। उग्र स्वभाव से मतभेद उत्पन्न होता है। अधिवक्ताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बार कौंसिल द्वारा बनाये गये नियमों व प्रावधानों का पालन करेंगे। न्याय पीठ के सदस्यों को भी न्याय की भावना से कार्य करना चाहिये तथा अदालत से बाहर या अदालत के अन्दर उनका आचरण निष्पक्ष होना चाहिये। किसी वाद की सुनवाई के समय उन्हें धैर्य से काम लेना चाहिये तथा अधिवक्ताओं के साथ अनावश्यक बहस या वाद-विवाद में नहीं उलझना चाहिये। बार कौंसिल को व्यापारिक संस्था की तरह कार्य नहीं करना चाहिये। ऐसा अनुभव किया गया है कि अधिवक्ताओं के कुछ नैतिक कर्तव्य हैं और उसके अन्तर्गत उन्हें हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है। अधिवक्ताओं को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिये तथा न्यायपीठ के सदस्यों के साथ शालीनता का व्यवहार करना चाहिये। साथ ही न्यायपीठ के सदस्यों को भी अधिवक्ताओं के साथ इसी प्रकार का आचरण करना चाहिये।

न्यायपीठ के सदस्य को निष्पक्ष, कर्मठ व योग्य होना चाहिये। दोनों को ही यह समझना चाहिये कि उनका ध्येय न्याय का उचित प्रशासन है। अधिवक्ताओं को भी विधि का ज्ञान होना चाहिये तथा न्यायालय में सौम्यता पूर्वक व्यवहार करना चाहिये। दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध होना

Bench and the Bar. The members of the judiciary should keep a reasonable distance from the members of the Bar and render justice without fear and favour and should be absolutely impartial.

चाहिये। न्याय पीठ के सदस्यों को बार के सदस्यों से कुछ दूरी रखना चाहिये तथा बिना किसी डर, दबाव या पक्षपात के न्याय करना चाहिये।

Replies from Bar

The members of the Bar and Bench should be co-operative, disciplined, learned, dignified and should play restraint in their behaviour. A commitment to cause of the poor should characterise the lawyer's attitude. The members of the Bench as well as the Bar should behave always as a learner because law is such a subject in which every day one has to appear in examination and overcome the test. Members of the Bench are expected to be courteous, professionally learned and well prepared and helpful in disposal.

बार का विचार –

न्यायपीठ के सदस्यों व बार के सदस्यों को अनुशासित, विद्वान, सहयोगी एवं प्रतिष्ठापूर्ण होना चाहिये। दोनों को ही विधि का बराबर अध्ययन करते रहना चाहिये क्योंकि विधि एक ऐसा विषय है जिसकी कोई थाह नहीं, व प्रतिदिन ही इसमें नवीनतम जानकारी व संशोधन तथा निर्णय होते रहते हैं। दोनों को ही निष्पक्ष, शालीन एवं दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। बार के सदस्यों को वादों के त्वरित निस्तारण के लिये सहायता करनी चाहिये।

Q.8 Do you think that there should be some change in the pattern of LL.B. examination?

Replies from Bench

The teaching of law in our law colleges and the universities is theoretical. It should have practical basis. After Intermediate there should be five years courses for LL.B. examination out of which 2 years should be exclusively devoted to the practical training of working in court. Limited number of students ought to be admitted to this course after competitve examination. Two years minimum practical training for persons desirous of joining Bar should be made must. Besides ordinary question answer system there should be objective test method of the examination which should be so devised so as to assess the real knowledge and understanding of the student. Some changes are essential for regulating the entry into the profession. Now a days any law graduate may walk into the profession the next follwing a day he obtains a law degree. In the profession like engineers, medical practitioners, chartered Accountants, Architects free entry is not possible. Their entry is regulated right at the threshold before they join the professional courses. At that stage itself they have to undergo rigorous examination. Before permitting a law graduate to join a legal profession an entrance examination should be held with a view to test their special attitude and talents for the profession and only those who successfully complete the examination system should be allowed to join the profession. It would be good if the 5 years LL.B. course is introduced.

प्रश्न-8 क्या आप ऐसा सोचते हैं कि विधि की परीक्षा में कुछ परिवर्तन होना चाहिये?

न्याय पीठ का विचार -

हमारे विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में विधि की पढ़ाई सैद्धान्तिक है। इसको व्यवहारिक होना चाहिये। इण्टरमीडिएट की परीक्षा के बाद विधि का कोर्स पाँच साल का करके उसमें व्यवहारिक प्रशिक्षण अनिवार्य कर देना चाहिये। प्रतियोगी परीक्षा कराकर सीमित विद्यार्थियों को ही विधि में प्रवेश देना चाहिये। जो व्यक्ति विधि व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं उन्हें दो साल का व्यवहारिक प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिये। साधारण प्रश्नों के अलावा वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी परीक्षा में सम्मिलित किया जाना चाहिये जिससे कि उनके वास्तविक ज्ञान का पता लग सके। आजकल कोई भी व्यक्ति विधि की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात आसानी से दूसरे दिन विधि व्यवसाय में प्रवेश कर सकता है। इंजीनियरी, डाक्टरी वास्तुविद आदि के व्यवसाय में इस प्रकार का प्रवेश सम्भव नहीं है। इसके पूर्व उन्हें कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। विधि व्यवसाय अपनाने से पहले प्रवेश परीक्षा का होना आवश्यक है। जो व्यक्ति सफलता पूर्वक परीक्षा पास कर ले केवल उसे ही इस व्यवसाय में प्रवेश देना उचित होगा। यह उचित होगा यदि पाँच वर्षीय विधि पाठ्यक्रम प्रविधित किया जाय।

There must be a radical change. The most important change required is to make them equipped with a very good knowledge of English, without such knowledge it is impossible for any one to understand the judgments of the Privy council or of the Supreme Court or of the High Courts which draw nice distinction between one legal term and another and create a mental make up in the student of the art of putting forth such distinction in argument. Teaching of LL.B. should not be confined to morning and evening sessions only but there should be regular teaching so that only really interested persons may join the course.

बार का विचार -

मौलिक या आधारभूत परिवर्तन होना चाहिये। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह अंग्रेजी विषय के ज्ञान के सम्बन्ध में है। क्यों कि जितने भी प्रिवी कांउसिल, सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के निर्णय होते हैं वे सब अंग्रेजी में ही हैं जिसमें बड़ी ही सुन्दरता के साथ एक विधिक शब्द को दूसरे से भिन्न किया गया है, जो कि बाद की बहस के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। केवल सुबह या शाम की विधि कक्षाओं से ही समस्या हल नहीं हो सकती। विधि की पढ़ाई नियमित होनी चाहिये।

Q.9 Do you think that there should be a five years course for law degree after Intermediate?

Replies from Bench

There should be emphasis on practical training and that is more important than increasing the period course for law degree. For those who intend to join Bar/Bench there should be five years course after Intermediate examination. A five year course after Intermediate may yeild some results. It may reduce the number of persons entering into the profession. Through five years course only those will enter who really want to join the profession. In that event some provision should be made for payment of stypend to them for about five years after their entry into the profession.

This will certainly help in raising the standard of legal education. It will compel the students/parents to think at that stage itself whether law will be the base of his career. The obvious benefit of such change will be that only those parents would allow their wards to join the legal courses who have seriously thought about the future of their wards and who sincerely intend to bring them into the legal profession. This will completely discourage the present practice that LL.B. course be also joined if the student is still unemployed or has not made a mark in his studies in other subject. Even if

प्रश्न-9 क्या आप इससे सहमत हैं कि इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद विधि का पाठ्यक्रम पाँच वर्ष का कर दिया जाना चाहिए?

न्यायपीठ का विचार –

विधि की पढ़ाई की अवधि बढ़ाने के बजाय यदि व्यवहारिक प्रशिक्षण पर जोर दिया जाय तो अधिक उचित होगा। जो लोग न्यायपीठ/बार के सदस्य बनना चाहते हैं उनके लिये इण्टरमीडिएट परीक्षा पास होने के पश्चात् पाँच वर्षीय विधि पाठ्यक्रम होना चाहिये। पाँच वर्ष की अवधि बढ़ाने से कुछ परिणाम प्राप्त हो सकता है। इससे विधि विषय में प्रवेश लेने वालों की संख्या कम हो जायेगी। पाँच साल की अवधि किये जाने से केवल वही व्यक्ति इसमें प्रवेश लेंगे जो कि वास्तव में विधि व्यवसाय में आना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को व्यवसाय में प्रवेश करने की तिथि से पाँच वर्ष तक के लिये कुछ धनराशि देने की व्यवस्था करनी चाहिये।

इससे विधि शिक्षा का स्तर उठने में मदद मिल सकती है। यह विद्यार्थियों तथा उनके माता-पिता को यह सोचने पर विवश कर देगा कि क्या विधि को उनकी आजीविका का स्रोत बनाया जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष लाभ होगा कि ये ही अभिभावक, अपने बच्चे को विधि पाठ्यक्रम के लिये बाध्य करेंगे, जिन्होंने बच्चे को विधि व्यवसाय में प्रवेश दिलाने की सोचा है। इससे यह प्रवृत्ति निरुत्साहित होगी कि जो लोग सोचते हैं कि, विद्यार्थी बेरोजगार है या पढ़ाई में उसने विशिष्टता नहीं पाई है, तो विधि कक्षा में प्रवेश दिला दिया जाय।

law is made one of the subjects in B.A. and is taught for 3 years it will be helpful for them who want to make law as their career. They may study it for two years more on the lines of M.A. in other sujects. But both options should be kept open i.e. 5 years courses as well as two or three years course after graduation.

यदि बी.ए. में विधि को विषय बना दिया जाय और जो लोग विधि को व्यवसाय के रूप में चुनना चाहते हैं उन्हें कक्षा में 3 वर्ष तक पढ़ाया जाय तो भी यह लाभदायक होगा। एम.ए. के दूसरे विषयों की तरह विधि को भी 2 वर्ष तक के लिये पढ़ सकते हैं किन्तु दोनों विकल्प उपलब्ध रहना चाहिये, या तो पाँच वर्षीय पाठ्यक्रम या स्नातक होने के बाद दो या तीन वर्ष का पाठ्यक्रम।

It would be nothing but criminal who compel young citizen to spend five years of their young active life in this way. On the other hand, the first two years of the present three years course should be utilised for giving the student education in history of the profession, ethics, International Law or jurisprudence including equity and the Constitution of India. The student should be compelled to make a choice as to whether he wants to practice or to have special knowledge of the law and practice, and should be given special theoritical training and teaching for six months in the subject chosen by him and thereafter if he wants to enter in the profession or in the judicial service he must not under any circumstance be allowed to do so without practical training under a senior lawyer for atleast two years.

Another view is that five years course for law degree after Intermediate examination shall be very good. This will reduce the number of non serious students in such a course who sometime get admission as they are denied admission in other courses.

Yet another view is that only three years degree course after graduation is sufficient. Study of law and more so human affairs and deep knowledge of various branches of learning and human behaviour should be made part of the legal education.

युवा पीढ़ी के लिये पाँच वर्ष का विधि का पाठ्यक्रम एक तरह से अपराध होगा। बजाय इनके वर्तमान तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम दो वर्ष में उन्हें विधि का इतिहास, अन्तर्राष्ट्रीय विधि, विधि शास्त्र व संविधान का समुचित ज्ञान दिया जाये। विद्यार्थियों को बाध्य किया जाय कि वह विकल्प लेवें कि क्या वे विधि के व्यवसाय में प्रवेश करना चाहते हैं या विधि एवं व्यवहार का विशिष्ट ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं और उन्हें 6 मास का विशिष्ट सैद्धान्तिक प्रशिक्षण एवं अध्यापन उनके चुने हुए विषय में दिया जाय और तत्पश्चात यदि वे विधि व्यवसाय या न्यायिक सेवा में आना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम 2 वर्ष का व्यवहारिक प्रशिक्षण, किसी वरिष्ठ अधिवक्ता के अन्तर्गत अवश्य दिलाया जाय।

एक अन्य विचार के अनुसार इण्टरमीडियेट परीक्षा पास होने के पश्चात् पाँच वर्षीय विधि पाठ्यक्रम का प्रस्ताव उत्साहवर्धक है। इससे उन प्रवेश लेने वालों की संख्या कम होगी जो अन्य किसी विषय में प्रवेश न मिलने पर विधि विषय में प्रवेश लेते हैं।

कुछ अधिवक्ताओं का विचार है कि विधि का पाठ्यक्रम तीन वर्ष का ठीक है। विधि शिक्षा में विधि की पढ़ाई, ज्ञान की अन्य शाखाओं व मानवीय प्रकरणों एवं मानवीय व्यवहारों का विशद ज्ञान सन्निहित है।

Q.10 Do you think that the admission of the law classes should be given after holding a competitive examination after Intermediate like that of Engineering and Medical degrees?

Replies from Bench

When seats are lir.ited Entrance Examination is the only way to regulate admission. For those who intend to join Bar-Bench, after Intrmediate Examination there should be competitive examination, like Engineering or Medical degree. The admission should be very restricted for LL.B. classes. Emphasis on tutorial and practical side of legal profession should be given more weightage. If it is enforced it will provide a screening. Advanced study of law may be allowed after holding some test.

प्रश्न-10 क्या आप इससे सहमत हैं कि मेडिकल या इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम की तरह विधि पाठ्यक्रम में भी प्रवेश, प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा के उपरान्त दिया जाय?

न्याय पीठ का विचार –

यदि सीट सीमित हैं तो प्रवेश को नियमित करने के लिये ऐसा करना ही एक मात्र रास्ता है। वे व्यक्ति जो कि वास्तव में न्यायिक सेवा या बार में आना चाहते हैं तो उनके लिये मेडिकल या इंजीनियरिंग की तरह प्रवेश परीक्षा उचित होगी। विधि के सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक ज्ञान पर ज्यादा बल देना उचित होगा तथा यदि इसे कार्यान्वित किया गया तो यह अनुवीक्षण का कार्य करेगा। विधि के उच्च स्तरीय पाठन का प्राविधान योग्यता परीक्षण के पश्चात् किया जा सकता है।

If the admission into law course is made on the basis of competitive examination like medical and Engineering degrees it is bound to improve the standard and qualification of law graduates.

बार का विचार –

मेडिकल या इंजीनियरिंग परीक्षा की तरह इसमें भी प्रवेश परीक्षा होने से विधि स्नातकों के स्तर व ज्ञान में सुधार आयेगा।

Q.11 Do you think that before enrolement as an Advocate training for one year with some senior lawyers is desirable?

Replies from Bench

Yes, it is desirable because this training acquaints the new entrants with traditions of the profession. Besides one year training with a senior lawyer, particularly for practising in High Court, an examination or test should be made compulsory. Only those lawyers should be allowed to practice in High Court who qualify the test and initially they should be enrolled as an Advocate on record.

प्रश्न-11 क्या आप सोचते हैं कि नामांकन के पूर्व अधिवक्ता का वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ एक वर्ष का प्रशिक्षण लेना उचित होगा?

न्यायपीठ का विचार –

हाँ। ऐसा वांछनीय है। क्योंकि प्रशिक्षण से अधिवक्ताओं को इस व्यवसाय की परम्पराओं का ज्ञान होगा। वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ एक वर्ष के प्रशिक्षण के अतिरिक्त, उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिये एक परीक्षा अनिवार्य होनी चाहिये। उन्हीं अधिवक्ताओं को उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस की अनुमति प्रदान करनी चाहिये जो कि परीक्षा में सफल हों तथा उनका ही नामांकन किया जाना चाहिए।

Yes, before enrolement as an Advocate practical training is a great necessity just like house job for medical students. One year training to be followed by an examination is necessary as originally provided for direct admission as an advocate. This examination may be conducted by the High Court.

बार का विचार –

हां, जिस प्रकार मेडिकल विद्यार्थियों के लिये हाउस जाब अनिवार्य है उसी प्रकार विधि व्यवसाय या प्रैक्टिस के लिये व्यवहारिक प्रशिक्षण नामांकन के पूर्व अनिवार्य होना चाहिये। अधिवक्ता के रूप में नामांकन होने के लिये उच्च न्यायालय द्वारा एक परीक्षा ली जानी चाहिये उसी के बाद नामांकन होना चाहिये।

Q.12 **Do you think that there should be two classes of lawyers namely senior lawyers and Advocates on record at the level of the District Courts as well?**

Replies from Bench

One view is that there should be no classification. Because even in the High Court the classification of Advocates into Advocates on record and Senior Advocates is serving no purpose. Quite a few senior Advocates, it is said, are accepting briefs and fees direct from the litigants. Original court practice is fundamentally different from the practice. It is desirable that there should be direct contact between the litigant and his counsel. Most of the members of lower judiciary are not in favour of two classes of lawyers. But a few members of Higher judiciary are in favour of two classes of lawyers. Their view is that Senior lawyers in lower courts should have at least 20 years practice and should have handled at least 500 cases. The provision for the appointment of senior lawyers particularly for practising in High Court still exists, but the system has failed for the reason that the senior lawyers have failed to perform their duties as senior lawyers. Undoubtedly they engage the junior lawyers, but generally, they do not pay any fees to junior lawyers as a result of which junior lawyers having no income and work often indulge into activities which are undesirable. On principle there should be two categories but it should be made incumbent upon the senior lawyers to share their income with junior lawyers. Senior lawyers should not be allowed to appear in the court without a junior.

प्रश्न-12 क्या आप सोचते हैं कि अधिवक्ताओं के दो वर्ग होने चाहिये वरिष्ठ अधिवक्ता एवं जिला स्तर के अधिवक्ता?

न्यायपीठ का विचार -

कुछ के विचार के अनुसार ऐसे वर्गीकरण की कुछ आवश्यकता नहीं है। क्योंकि उच्च न्यायालयों में वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ता आन रिकार्ड होने पर भी कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं हुआ। कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता सीधे वादकारी से प्रत्यक्ष फीस वसूल करते हैं। मूल प्रैक्टिस अपीलीय न्यायालय की प्रैक्टिस से पूरी तरह भिन्न है। यह उचित होगा कि वादकारी व अधिवक्ता के मध्य सीधा सम्पर्क रहे। निचली न्यायालय के बहुत से अधिवक्ता इस वर्गीकरण के पक्ष में नहीं हैं। उच्चतर न्यायिक सेवा के कुछ सदस्य इस प्रकार के वर्गीकरण के पक्ष में हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता के लिये कम से कम बीस वर्ष की प्रैक्टिस व अधिकतम किये गये वादों की संख्या लगभग पाँच सौ होनी चाहिये। वरिष्ठ अधिवक्ताओं की उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस के लिये प्रावधान है किन्तु वह तंत्र असफल हो गया। इसका कारण यह है कि वरिष्ठ अधिवक्ता अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रहे। ऐसा नहीं है कि वे अवर अधिवक्ताओं को अपने से सम्बद्ध नहीं करते किन्तु उन्हें कोई फीस नहीं देते जिसकी वजह से उनको कोई आमदनी नहीं होती तथा वे अनुचित कार्यकलाप में लग जाते हैं। सिद्धान्त रूप में दो श्रेणी अधिवक्ताओं की होनी चाहिये किन्तु उन पर इस बात को अनिवार्य करना चाहिये कि वे अपने आमदनी का कुछ भाग अवर अधिवक्ताओं को भी दें। अवर अधिवक्ताओं के बिना वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायालय में उपस्थित होने की अनुमति नहीं देनी चाहिये।

Another view is that it is not necessary to introduce a class system. Experience shows that the lawyers who acquaint themselves well in the profession they themselves carve out a place for themselves in the profession and by virtue of their standing, their deligence, intelligence and their achievement in the profession they are respected by other members of the Bar and are addressed invariably as senior lawyers in the Bar by others.

कुछ का विचार है कि इस प्रकार की दो श्रेणी बनाने का कोई लाभ नहीं है। अनुभव से ज्ञात हुआ है कि वे अधिवक्ता जो कि अपने व्यवसाय के लिये गम्भीर है तथा विधि का ज्ञान रखते हैं वे अपने को बुद्धिमता तथा कौशल के द्वारा ऊपर उठा लेते हैं। जिससे कि उन्हें बार के अन्य सदस्यों द्वारा आदर भी प्राप्त होता है तथा वे वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में जाने जाते हैं।

The question implies that lawyers at the level of District Courts are to be must with the senior lawyers, if it so implies as if lawyers other than those at the level of District Courts i.e. in the High Court are all seniors, this is neither a fact nor feasible. Seniors should not be debarred from appearing in courts at the District level and similarly juniors should not be debarred from appearing in the High Court, or Supreme Court. There cannot be any division of lawyers on the basis of courts. It has to be on the basis of length of practice only. Most of the lawyers are not in favour of this classification. Those who have acquired knowledge of fundamentals alone should be allowed to practice in the High Court.

बार का विचार –

जिला स्तर के जो भी अधिवक्ता है उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ होना चाहिये, का तात्पर्य यदि यह है कि जिला स्तर के अलावा उच्च न्यायालय के अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता हैं तो यह न ही तथ्य है, और न ही युक्ति-युक्त है।

वरिष्ठ अधिवक्ताओं को जिला न्यायालयों में प्रैक्टिस करने के लिये विवंचित नहीं करना चाहिये, न ही अवर अधिवक्ताओं को उच्च न्यायालय में प्रवेश या प्रैक्टिस करने के लिये विवंचित करना चाहिये। न्यायालय के आधार पर अधिवक्ताओं के वर्गीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा केवल अनुभव व प्रैक्टिस की अवधि के आधार पर करना उचित होगा। अधिकतर अधिवक्ता इस प्रकार के वर्गीकरण के पक्ष में नहीं हैं। जिन अधिवक्ताओं को मूल ज्ञान है उन्हें उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने देना चाहिये।

Q.13 What qualifications would you suggest for becoming a senior Advocate/Advocate?

Replies from Bench

For becoming a senior lawyer, outstanding performance as an Advocate is a precondition. The performance need not necessarily be judged by accumulation of wealth. Practice of not less than twenty years is also one of the requirements. Only those persons deserve to be appointed as senior lawyers either in civil court or in High Court who have unblamished record of practice. Their conduct and behaviour inside and outside the court should be exemplary. Only those persons be enrolled as senior lawyers who are approved by the Full Court of the High Court on the recommendation of District Judge and two senior Additional District Judges of the District. One should be designated as senior Advocate on account of his knowledge and eminence in profession with certain length of practice. This classification is necessary only at the level of High Court and not at the level of subordinate courts. For advocates, LL.B. degree with some practical training with some senior lawyers or with some lawyer of a penal of lawyers is necessary. This panel may be constituted by the Chief. Justice in the High Court and the District Judge in the District considering such lawyer's general suitability to impart training. A senior Advocate should have made a mark in the profession. He should be a man of long experience, repute commanding respect and regards from the Bar and also from the Bench. Senior lawyers are always treated with great respect and honour. A lawyer who tends to show misconduct should never be considered for any distinction or elevation.

प्रश्न-13 वरिष्ठ अधिवक्ता/अधिवक्ता के लिये क्या योग्यतायें होनी चाहिये?

न्यायपीठ का विचार –

वरिष्ठ अधिवक्ता बनने के लिये उत्कृष्ट कौशल होना चाहिये। आचार या कौशल के लिये सम्पन्नता का होना आवश्यक नहीं। कम से कम बीस वर्षों का अनुभव आवश्यक है। केवल उन्हीं को ही वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करना चाहिये जिनका कीर्तिमान एवं आचरण उल्लेखनीय हो। वे अधिवक्ता जिन्हें कि उच्च न्यायालय अपनी सहमति जिला न्यायाधीश एवं दो अन्य अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की संस्तुति पर दे, वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्त करना चाहिये। अपने ज्ञान एवं दक्षता के आधार पर ही वरिष्ठ अधिवक्ता को नियुक्त किया जाना चाहिये। ऐसा वर्गीकरण उच्च न्यायालय के स्तर पर तो ठीक है किन्तु जिला न्यायालय के स्तर पर नहीं। वरिष्ठ अधिवक्ता के लिये एक लम्बा अनुभव मान एवं प्रतिष्ठा तथा बार के सदस्यों के मन में उनके लिये आदर की भावना होनी आवश्यक है। वरिष्ठ अधिवक्ता को सदैव प्रतिष्ठा एवं आदर की भावना से देखना चाहिये। वह अधिवक्ता जो कि दुराचरण के लिये दोषी हो उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता नहीं नियुक्त किया जाना चाहिये।

None should be classified as a senior advocate unless he wishes and applies for being so classified. None should be classified as a senior Advocate unless he has been a member of a recognised Bar Association for at least ten years and a resolution is passed by the Bar Association that his reputation and conduct as a member of Bar entitled him to be classified as a senior Advocate. Competency as an advocate can only be the qualification for becoming a senior advocate. An advocate with 20 years standing at the Bar and who have gained reputation for integrity etc. should be made a senior lawyer. A committee of senior judges and the representatives of the Bar should make a recommendation to the High Court for an advocate being designated as a senior advocate. His knowledge of law should be demonstrably sound, and only when all the senior members of the Bench of the District concerned unanimously recommend his name. Apart from the criteria which is being followed, seniority should be conferred sparingly to the Advocate of unimpeachable integrity and learning.

बार का विचार -

ऐसे वर्गीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है जब तक कि कोई उसके लिये आवेदन न करे। कोई वरिष्ठ अधिवक्ता तब तक नहीं हो सकता जब तक उसे बार संघ द्वारा मान्यता न प्राप्त हो, तथा उसकी दस वर्ष की प्रैक्टिस न हो। बार संघ द्वारा एक प्रस्ताव पारित होना चाहिये जिससे स्पष्ट हो कि उनका आचरण एवं प्रतिष्ठा दोष रहित है, तभी उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त किया जाना चाहिये। योग्यता को ही वरिष्ठ अधिवक्ता का मापदंड बनाना चाहिये। वरिष्ठ अधिवक्ता के लिये स्वच्छ आचरण एवं बीस वर्षों की प्रैक्टिस होनी चाहिये। वरिष्ठ न्यायाधीश को उच्च न्यायालय को अपनी संस्तुति देनी चाहिये कि अमुक अधिवक्ता को विधि का अद्यावधिक एवं समुचित ज्ञान है। वरिष्ठ अधिवक्ता की सत्यनिष्ठा भी प्रमाणित होनी चाहिये।

Q.14 Do you feel that the relationship between the members of Bar and Bench is that of co-parceners?

Replies from Bench

Co-parcenary is a peculiar concept of Hindu Law. It cannot be applied to describe relationship between the members of the Bench and the Bar. Bench and the Bar are partners in the administration of justice. There should be some distance between the Bar and the Bench. They have certainly to be co-operative with each other.

They are seperate pillars of judicial system with distinct responsibilities. There is unity of interest so far the well being of the system is concerned, both are beneficiaries but not otherwise. On this account alone it can not be equated with relationship of co-parcerners. They are much more than that. They are the two wheels of the chariot of the justice. If one falls on the ground the whole judicial system will collapse.

प्रश्न-14 क्या आप समझते हैं कि न्यायपीठ एवं अधिवक्ता का संबंध सहभागी की तरह है?

न्यायपीठ का विचार-

सहभागी हिन्दू विधि का शब्द है। इसका प्रयोग न्यायपीठ एवं बार के सम्बन्धों के लिये नहीं किया जा सकता। न्याय के प्रशासन में न्यायपीठ एवं बार भागीदार हैं। बार एवं न्यायपीठ के सदस्यों में कुछ दूरी होनी चाहिये। उन्हें आपसी सहयोग से कार्य करना चाहिये।

न्यायिक तंत्र में ये दोनों एक पृथक खम्भे की तरह हैं। दोनों की अलग-अलग जिम्मेदारियाँ हैं। हित के लिये दोनों में सामंजस्य होना चाहिये। इस प्रकार इन दोनों को सहभागी नहीं कहा जा सकता। इनका सम्बन्ध इससे कुछ ऊपर है। यह दोनों न्याय रथ के दो पहिये हैं, यदि एक भी गिर जायेगा तो सम्पूर्ण न्यायिक तंत्र विकल हो जायेगा।

Relationship between the members of the Bar and Bench as it exists at present cannot be justly described as co-parceners of a joint Hindu family. The lawyers however old and experience they may be, have to address the Bench however young and less experienced he or they may be as "Me Lord". The relationship should be akin to that of a joint Hindu family without a karta. The relationship between, the members of the Bar and the Bench can be described as two wheels of the same cart. The concept of co-parcenery has lot of evils and those were the reasons for the downfall of joint family concept.

बार का विचार-

न्यायपीठ एवं बार के सदस्यों का सम्बन्ध सहभागी की तरह नहीं कहा जा सकता, जो कि हिन्दू विधि का शब्द है। अधिवक्ता चाहे अनुभवी व पुराने हों, किन्तु उन्हें तब भी युवा पीढ़ी के न्यायाधीशों को "भी लार्ड" कहकर सम्बोधित करना पड़ता है। दोनों का सम्बन्ध सजातीय होना चाहिये। न्याय पीठ एवं बार का सम्बन्ध एक ही गाड़ी के दो पहियों की तरह माना जा सकता है। सहभागी शब्द इस सम्बन्ध के लिये प्रयोग करने से कई दोष होंगे।

Q.15 Do you agree that strike is weapon of workers against proprietors?

Replies from Bench

Strike is used by workers against their employers to achieve their demands from them. Lawyers are members of spiritual organisation, namely, judiciary and have no right of strike. They cannot treat themselves as workers of a proprietor. Strike should never be resorted in court either by the officer or by the Bar or by the judiciary. If we go into the history, then we can see that strike was really a weapon of helpless workers against mighty proprietors. Strike is not a weapon for reasoned person who does not need to fight with sword but by pen. A man like a lawyer can always convince the Bench by his forceful and logical arguments and all discrepencies may be settled across the table by mutual discussion in amicable manners. There is no reason for a lawyer to resort strike which is historically a weapon only for a helpless worker. It is only a method of showing protest and step for redressal of grievance. On its abuse, it may some times get transformed into a weapon which should not be permitted.

प्रश्न-15 क्या आप इससे सहमत हैं कि हड़ताल कर्मचारियों के लिये अपने मालिकों के विरुद्ध हथियार है?

न्यायपीठ का विचार-

कर्मचारियों का मालिकों के विरुद्ध हड़ताल पर जाने का मतलब अपनी माँगों को पूरा करवाने से है। अधिवक्ता अध्यात्म संघ के सदस्य हैं, जिसका सम्बन्ध न्यायपालिका से है, उन्हें हड़ताल का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें हड़ताल को हथियार की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिये। न्यायपीठ या अधिवक्ता दोनों को ही हड़ताल का सहारा नहीं लेना चाहिये। यदि हम इतिहास में जायें तो हड़ताल वास्तव में असहाय कर्मचारियों का हथियार था। हड़ताल वास्तव में समझदार लोगों का हथियार नहीं होना चाहिये। उन्हें तलवार के बजाय कलम का आश्रय लेना चाहिये। अधिवक्ता को सदैव अपने तर्क एवं ज्ञान से न्यायपीठ को सन्तुष्ट करना चाहिये। सभी विरोध या विभेद को आपस में बैठ कर वार्ता द्वारा शान्तिपूर्ण ढंग से तय करना चाहिये। ऐसा कोई कारण नहीं है कि अधिवक्ताओं को हड़ताल का सहारा लेना पड़े। ऐसा केवल विरोध को प्रकट करना है। हड़ताल की अनुमति नहीं देनी चाहिये।

It is absolutely wrong to say tha strike is a weapon of workers against proprietors only. It is correct to say that the right to strike orginated in favour of workers against the high handed actions and behaviour of their employees. The only remedy to avoid strike is, that a board or a similar institution should be created for settling dispute between the Bar and the Bench by talks across the table in which dispute should be discussed in proper prospective. Lawyers are the parts of society and the society cannot keep lawyers aloof and in order to show their resentment and protest on rare occassions it may be permissible to resort to the strike. This is an instrument of collective bargaining by Trade Unions.

बार का विचार-

ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि हड़ताल एक हथियार की तरह है। हड़ताल तभी होती है जबकि मालिकों का व्यवहार उचित नहीं होता या उनकी कार्यवाही सही नहीं होती। अधिवक्ताओं को हड़ताल से रोका नहीं जा सकता। हड़ताल रोकने का एक ही उपचार है कि किसी बोर्ड या इसी प्रकार की संस्था का गठन आपसी झगड़े को सुलझाने के लिये किया जाय। यदि आपस में बैठकर बातचीत की जाय तो उचित हल निकल सकता है। अधिवक्ता समाज के ही अंग हैं। समाज उन्हें अपने से अलग नहीं कर सकता। अतः अपने रोष को प्रकट करने के लिये उन्हें हड़ताल करने की अनुमति होनी चाहिये। अगर देखा जाये तो यह व्यापारिक संस्था के मोलभाव का एक यंत्र है।

Q.16 Why lawyers go on strike so often?

Replies from Bench

A worker goes on strike to protest against his employer. A lawyer goes on strike which has the effect of prejudicing the cause of his client. His grievances are invariably directed against the administration and some times they may be directed against the court. When the lawyers go on strike neither the members of the Bench are affected nor to a large extent the administration. Strike by lawyers is a suicidal step. Lawyers go on strike primarily to satisfy their ego. Of late, lawyers have started going on strike on petty matters, even though there may be hardly any justification for such strikes. Lawyers go on strike so often due to the vested interest of some section of the Bar or the other. Apitite to usurp administration of justice and instigation by a section of the Bench itself, are sometimes responsible for strike. Those who do not have enough briefs are the ones who are interested in strikes. Senior Advocates go back to their homes and those who precipitate strikes often remain in court and mostly charge heavy fees for urgent work on strike days. This is how they earn and florish. Social, economic and political tensions in the society, over-crowding in Bar, accumulation of arrears of cases, loss of moral ethics and religious value, lack of proper education and training, non-tactical handling by presiding officers, indifferent attitude of Administrative Judges in not resolving the conflict at the initial stage, lack of administrative experience of District Judge, callous and indifferent attitude of senior lawyers towards strikes are some

प्रश्न-16 अधिवक्ता बहुधा हड़ताल पर क्यों जाते हैं?

न्यायपीठ का विचार-

एक मजदूर, अपने नियोजकों के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त करने के लिये हड़ताल का सहारा लेता है। अधिवक्ताओं के हड़ताल पर जाने से उनके वादकारी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उनकी शिकायतें प्रायः प्रशासन के विरुद्ध रहती हैं और कभी-कभी वे न्यायालय के विरुद्ध होती हैं। अधिवक्ताओं के हड़ताल पर जाने से न्यायपीठ के सदस्य या प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल, उनके लिये स्वयं घाती है। प्रथमतयः अधिवक्ता अपने अहम की संतुष्टि के लिये हड़ताल पर जाते हैं। इधर हाल के दिनों, छोटे-छोटे मामलें को लेकर हड़ताल होने लगे हैं, चाहे हड़तालों का कोई औचित्य न हो। बार के कुछ सदस्य अपने या अन्य के लिये, निहित हित के पूर्ति के लिये बहुधा हड़ताल का सहारा लेते हैं। कभी-कभी न्याय के प्रशासन को छीनने के प्रयास या कुछेक न्याय पीठ के सदस्यों के ठकसाने के फलस्वरूप भी हड़ताल होते हैं। जिनके पास पर्याप्त कार्य नहीं है, वे हड़ताल में रुचि लेते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता उस स्थिति में अपने अपने घर चले जाते हैं और जो लोग हड़ताल को बढ़ावा देते हैं वे हड़ताल के दिनों ऊंची-ऊंची फीस लेकर न्यायालय में कार्य करते हैं, इसी प्रकार वे आय करते हैं और अपने को बढ़ाते हैं। समाज में, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक तनाव, बार के सदस्यों की अधिक संख्या, अनिस्तारित मुकदमों की संख्या में वृद्धि, नैतिक मूल्य एवं धार्मिक आस्था में कमी, उचित शिक्षा एवं प्रशिक्षण की कमी, अधिकारियों द्वारा, अधिवक्ताओं के साथ अव्यवहारिक व्यवहार, प्रारम्भिक स्तर पर प्रशासनिक न्यायाधीशों द्वारा समस्या के निदान में अरुचि, वरिष्ठ अधिवक्ताओं का हड़ताल के प्रति

of the main factors for strikes. Sometimes the strikes are resorted to when some advocate is involved in some incident.

There is growing trade union tendency. Before going to the strike they do not seriously consider whether the cause relates to the working of the court, whether it will have any effect on the agency against whom the grievance is. The inconvenience to the litigants and the loss of man hours is lost sight of.

The lawyers should evolve some other means of expressing their views and they must realise that by going on strikes they are violating their contractual obligations.

अनियंत्रित एवं नीरस दृष्टिकोण, कुछ ऐसे कारण हैं जो हड़ताल के लिये उत्तरदायी हैं। कभी-कभी हड़तालों का उपयोग तब किया जाता है जब कभी कोई अधिवक्ता, किसी आपराधिक प्रकरण में बाधित हो जाता है।

व्यापारिक संघ जैसी प्रवृत्ति वकीलों में है। हड़ताल पर जाने के पूर्व गंभीरता से इस बिन्दु पर विचार नहीं होता कि क्या हड़ताल का संबंध किसी न्यायालय के काम से संदर्भित है, क्या उसका प्रभाव, उस पर पड़ेगा जिसके विरुद्ध शिकायत है।

अधिवक्ताओं को हड़ताल के अतिरिक्त अन्य तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिसके द्वारा वे अपने शिकायतों को व्यक्त कर सकें और उन्हें यह तथ्य समझना चाहिये कि हड़ताल के कारण वे अपने संविदात्मक दायित्व का वहन नहीं कर रहे हैं।

The lawyers go on strike so often because there is no institution for settling their disputes with those entrusted with the duty of administration of justice in the imperialistic manner of the Britishers.

The lawyers have fallen in the bad habit of going on strike so often for petty matters which can not be justified. The strike by lawyers is deplorable. The reason is that the vocal minority has not much professional work and they do not stand to lose financially. They wish to gain by other methods, strike being one. Large number of lawyers are unemployed. They do not have means so they are very easily persuaded to go on strike even without a reason. The junior members misbehave and forcibly pass resolution for strike. The tendency is that since they are starving why should any one earn. Most of the times on matters which are outside the scope of their profession, a small vociferous minority sways over a silent majority.

Some of the Bar Associations have drafted into the hands of briefless lawyers, who are frustrated in life and find an expression through strike and conflicts in assuming leadership. A growing tendency to claim more privileges and intolerance on small matters is exhibited, and more so when collective decisions are taken. There is no one to guide or call halt because the reasonable and respectable lawyers recoil into their shell. Most of the time the strike is a non-issue. Majority being of under-employed, they have no stake of any kind in going on a strike.

अधिवक्ता हड़ताल पर इस लिये जाते हैं क्योंकि ऐसी संस्था नहीं है जहाँ पर, ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित न्याय प्रशासन में तीन अधिकारियों के मध्य उपजे मतभेदों को सुलझाया जा सके।

छोटे-छोटे मामलों में अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल पर जाने की आदत हो गयी है, जिनका कोई औचित्य नहीं है। जो बड़बोले अधिवक्ता हैं, उनके पास अधिक कार्य नहीं है और यह हड़ताल का कारण है। वे अन्य कारणों से लाभान्वित होना चाहते हैं, जिनमें हड़ताल भी एक कारण है। अधिवक्ताओं की अधिकतम संख्या, बेकार है। उनके पास जीवन यापन का स्रोत नहीं है इसलिये भी वे हड़ताल पर जाते हैं और हड़ताल का प्रस्ताव पारित कर देते हैं। यह प्रवृत्ति हो गई है कि जब वे कार्य नहीं पा रहे हैं तो दूसरा क्यों कार्य करे। अधिकतम समय को उन बातों पर व्यतीत किया जाता है जिनका व्यवसाय से कोई सम्बन्ध नहीं है। कुछ अधिक बोलने वाले कम संख्या के लोग, अधिक संख्या के शांत लोगों पर हावी हो जाते हैं।

कुछ बार संघ, मुकदमारहित कनिष्ठ अधिवक्ताओं के हाथ में चला गया है जो जीवन में कुंठित हो गये हैं और हड़ताल के माध्यम से वे अपनी बात कह पाते हैं और अपने नेतृत्व को मतभेदों के माध्यम से पैनी करते हैं। अधिक सुविधा पाने की लालसा बढ़ गई है और छोटे-छोटे प्रकरणों में भी असहनशीलता बढ़ गई है और ऐसा ज्यादातर होता है जब निर्णय समूह में होता है। कोई उन्हें दिशा निर्देश या नियंत्रित करने वाला नहीं है क्योंकि उचित एवं आदरणीय अधिवक्ता, हड़ताल के दिनों अपनी चुप्पी कर लेते हैं। अधिकतर हड़ताल, अप्रासंगिक प्रकरणों में होते हैं। चूंकि बहुतायत अर्थरोजगारों की होती है, वे लोग हड़ताल पर जाने पर कुछ खोते नहीं।

Q.17 How the lawyers gain by proceeding on strike?

Replies from Bench

The lawyers do not gain anything by proceeding on strike except the satisfaction of their ego. The administration is least bothered when lawyers go on strike. The judiciary bothers because the interest of litigant suffers. Some of the lawyers who have no legal acumen and the knowledge of the law and the experience in conducting cases, often resort to strike to show their muscle power and coerce the Presiding Officers to pass orders in their favour. Such people undoubtedly gain by going on the strike but most of the lawyers and their clients suffer due to strike. Apparently they gain some time off their work. There is no loss of money and earning as most of them do miscellaneous work like bail and injunction work etc. Some times such resolutions have been passed permitting the members to do the miscellaneous work. Some of them whose litigants are interested in delaying the proceedings in court may be said to gain by proceeding on strike. They also stand to gain by not working in courts even though they have charged their professional fee for the work.

The reasons for resorting to strike are various. Of late this tendency has developed because majority in the Bar consists of them who have no work to do. It is this class of the members of the Bar which very often resort to strikes without any rhyme or reason, because they have nothing to lose.

प्रश्न-17 जब अधिवक्ता हड़ताल पर जाते हैं तो उन्हें क्या प्राप्त होता है?

न्याय पीठ का विचार-

अधिवक्ता केवल अपने अहम की संतुष्टि के लिये हड़ताल पर जाते हैं, इससे उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। प्रशासन भी उनके बारे में कोई चिन्ता नहीं करता। हां न्यायालय को कुछ कठिनाई हो सकती है, क्योंकि वादकारी का हित प्रभावित होता है। कुछ अधिवक्ता जिनके पास न तो विधि कुशाग्रता होती है और न ही विधिक ज्ञान तथा न वादों को प्रस्तुत करने का अनुभव वे अपनी शक्ति दिखाने के लिये हड़ताल पर जाते हैं तथा पीठासीन अधिकारी पर अनुचित प्रभाव डालते हैं कि वे उनके पक्ष में उचित आदेश पारित कर दें। ऐसे व्यक्तियों को कुछ लाभ हो सकता है किन्तु अधिकतर अधिवक्ता व वादकारी क्षति उठाते हैं। अन्य विचारों के अनुसार उन्हें आर्थिक क्षति नहीं उठानी पड़ती क्योंकि अधिकतर अधिवक्ता जमानत दिलाने या भिन्न कार्य करते रहते हैं। कभी ऐसे प्रस्ताव पारित होते हैं कि वे अन्य कार्य करते रहेंगे। वे अधिवक्ता जिनके पक्षकार यह चाहते हैं कि वाद की प्रक्रिया में देरी हो केवल वही हड़ताल से लाभान्वित होते हैं। उन्हें हड़ताल के बावजूद भी अपनी पूरी फीस मिल जाती है।

अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल करने के कई कारण हैं। आज कल ऐसी प्रवृत्ति हो गई कि काम न किया जाय। वैसे यदि यह कहा जाय कि आज कुछ अधिवक्ताओं के पास काम है ही नहीं तो अनुचित न होगा। ऐसे अधिवक्ता इसी कारण हड़ताल पर जाते हैं कि उन्हें खोने के लिये कुछ है ही नहीं।

Fifty percent loose and fifty per cent gain by the strike. There are always two sides of litigants, one who wants immediate decision and the other who wants it to be delayed. The lawyers who appear for the party who does not want immediate decision take strike to their advantage.

Another view is that the lawyers do not gain anything by proceeding on strike rather on the other hand they always loose. If there is a cause which is genuine, lawyers may be able to project their view point otherwise, than be going on strike. There is no gain, except that some of them get an excuse to prostrate the proceedings and avoid the evil day of an adverse order against their clients.

बार का विचार-

अधिवक्ताओं के लगभग आधे प्रतिशत लोगों को हड़ताल से लाभ होता है व आधे को नहीं। सदैव ही दो प्रकार के वादकारी रहे हैं, एक वे जो वाद में देरी चाहते हैं, दूसरे वे जो वाद का त्वरित निस्तारण चाहते हैं। वे अधिवक्ता जिनके वादकारी वाद में देरी चाहते हैं वे हड़ताल में भाग लेते हैं।

दूसरा विचार है कि अधिवक्ताओं को हड़ताल पर जाने से कुछ प्राप्त नहीं होता सिवाय इसके कि उन्हें हानि हो। यदि अधिवक्ताओं का कारण युक्तियुक्त हो तो भी उन्हें हड़ताल पर जाने के बजाय कोई और उपाय ढूंढना चाहिए।

Q.18 Do they not loose their professional fees?

Replies from Bench

Perhaps a few junior Advocates may loose fee, but the rest do not because of the commanding position enjoyed by them. Most of the lawyers initially realise half or full of their fee when they file their power. Hence they do not suffer any loss of fee. But those lawyers who realise their fees on each and every hearing undoubtedly suffer in realising their fees. Majority of the members of the Bar suffer economically. But they have no courage to speak against boisterious and militant section of the Bar resolving to proceed on strike.

प्रश्न-18 क्या अधिवक्ता हड़ताल पर जाने से अपनी व्यवसायिक फीस नहीं खोते?

न्याय पीठ का विचार –

कुछ एक अवर अधिवक्ता अपनी फीस का नुकसान उठाते हैं किन्तु अधिकतर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अधिकतर अधिवक्ता पूर्व में ही अपनी आधी या पूरी फीस ले लेते हैं। इस प्रकार वे कोई क्षति नहीं उठाते हैं। किन्तु वे अधिवक्ता जो कि पेशी व सुनवाई पर फीस लेते हैं वे हड़ताल से क्षति उठाते हैं। बार के अधिकतर अधिवक्ताओं के पास आर्थिक सम्पन्नता नहीं होती किन्तु फिर भी उनकी उग्र स्वभाव वाले तथा शोर गुल मचाने वाले अधिवक्ताओं से कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती है।

Only those lawyers who command daily fee, which is extremely rare and also happen to be working for the side that wants immediate decision, loose their fee on account of strike. But those who happen to be charging not daily fee and also to be appearing for the side that does not desire immediate adjudication do not necessarily loose their fee even for a day of strike.

बार का विचार -

केवल उन्हीं अधिवक्ताओं को फीस की हानि उठानी पड़ती है जो प्रतिदिन की फीस पर निर्भर करते हैं तथा वे अधिवक्ता जो त्वरित आदेश चाहते हैं उनको हड़ताल के कारण अपनी फीस की क्षति उठानी पड़ती है। वे अधिवक्ता जो कि उस पक्ष की तरफ से प्रस्तुत होते हैं जो कि त्वरित आदेश नहीं चाहता उन्हें हड़ताल से कोई हानि नहीं होती।

Q.19 What is the reaction of the client when the lawyers proceed on strike?

Replies from Bench

Perhaps not a single client feels happy when his lawyer goes on strike but he is helpless and no body bothers for him. Unfortunately the clients being virtually at the mercy of the lawyers remain docile and some what helpless. But if situation goes on like this they are bound to react against the lawyers. Reaction of client in that contingency is very unhappy. He some times even feels that the Bench mixes with the Bar in matter of strike and enjoys holiday. The clients who have obtained interim orders in their favour remain happy, even when there is strike, but those persons who are interested in getting the order vacated do not support it and often express resentment against the lawyers. The clients who are interested in the expeditious disposal of the matter oppose the strike but the clients who are interested in adopting the dilatory tactics to harras their opponent, support the strike.

The litigants suffer silently and helplessly and they curse the whole judicial system. They curse the Bench which is a part of a very important and mighty wing of the Government, because members of the Bench are not able to take any stringent action against the erring lawyers and because they are lacking with their administration skill to bring the strike to an end at an early date.

प्रश्न-19 अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल किये जाने पर वादकारी की प्रतिक्रिया क्या होती है?

न्याय पीठ का विचार -

शायद ही कोई ऐसा वादकारी हो जो कि अधिवक्ताओं के हड़ताल पर जाने से प्रसन्न होता हो किन्तु वह असहाय है क्योंकि उसकी चिन्ता किसी को नहीं होती। दुर्भाग्य से वादकारी जो अधिवक्ता की दया पर निर्भर करता है वह नग्न होता है व कहीं तक मजबूर भी। उस दशा में वादकारी की प्रतिक्रिया असन्तुष्टता व्यक्त करने वाली होती है। कभी उसके हृदय में यह विचार भी आता है कि न्याय पीठ के सदस्य अधिवक्ताओं के साथ मिलकर हड़ताल करवाते हैं व अवकाश का आनन्द लेते हैं। वे वादकारी जिन्हें अपने पक्ष में अन्तरिम आदेश मिल जाता है वे प्रसन्न रहते हैं चाहे हड़ताल रहे या न रहे किन्तु वे वादकारी जो कि आदेश को अपास्त कराना चाहते हैं वे हड़ताल का समर्थन नहीं करते तथा अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल पर जाने से अपना रोष व्यक्त करते हैं। वे वादकारी जो वाद का त्वरित निस्तारण चाहते हैं वे हड़ताल का विरोध करते हैं। किन्तु वे वादकारी जो कि विलम्ब कारी तरीके अपने विरोधी पक्षकार को निरुत्साहित करने के लिये अपनाते हैं वे हड़ताल का समर्थन करते हैं।

वादकारी चुपचाप विवशता पूर्वक सब सहन करते हैं तथा वे सम्पूर्ण न्यायिक तंत्र को कोसते हैं। वे न्याय पीठ को भी कोसते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण भाग है तथा शासन को भी। क्योंकि न्यायपीठ सब कुछ जानते हुए भी गलत अधिवक्ताओं के प्रति कोई कार्यवाही नहीं कर सकती।

The clients do not feel happy when the lawyers proceed on strike. They feel very bad about the conduct of lawyers proceeding on strike. However, the professional litigants some time feel happy when they are interested in delaying of their cases. Clients are puzzled and vexed. They do not understand why they should be made to suffer for some cause (if at all there is any) alien to them. The clients do not welcome strikes by lawyers. It adds to the delay in redressal of their grievances. Too many strikes create unfavourable reactions among clients against lawyers. They hate both the Bench and the Bar for strike. They use to be indifferent, but now it is to their disgust.

बार का विचार -

वादकारी अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल पर जाने से कभी प्रसन्न नहीं होते। वे अधिवक्ताओं के इस आचरण पर बहुत खेद व्यक्त करते हैं। कुछ व्यवसायिक वादकारी जो कि वाद में विलम्ब करना चाहते हैं उन्हें अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल किये जाने पर प्रसन्नता होती है। वादकारी यह सोचते हैं कि दूसरे लोगों के कारण उन्हें क्यों क्षति उठानी पड़ती है। वादकारी द्वारा वकील के हड़ताल पर जाने का कभी स्वागत नहीं होता। इससे उनके वाद के निस्तारण में देरी होती है। बहुत अधिक हड़ताल का वादकारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हड़ताल के संदर्भ में न्याय पीठ एवं अधिवक्ताओं दोनों से उन्हें वितृष्णा हो जाती है। पहले वे सम्मान रखते थे किन्तु अब वे अप्रसन्न रहते हैं।

Q.20 **Do the clients feel happy or unhappy about it?**

Q.21 **Do the clients sympathise when the lawyers proceed on strikes?**

Q.22 **Do the clients feel sore when the lawyers proceed on strike?**

Replies from Bench

The client is bound to feel unhappy. He engages a counsel to plead his case in court and not to enjoy holidays at his expense. They do not sympathise when the lawyers proceed on strike. Those clients may be happy who are interested in getting their cases adjourned on a particular date when the work is struck. Those who are unable to seek interim orders or early decisions of their cases feel sore, when lawyers go on strike. They are aggrieved and are unhappy except a few who are interested only in delaying the matters. The clients have hardly any sympathy with the lawyers proceeding on strike. They are victims of the situation.

प्रश्न-20 क्या वादकारी हड़ताल से खुश होते हैं या नाखुश?

प्रश्न-21 क्या वादकारी को वकीलों के साथ जब वे हड़ताल पर जाते हैं सहानुभूति होती है?

प्रश्न-22 क्या वादकारी वकीलों द्वारा हड़ताल किये जाने पर दुखी होते हैं?

न्याय पीठ का विचार –

वादकारी वकीलों द्वारा हड़ताल किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हैं। वादकारी वकीलों को अपना वाद प्रस्तुत करने के लिये नियुक्त करते हैं न कि छुट्टी का उपभोग करने के लिये। उन्हें अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल पर जाने से कोई सहानुभूति नहीं होती। केवल वे वादकारी इस हड़ताल से प्रसन्न होते हैं जिन्हें कि अपने वाद को स्थगित करना होता है। वे वादकारी जो कि अन्तरिम आदेश नहीं प्राप्त कर पाते वे अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल पर जाने से दुखी होते हैं। केवल उन्हीं वादकारियों को प्रसन्नता होती है जो कि वाद में देरी करना चाहते हैं। शायद ही अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल पर जाने से वादकारियों को सहानुभूति या प्रसन्नता होती है, क्योंकि वे हड़ताल के शिकार होते हैं।

Generally the clients do not sympathise when the lawyers proceed on strikes. However, if the demand for the strike is just and bonfide as well as other methods of redressal are insufficient, the clients may appreciate the necessity of strike and may become sympathetic to lawyers.

बार का विचार –

सामान्यतः वादकारी अधिवक्ताओं द्वारा की जाने वाली हड़ताल से प्रसन्न नहीं होते और न ही उन्हें अधिवक्ताओं के साथ सहानुभूति होती है। यदि अधिवक्ताओं की माँग उचित है, युक्तियुक्त है, तथा उसे हल करने का कोई रास्ता नहीं है तभी वादकारियों को वकीलों के हड़ताल पर जाने से सहानुभूति होती है।

Q.23 Do you think that clients confidence in the administration of justice is enhanced or lessened by the lawyers proceeding on strike?

Replies from Bench

Because of the frequency with which strikes have been resorted to by members of the Bar and the irrelevance and smallness of the issues on which strikes have been resorted to, indeed the prestige of the Bar has gone down and not of the judiciary. Lawyers strike neither enhances nor lessens the confidence of the litigant in the administration of justice.

Another view is that undoubtedly the clients confidence in the administration of justice shakes when lawyers proceed on strike. They may be expecting that some provisions may be made in the system to ban such strikes. Some times when a strike is against the conduct of a judicial officer, then it creates some doubt in the mind of the litigants but such impression is not long lived. The clients come to know that in some cases strike was unjustified.

प्रश्न-23 क्या आप सोचते हैं कि अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल पर जाने से न्याय के प्रशासन में वादकारियों का विश्वास घटता है या बढ़ता है?

न्याय पीठ का विचार –

बार-बार अधिवक्ताओं द्वारा बेकार एवं छोटे विवाद विषयों पर हड़ताल करने से बार की प्रतिष्ठा अवश्य गिरी है किन्तु न्याय पालिका की नहीं। अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल पर जाने से वादकारियों का न्याय प्रशासन में विश्वास न ही कम हुआ है और न ही अधिक।

दूसरा विचार है कि वादकारियों का विश्वास न्याय प्रशासन में अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल पर जाने से हिल जाता है। वे ऐसी आशा करते हैं कि कुछ ऐसे प्रावधान बनाये जाये जिससे कि हड़ताल पर रोक लगाई जा सके। कभी जब हड़ताल न्यायिक अधिकारी के आचरण को लेकर होती है तो कुछ संशय वादकारियों के हृदय में उत्पन्न हो सकता है किन्तु जो अधिक देर तक नहीं रहता। वादकारियों को यह जानकारी होती है कि कुछ कारणों में हड़ताल न्यायोचित नहीं है।

"Confidence in the administration of justice" depends upon numerous factors of which the strike of lawyers is a very minor one. The confidence of a litigant in the administration of justice remains almost uneffected.

Another view is that the confidence in the system has already been lost. The judicial system has come to a screeching halt. Even in High Court final hearing cases are not taken up for years and there is no decision.

बार का विचार -

न्याय प्रशासन में विश्वास कई तत्वों पर निर्भर करता है जिसमें एक अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल भी है। न्याय प्रशासन में वादकारियों के विश्वास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

दूसरा विचार है कि न्यायिक तंत्र में विश्वास पहले ही लुप्त हो चुका है। न्यायिक तंत्र आज आर्तनाद की स्थिति में आ गया है। यहाँ तक कि उच्च न्यायालय में भी वादों का अंतिम निस्तारण वर्षों नहीं हो पाता।

Q.24 Do you think that grievance of the lawyers can be redressed otherwise than by way of strike

Replies from Bench

By dialogue, it can be redressed provided there is a real grievance. Most of their grievances are imaginary. Timely intervention of the Presiding Officer or the District Judges or the Judges of High court to redress the grievances which are often trivial in nature, may create a cordial atmosphere and in such cases the strike can be avoided. Strike is not a weapon to be used by the lawyers at all. Strike can be resorted to in some rare cases with a view to lodge their protest against the wrong done which may have an effect upon the judicial system as a whole;. In subordinate Courts, District Judge can be approached for redressal of grievances, if the grievance is against District Judge himself redressal can be sought from the Administrative Judge concerned of the High Court and in case of any grievance in the High Court, Chief Justice can be approached for redressal. If the Bar is really strong its resolution should have the desired effect.

Almost in every case if it relates to the working of the courts, if it cannot be solved otherwise it can not be solved by strike. By dialogue, discrepency between two reasoned persons can and is always sorted out by mutual discussions.

प्रश्न-24 क्या आप ऐसा सोचते हैं कि अधिवक्ताओं की कठिनाईयों का निवारण हड़ताल के अतिरिक्त किसी और तरह से किया जा सकता है।

न्याय पीठ का विचार –

यदि उचित कठिनाई है तो बातचीत के द्वारा हल किया जा सकता है। अधिकतर समस्यायें काल्पनिक होती हैं। समय पर ही यदि जिला जज, पीठासीन अधिकारी या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपनी समस्याओं से अवगत करा दिया जाय तो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बन सकता है तथा हड़ताल को हथियार की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिये। हड़ताल बहुत ही दुर्लभ स्थिति में की जानी चाहिये। निचले न्यायालयों में किसी समस्या के लिये जिला न्यायाधीश से सम्पर्क करना चाहिये, यदि कठिनाई का कारण जिला न्यायाधीश स्वयं हो तो उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश से सम्पर्क किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश से भी इस मामले में प्रस्ताव पारित करके सलाह ली जा सकती है। प्रायः सभी मामलों में यदि यह न्यायालय के कार्य से सम्बन्धित है तथा किसी प्रकार सुलझाई नहीं जा पा रही है तो यह हड़ताल के माध्यम से भी सुलझाई नहीं जा सकती। आपसी बातचीत तथा विचार विमर्श के द्वारा दोनों युक्तियुक्त व्यक्तियों के बीच समस्या का निदान हो सकता है।

There should be a board or a committee or a similar such institution consisting of respresentatives of the Bench and the Bar in respect of the administration of justice. The entire past experience has shown that the grievance of the lawyers have seldom been redressed by their going on strike. The lawyers must resort to get justice from the court against their grievances by filing writ petitions and other cases in competent court. They should focus the attention of the authorities and public by making the representations as well as by making publications in the news papers.

बार का विचार –

बार के विवाद को तय करने के लिये एक बोर्ड, कमेटी या किसी प्रकार की कोई संस्था बार तथा न्याय पीठ के प्रतिनिधियों की बनाई जानी चाहिये। बीते समय को देखने से यही प्रतीत होता है कि शायद ही अधिवक्ताओं की किसी समस्या का हल उनके हड़ताल पर जाने से प्राप्त हुआ हो। वकीलों को अपनी कठिनाईयों के विरुद्ध रिट याचिका दायर करना चाहिये। उन्हें अपनी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये प्रतिवेदन देना चाहिये, तथा समाचार पत्रों में प्रकाशन के माध्यम से अपनी कठिनाईयों के निवारण के लिये ध्यान आकर्षित करना चाहिये।

Q.25 Do you think that there should be any redressal forum for settling the conflicts of Bench and Bar?

Replies from Bench

Forum consisting of some members of the Bench and the Bar may be constituted. Very often, senior members of the Bar or their representatives have conciliatory talks, but when they go back, they are overruled and everything falls. Such a body can be successful only if the members of the Bar resolve to abide themselves by any talk or decision taken by their representatives in any meeting for reconciliation.

In every District there is a Bar Association, hence there is no necessity for creating any forum for the settlement of any dispute. As soon as any grievance is raised by the members of the Bar the District Judge or some of the Senior Presiding Officers may call the office bearers of the Bar Association to resolve the dispute. If the dispute can not be set at right locally then the Administrative Judge or the Chief Justice may be informed and he should very promptly try to resolve the tangle.

No forum, either statutory or otherwise in fact is needed, but when occassion arises Bar may create a forum then and there to meet the situation.

प्रश्न-25 क्या आपके विचार से न्याय पीठ एवं बार के विवाद को हल करने के लिये कोई निवारण समिति का गठन होना चाहिये?

न्याय पीठ का विचार -

न्याय पीठ एवं बार के सदस्यों को मिलाकर एक न्यायाधिकरण बनाया जा सकता है। कभी बार के वरिष्ठ सदस्यों का उनके प्रतिनिधियों के बीच कोई समझौता होता है किन्तु कुछ समय पश्चात् वे फिर उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार का निकाय तभी सफल है जबकि बार के सदस्य उस समिति के निर्णय का पालन करें।

कुछ का विचार है कि सभी जनपदों में बार संघ है, अतः वहाँ इस प्रकार के फोरम की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई विवाद उठ खड़ा होता है तो बार के सदस्य जिला न्यायाधीश के साथ या वरिष्ठ पीठासीन अधिकारी के साथ मिलकर समस्या को हल कर सकते हैं। यदि फिर भी विवाद न हल हो तो प्रशासनिक न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश से मिलकर समस्या सुलझाई जा सकती है। किसी भी फोरम, विधिक या अन्य की आवश्यकता वास्तव में नहीं है। यदि आवश्यकता पड़ ही जाय तो बार स्वयं एक फोरम बना कर मामले को सुलझा सकते हैं।

It would always be better if any redressal forum is set up for removing the conflict of Bench and Bar. Such forum may also include the representatives of the Bar and Bench. In the case of dispute between the Bench and the Bar relating to High Court and Court subordinate to them, if the matter can not be settled across the table by the board or committee etc., then there should be a provision for reference of the dispute to the Supreme Court or a similar board or committee at tho level of Supreme Court.

बार का विचार -

यह उचित होगा यदि न्याय पीठ एवं अधिवक्ताओं के आपसी विवाद का निपटारा करने के लिये एक न्यायाधिकरण की स्थापना की जाय। इसमें न्यायपीठ एवं अधिवक्ता दोनों के प्रतिनिधि हों। यदि विवाद उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय के मध्य हो तथा विवाद को आपसी बातचीत के सहारे हल न किया जा सके तो उसे उच्चतम न्यायालय या उसी के समकक्ष किसी बोर्ड या समिति के सुपुर्द कर देना चाहिये।

Q.26 What should be the constitution of that redressal forum?

Replies from Bench

The redressal froum may comprise of the District Judge as also a Senior Addl. District Judge and the President and also General Secretary of the Bar Association. A committee consisting of Senior Office bearers of Bar and senior Judges of the District Court can be constituted in every district to resolve the dispute.

प्रश्न-26 इस न्यायाधिकरण या निवारण समिति का गठन किस प्रकार का होना चाहिये?

न्याय पीठ का विचार -

निवारण न्यायाधिकरण का गठन जनपद न्यायाधीश वरिष्ठ अपर जिला न्यायाधीश तथा बार संघ के अध्यक्ष व सचिव को मिलाकर होना चाहिये। बार संघ एवं जिला न्यायालय के वरिष्ठ सदस्यों को मिला कर हर जिले में एक समिति गठित कर देनी चाहिये, जो कि अपने स्तर से इस विवाद को हल करें।

The Board or the committee for redressal of grievances should consist of 50% practicing lawyers of at least ten years of continuous practice chosen from amongst the members of the Bar practicing in the High Court or in the Supreme Court as the case may be and 50% to be the members of the Bench concerned to be presided over by the person who happens to have put in the continuous period of work either as a practicing lawyer or as an adjudicator of dispute. In every district, a small committee with the District Judge as Chairman may be formed. The President of the local Bar and two or three eminent lawyers of professionnal standing and two senior most judicial officers of the District may be formed.

ऐसे वरिष्ठ अधिवक्ता जिन्हें लम्बा अनुभव है तथा जो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में प्रैक्टिस का अनुभव रखते हैं तथा न्याय पीठ के ऐसे वरिष्ठ सदस्य जिन्होंने अधिवक्ता के रूप में भी प्रैक्टिस की है या जिन्हें न्यायिक सेवा के माध्यम से वरिष्ठता प्राप्त है, उनका एक बोर्ड या समिति न्यायपीठ एवं अधिवक्ता के मध्य विवाद को हल करने के लिये बनाया जाना चाहिये। हर जिले में जिला न्यायाधीश व दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश तथा बार संघ के अध्यक्ष व सचिव तथा दो अन्य वरिष्ठ सदस्यों की एक समिति का गठन इस प्रकार के विवाद को सुलझाने के लिये बनाया जाना चाहिये।

Q.27 What are the reasons for delay in disposal of cases?

Replies from Bench

Some of the reasons for delay in disposal of cases are as follows:-

1. Shortage of Judges.
2. Boom in litigation.
3. Lack of preparation of brief by lawyers resulting in prolonged hearing.
4. Lack of observance of certain basic norms by lawyers, namely, tailoring arguments according to the merit of the case.
5. Lack of judicial conscience at national level resulting into enundation of litigation.
6. Incompetence of the Bar and the Bench.
7. Commercialisation of the profession of justice.
8. Spirit of the litigants to protract litigation by seeking amendments, revisions or appeals.
9. Heavy filing of cases.
10. Lethargic and indifferent attitude of the State in not providing material and resources to Courts.
11. Non availability of judges.
12. Shortage of court rooms and libraries.
13. Unhygenic conditions in courts, lack of proper amenities to judges to perform their duties effectively.
14. Lack of work culture both among the lawyers and the Presiding Officers.

प्रश्न-27 वादों के निस्तारण में विलम्ब का क्या कारण है?

न्याय पीठ का विचार –

वादों के निस्तारण में विलम्ब के निम्नलिखित कारण है:-

1. न्यायाधीशों की संख्या में कमी
2. वादों की बाहुल्यता
3. अधिवक्ताओं द्वारा वादों की उचित तैयारी न करना
4. अधिवक्ताओं द्वारा मूल आदर्शों का पालन न किया जाना तथा अत्यन्त लम्बी बहस।
5. न्यायिक विवेक की कमी।
6. न्याय पीठ एवं बार की अयोग्यता
7. न्याय को व्यापारिक व्यवसाय बनाना।
8. वादों के निस्तारण में वादकारियों द्वारा विलम्ब करना
9. वादों की अत्याधिक पत्रावली
10. शासन की निष्क्रीयता या उदासीनता
11. न्यायाधीशों का उपलब्ध न होना
12. न्यायालय कक्ष व पुस्तकालयों की कमी
13. न्यायालयों की दयनीय दशा। उचित सुविधाओं का अभाव जिसके कारण न्यायाधीशों का अपने कर्तव्य पालन में कठिनाई।

15. The wings of the Government are not acting according to law, making more and more people rush to the court, as a result of which they are over flooded.

ADDITIONAL GROUNDS

16. One party is always interested in delaying the cases and consequently dilatory tactics are adopted.

17. Mostly the lawyers, their clerks and staff of the courts are not interested in the early disposal. They are interested in giving the required quota only.

18. Frequent adjournment is yet another cause. The presiding officer who is strict in granting adjournment incurs the displeasure of the Bar. He avoids confrontation with the Bar and becomes quite liberal in granting adjournmeats inspite of the provisions to the contrary in the codes.

19. Casual attitude of the presiding officer towards work.

20. Appointment of undeserving candidate as Judges, apathetic attitude of Judges, unscrupulous lawyers and procedural part of the litigation, are yet other factors responsible for delay in disposal.

14. कार्यकुशलता का पीठासीन अधिकारी व बार दोनों में अभाव।

15. सरकार के अंगों द्वारा विधि अनुसार न कार्य करने के कारण, क्षुब्धपक्ष न्यायालय की शरण लेने लगे हैं जिस कारण भी वाद की संख्या बढ़ने लगी है।

16. एक पक्ष सदैव वाद में विलम्ब चाहता है जिस कारण, विलम्ब की प्रक्रिया अपनायी जाती है।

अन्य आधार

17. अधिकतर अधिवक्ता, उनके क्लर्क या न्यायालय का स्टाफ भी वादों में त्वरित निस्तारण में विलम्ब के लिये उत्तरदायी है।

18. बार-बार स्थगन करना भी विलम्ब का कारण है। जो अधिकारी स्थगन आवेदन स्वीकार नहीं करते, उन्हें बार के सदस्यों का कोप भाजन बनना पड़ता है। फलस्वरूप बार के साथ टकराव को टालने के लिये प्रावधानों के विरुद्ध भी आसानी पूर्वक कार्यवाही को स्थगित करना पड़ता है।

19. कार्य के प्रति पीठासीन अधिकारी की उदासीन प्रवृत्ति।

20. अयोग्य व्यक्तियों की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति, न्यायाधीशों का उदासीन व्यवहार अब कतिपय अनुचित अधिवक्ताओं के बाद में अपनायी गयी प्रक्रियात्मक प्रणाली, भी वादों के विलम्ब के लिये उत्तरदायी है।

The reasons for delay are many. Some important reasons are as follows:-

1. Lawyers do not give fact of the case concisely and in a chronological order, creating confusion. The points of law that arise or on which they want to argue are also not given concisely and in a natural sequence.

2. Writ Petition of the Supreme Court running into two hundred type pages containing numerous repeated allegations or appeals or revisions create confusion and wastage of time.

3. In many cases in the Districts if the regular trial starts early much of the delay caused by interim applications can be avoided.

4. In the High Court, the listing of cases for final hearing may also solve the problem to some extent.

5. Lawyers and judges not doing their home work and acting themselves properly for the disposal of cases.

यार का विचार -

वादों के निस्तारण में विलम्ब के कई कारण हैं जिसमें कुछ मुख्य निम्नलिखित हैं:-

1. अधिवक्ताओं द्वारा वाद के तथ्य पूरी तरह प्रस्तुत नहीं किये जाते न ही वे क्रमवार होते हैं। जिस वाद बिन्दु पर बहस करनी होती है उसे भी वे छिपाते हैं। जिसके कारण वादों के निस्तारण में विलम्ब उत्पन्न होता है।
2. जो रिट याचिकाएँ उच्चतम न्यायालय में दायर होती है उनमें काफी पेज होते हैं तथा कई-कई बातों को बार-बार दोहराया, जाता है। इस प्रकार की रिट याचिका, अपील व पुनर्विलोकन संशय उत्पन्न करते हैं। जिससे वादों में विलम्ब होता है।
3. यदि जिला स्तर पर शीघ्र नियमित विचारण होने लगे तब अन्तरिम प्रार्थना पत्रों के कारण विलम्ब से बचा जा सकता है।
4. उच्च न्यायालयों में वादों की अन्तिम सुनवाई से भी इस दोष को दूर किया जा सकता है।
5. अधिवक्ता तथा न्यायाधीश अपना गृहकार्य नहीं करते तथा वादों के निस्तारण के लिये उचित प्रकार से तैयार नहीं आते।

Q.28 Do you suggest some structural or basic amendments in Advocates Act, C.P.C. and Cr. P.C.?

Replies from Bench

Advocates Act requires amendment so that disciplinary control over the advocates may vest in the Court instead of vesting in the Bar Council. The Bar Council is constituted of elected representatives of lawyers. These elected representatives have to approach their brethren again at the next election.

Disciplinary proceedings against Advocates for misconduct should be conducted by a statutory body consisting of a High Court Judge and two members of the Bar Council nominated by it for the purpose.

The procedure devised in C.P.C. and Cr.P.C. should be pruned in such a way that necessary delays may be curtailed.

Some amendments are necessary to regulate the entry of the members of the Bar. Unless only serious minded people are allowed to join the Bar, the situation will continue to grow verse. In Advocates Act provision for training should be introduced. The High Court should also have some control over the conduct of the advocates.

प्रश्न-28 क्या आप अधिवक्ता अधिनियम दीवानी प्रक्रिया संहिता तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता में कोई संशोधन का सुझाव देंगे?

न्याय पीठ का विचार -

अधिवक्ता अधिनियम में ऐसे संशोधन की आवश्यकता है ताकि बार कौंसिल के बजाय उच्च न्यायालय में, अधिवक्ताओं के अनुशासनात्मक नियंत्रण, निहित हो जाय। बार कौंसिल का गठन अधिवक्ताओं के चुने हुये प्रतिनिधियों से होता है और इन चुने हुये प्रतिनिधियों को अगले चुनाव में सहयोग के लिये अपने भ्राता अधिवक्ताओं के पास जाना पड़ता है।

किसी अधिवक्ता के विरुद्ध दुराचरण के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये एक कानूनी निकाय जिसमें उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश तथा राज्य बार कौंसिल के दो नामित सदस्यों हेतु होना चाहिये।

दीवानी प्रक्रिया संहिता एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता में दिये गये प्राविधानों को इस प्रकार संशोधित करना चाहिये ताकि निस्तारण में होने वाले विलम्ब को कम किया जा सके।

बार के सदस्यों के प्रवेश नियमित करने के लिये कुछ संशोधन आवश्यक है। जब तक प्रवेश केवल तत्पर लोगों के लिये नियमित नहीं किया जायेगा, स्थिति दिन ब दिन खराब ही होती चली जायेगी। अधिवक्ता अधिनियम में प्रशिक्षण के प्रावधान को समाहित करना चाहिये। उच्च न्यायालय का अधिवक्ताओं के क्रियाकलाप पर नियंत्रण होना चाहिये।

As in the Industrial Disputes Act every dispute, rather every civil suit and every compoundable criminal case must be subjected to a genuine attempt by the Presiding Officer of the Court concern to get the same compounded impartially as far as the presiding officer is concerned, just as it is incumbent on them to do in divorce cases.

In order to purify the administration of justice in the territories under various High Courts, the Criminal Procedure Code and the Civil Procedure Code should both be amended, so as to provide that the advocates senior or junior, to be engaged by local bodies govt. or any instrumentality of govt. such as nationalise banks, govt companies as defined under the Companies Act must be engaged only out of three advocates (senior or junior as case may be) to be selected by the High Court after calling applications from the lawyers. No advocate who is not thus engaged out of the list mentioned above should be entitled to appear for the government or any of its instrumentalities mentioned above.

The said amendment if carried out will eliminate political or other kinds of favouratism in the administration of justice which is jointly rendered both by Bench and the Bar.

बार का विचार –

जिस प्रकार औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत उठने वाले विवाद या विवाह विच्छेद वादों का निस्तारण अधिवक्ताओं द्वारा समझौता द्वारा करने का प्रयास किया जाता है उसी प्रकार प्रत्येक व्यवहार वाद तथा शमनीय अपराध वादों के प्रकरण में भी अधिकारियों द्वारा सार्थक प्रयास करना चाहिये।

विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायिक प्रशासन को स्वच्छ बनाने के लिये दीवानी प्रक्रिया संहिता एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करना चाहिये ताकि स्थानीय निकायों या सरकार के अन्य उपक्रमों जैसे राष्ट्रीय बैंक, कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित सरकारी कम्पनी वादों को प्रतिनिधित्व करने के लिये वरिष्ठ या कनिष्ठ अधिवक्ताओं का चुनाव, उच्च न्यायालय द्वारा, आवेदन पत्र मांगे जाने पर, चुने हुये तीन नामों में से किया जा सके। जिन अधिवक्ताओं का चुनाव उक्त सूची से न किया जाये, उन्हें सरकार या सरकार के उपक्रमों के लिये प्रतिनिधित्व करने के लिये अनुमति नहीं दिया जाय।

यदि इस प्रकार के संशोधन कार्यान्वित किये गये तो बेन्च व बार द्वारा प्रदत्त न्याय के प्रशासन में राजनैतिक या अन्य प्रकार के अनुचित प्रभाव नहीं हो पावेंगे।

The present rules for taxation of costs provide that if the lawyer who appeared in the original case appears also in the execution proceedings based on the decree of that case no lawyers fee shall be charged or taxed in connection with the execution proceedings. This provision is extremely unreasonable. The work involved in execution proceedings with objection u/s 47 C.P.C. and consequent appeal etc. involves much more labour and troubles as compared to a regular civil suit. The lawyer must be paid separately for all such proceedings and taxation of costs should be done in execution also in the same manner as in regular civil suit. Legal education, LL.B. degree should not be a non serious business. Law colleges should not be commercial ventures for earning income. Statutory amendments should be made for bringing about concilliation between parties by involving respectable local people. In C.P.C. and Cr.P.C. provisions are to be made for taking serious actions in the matter of filing false petitions as well as wrong swearing of the affidavit as well as for wrong verifications of pleading etc.

वर्तमान कर नियम यह है कि वह अधिवक्ता जो कि मूल वाद में उपसंजात हुआ है वही निष्पादन प्रक्रिया में भी उपस्थित होगा तथा इसके लिये अधिवक्ता कोई फीस या शुल्क नहीं लेगा। यह प्रावधान असंगत है। निष्पादन की प्रक्रिया नियमित सिविल वाद से कहीं अधिक जटिल है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा–47 की आपत्ति के साथ निष्पादन प्रकरण में किया गया मेहनत, सामान्य मूलवाद में किये गये मेहनत से कहीं अधिक है। इन प्रकरणों में अधिवक्ताओं को अलग से फीस प्राप्त होनी चाहिये और इनमें किये गये खर्चों का आगणन, मूलवाद की तरह होना चाहिये। विधि शिक्षा को गम्भीर रूप में लेना चाहिये तथा कालेज को व्यवसायिक नहीं होना चाहिये जो कि केवल धन कमाना ही देखें। स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पक्षकारों के मध्य समझौते के प्रावधान हेतु विधिक संशोधन होना चाहिये। व्यवहार प्रक्रिया संहिता व दण्ड प्रक्रिया संहिता में ऐसे प्रावधान सृजित करना चाहिये जिससे असत्य याचिका प्रस्तुत करने वाले, असत्य शपथ-पत्र प्रस्तुत करने वाले तथा दावे को असत्य सत्यापन करने वाले के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा सके।

Q.29 What are your suggestions for improving relationship between the Bench and the Bar ?

Replies from Bench

There should be realisation on the part of the members of the Bench as well as members of the Bar of the fact that they are partners in common cause, namely, administration of justice, and they should take effective steps against the members of the Bar who try to obtain orders from court by show of muscle power or throat power or by other questionable means. Similarly if any member of the Bench is found to be lacking in integrity he should be removed from the Bench. There should be attitudinal change.

Both Bar and Bench should have the attitude that they are collectively working in spiritual organisation. Frequent meetings of the Presiding Officers with the office bearers of the Bar Association should be encouraged. Relationship between Bench and Bar most of the times is amicable and cordial. There is no inherent conflict between the two. There is no persistent bad relationship but the frequency of the conflicts has escalated. There should be an atmosphere of mutual trust and confidence between the Bench and Bar. There should not be much mixing between members of the Bench and the Bar. Though the members of the Bench may not live in isolated tower

प्रश्न-29 न्याय पीठ एवं अधिवक्ताओं के सम्बन्धों में सुधार लाने के लिये आपके क्या सुझाव हैं?

न्याय पीठ का विचार –

न्याय पीठ एवं बार दोनों को यह सोचना चाहिये कि दोनों ही न्याय प्रशासन के भागीदार हैं और दोनों को उन बार के सदस्यों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने चाहिये जो कि अपने बाहुबल पर या चिल्ला कर या अन्य प्रदर्शनात्मक तरीके से आदेश प्राप्त करना चाहते हैं। इसी प्रकार यदि न्याय पीठ के किसी सदस्य की सत्यनिष्ठा में कमी है तो उसे न्याय पीठ से निकाल देना चाहिये। वास्तव में उभय पक्षों के रुख में परिवर्तन होना चाहिये।

न्याय पीठ एवं बार दोनों को ही यह सोचना चाहिये कि दोनों ही आध्यात्म संस्था के अंग हैं तथा दोनों को मिलकर कार्य करना चाहिये। पीठासीन अधिकारियों की बैठक बार संघ के पदाधिकारियों में साथ बहुधा होनी चाहिये। सामान्यतः बार एवं न्याय पीठ के सदस्यों के बीच सम्बन्ध मृदुल एवं सौहार्दपूर्ण होते हैं। दोनों के मध्य अन्तर्निहित विरोधाभास नहीं है। यद्यपि उभय पक्षों में अनवरत बुरे सम्बन्ध नहीं है फिर भी विरोध की पुनरावृत्ति बढ़ रही है। बेन्च एवं बार के सदस्यों के मध्य मिलना जुलना अधिक नहीं होना चाहिये। यह सही है कि न्याय पीठ के सदस्य किसी एकान्त दुर्ग में नहीं रह सकते। दोनों के बीच अन्तर्निहित विरोधाभास नहीं है न ही दोनों के बीच बुरे संबंध हैं, किन्तु आज कल विरोध की गति बढ़ रही है।

but close association between some members of the Bench and some members of the Bar should be avoided. Both should keep restraint and control not only inside the court but also out side the court. Decentralisation of work concentrated with the senior Advocates; facility to the junior members of the Bar and encouragement for the development of their faculties, should be encouraged.

किन्तु न्याय पीठ एवं बार के सदस्यों को आपस में बहुत अधिक मिलना जुलना नहीं चाहिये। दोनो को ही अपने ऊपर न्यायालय के अन्दर तथा बाहर नियंत्रण रखना चाहिये। वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पास से कार्यों का विकेन्द्रीकरण, बाद के कनिष्ठ अधिवक्ताओं को सुविधा तथा उनके व्यक्तित्व के बढ़ावे को प्रोत्साहन प्राप्त होना चाहिये।

Regular conference between the members of the Bench and the representatives of the Bar, for mutual solution and for improving the relationship are must. Training of lawyers by Senior Advocates will make them realise their responsibility towards them. The Bench should remain a little aloof. In case of any grievance, there should be talk across the table to remove it, before it assumes agitational form.

बार का विचार –

न्याय पीठ एवं बार दोनों के बीच नियमित बैठक होनी चाहिये। दोनों के संबंधों में सुधार लाने के लिये ऐसा आवश्यक है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ कनिष्ठ अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण लेना चाहिये जिससे उन्हें अपने दायित्व का बोध हो। न्याय पीठ को बार से थोड़ा अलग रहना चाहिये। यदि कहीं कोई शिकायत या टीस है तो उसे बात चीत के माध्यम से हल कर लिया जाय।

Q.30 What are your suggestions of avoidance of strikes ?

Replies from Bench

Most of the strikes by lawyers have been on issues which can not be described as serious so as to warrant strike. On the part of the administration, executive as well as judiciary, prompt attention should be paid to the genuine grievances of lawyers. The Bar Association should be persuaded not to go on strike but even if they resolve to go on strike, then it should be only done by secret ballot to avoid the tough and musclemen to have their say in their general body meetings. The senior lawyers should be taken in confidence and be persuaded to disuade the junior lawyers to go on strike. The Presiding Officer's conduct should be above board and if it is above board then his moral influence can dissuade the lawyers from going on strike. There should be in any case this matter ought to be considered at the national level by a representative body of the Supreme Court, High Court and District Bar Association to adopt policy decisions in the matter.

Efforts for the ethical improvement of the junior members of the Bar and those with little work and maintaining the high standard of performance of the office of the courts should be made. If judicial officers are upright, firm and impartial in their judicial functions then most of the strikes can be avoided. Their simple action like sitting in the courts punctually with their proper attire will also add to the grandure of their post and instil confidence in the members of the Bar and the litigant.

प्रश्न-30 हड़ताल के बचने के लिये आपके क्या सुझाव है?

न्याय पीठ का विचार -

अधिवक्ताओं द्वारा की जाने वाली अधिकतर हड़ताल गम्भीर मुद्दों पर नहीं होती। प्रशासन तथा न्याय पालिका को उचित शिकायतों को दूर करने के लिये तुरन्त ध्यान देना चाहिये। बार संघ को हड़ताल पर नहीं जाना चाहिये किन्तु यदि हड़ताल ही एक मात्र उपाय है तो गुप्त मतदान करा कर ही हड़ताल पर जाना चाहिये ताकि वे लोग जो जनरल बाडी के बैठकों में अपना बाहुबल दिखलाते है, उन्हें टाला जा सके। वरिष्ठ अधिवक्ताओं को विश्वास में लेना चाहिये तथा उन्हें अवर अधिवक्ताओं को हड़ताल न करने के लिये बाध्य करना चाहिये। पीठासीन अधिकारी का आचरण शुद्ध होना चाहिये यदि वह ठीक होंगे तो अपने नैतिक प्रभाव से वह अधिवक्ताओं को हड़ताल पर जाने से रोक सकते हैं। फिर भी नीति निर्धारण के लिये राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों एवं जिला एवं संघों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन होना चाहिये जिनमें इस प्रकरण पर विचार हो। कनिष्ठ अधिवक्ताओं और कम काम वाले सदस्यों के नैतिक सुधार के लिये प्रयत्नशील होना चाहिये ताकि उच्च स्तर लाया जा सके। यदि न्यायिक अधिकारी दृढ़ सही एवं पक्षपात रहित होंगे तो हड़तालों को टाला जा सकता है। उनके द्वारा किया गया साधारण सा कर्तव्य जैसे समयबद्धता तथा न्यायालय में उचित परिधान व कुशल व्यवहार भी उनके पद की गरिमा को बढ़ा सकता है तथा उससे अधिवक्ताओं एवं वादकारियों में उनके लिये विश्वास पैदा होगा।

Replies from Bar

Genuine grievance if there is can be kindly redressed. Strike can be avoided. The Bar Associations may be asked to give at least two weeks notice to their members before going on strike. The notices may be widely circulated and the meetings should be strictly relating to the draft resolution. Voting for going on strike or otherwise should be by secret ballot. Specific amendment should be made in Advocates Act prohibiting the strikes, and exception should be provided. Bar Associations rules should be strictly followed and a very strict procedure be laid down such as secret ballot.

बार का विचार -

उचित मांगों का निवारण किया जा सकता है। हड़ताल को टाला जा सकता है। बार संघ को दो माह पूर्व हड़ताल की सूचना देनी चाहिये। सभी को सूचना से अवगत करना चाहिये तथा उसके पश्चात् एक बैठक बुला कर प्रस्ताव पारित करना चाहिये। गुप्त मतदान द्वारा मत पारित करा कर हड़ताल पर जाना चाहिये। अधिवक्तागण अधिनियम में कुछ कठोर प्रावधान बनाने चाहिये जिससे हड़ताल को प्रतिसिद्ध किया जा सके तथा बार संघ के नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिये।

Q.31 Why Judges grant adjournments so freely ?

Replies from Bench

When an adjournment is sought by a lawyer and it is refused and the lawyer even if thereafter does not choose to argue the case the option with the Judge is only to dismiss the case. In such a situation the person who suffers is the litigant. By tactful handling it is possible to check unnecessary adjournments and one of the methods is to grant only short adjournments with stop orders providing that in case the counsel is unable to attend the court even on the next date he shall make arrangement for appearance on behalf of the client failing which further adjournment may not be possible. There are other reasons granting adjournments which are work load in Court, nuisance of lawyers in other courts, apprehension among the Presiding Officer that in case of rejection of adjournment, there would be opposition in Court and out side, Lack of supervision and superintendence of the Administrative Judge over then subordinate courts, heavy burden of work may be some of the additional reasons. Judges, even, though having a feeling that in some cases grounds of adjournments are not proper, to avoid unpleasentness grant adjournments, keeping in view the liberal view adopted generally by higher courts.

प्रश्न -31 न्यायाधीशों द्वारा स्थगन इतनी स्वतंत्रता से क्यों दिये जाते हैं?

न्याय पीठ का विचार -

जब अधिवक्ता द्वारा स्थगन मांगा जाता है तथा वह अस्वीकृत हो जाता है तब भी अधिवक्ता द्वारा बहस नहीं की जाती। फलस्वरूप न्यायाधीश के समक्ष वाद को खारिज कर देने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रहता। इस दशा में वादकारी क्षति उठाता है। कुशलता पूर्वक कार्य करके अनावश्यक स्थगन को टाला जा सकता है, जैसे कम अवधि के स्थगन दे कर तथा ऐसा आदेश देकर कि यदि अगली तारीख पर अधिवक्ता न्यायालय नहीं उपस्थित होगा तो आगे स्थगन देना सम्भव नहीं होगा। स्थगन देने के और भी कारण हैं-जैसे न्यायालय में कार्य की अधिकता कुछ वकीलों द्वारा अकारण शोरगुल, पीठासीन अधिकारियों को यह भय कि यदि वे स्थगन नहीं देंगे तो वकीलों द्वारा उनका विरोध किया जायेगा, प्रशासनिक न्यायाधीश का निचली अदालतों पर पूर्ण नियंत्रण न होना, तथा कार्य का अत्याधिक बोझ भी स्थगन देने के कुछ कारण है। न्यायाधीश, कुछ मामलों में यह जानते हुए भी कि स्थगन प्रदान करना उचित नहीं है किन्तु वातावरण को सही रखने के लिए उच्चतम न्यायालयों द्वारा उदार नीति अपनाये जाने को ध्यान में रखकर स्थगन दे देते हैं।

A judge who is strict in granting adjournments is normally unpopular in the Bar. Any trifling matter results in confrontation with the Bar and also to unnecessary complaints and that is why they do not apply the law relating to adjournments so firmly. Some times it is not noticed as to how many adjournments were sought by the Advocates on earlier occasions. If such frequent adjournments are noted and deterrent conditions are imposed, then it is possible that most of the adjournments may be curtailed.

एक न्यायाधीश जो कि स्थगन नहीं प्रदान करता वह प्रायः बार के मध्य प्रसिद्ध नहीं होता। कोई छोटा मामला बार से विवाद उत्पन्न करा देता है क्योंकि वे कठोरता से स्थगन के संबंध में विधि का पालन नहीं करते। कभी-कभी ऐसा देखा नहीं जाता कि कितने स्थगन आवेदन पत्र अधिवक्ता ने दिये। यदि इस प्रकार बार-बार स्थगन न दिया जाये तथा कठोर शर्तें लगायी जाये तो कुछ सीमा तक अनावश्यक स्थगन को रोका जा सकता है।

Almost in every court and every day the cause list of the court consists of so many cases as can not possibly be disposed of in one day, particularly when a large number of fresh cases with urgent applications are to be entertained or to be rejected besides the cause list. Under these circumstances as far as the court is concerned the granting of adjournment to lawyers does not make any difference. Besides this the judges probably feel that they will not be able to do justice in the case unless the lawyer of one or the other party is fully prepared or is in good health to be able to advocate the case of his client. This feeling also coupled with the above mentioned factor contributes to the acceptance of prayer for adjournment. Some times busy lawyers express real inability to cope with the work.

प्रायः सभी न्यायालयों में तथा प्रत्येक दिन बाद सूची में अनेक वाद होते हैं तथा उनमें से अनेकों का निस्तारण नहीं हो पाता विशेषकर जबकि कई त्वरित आवेदन पत्र तथा नये वाद को ग्रहण किया जाता है। इस स्थिति में जहाँ तक न्यायालय का संबंध है स्थगन प्रदान करना कोई विशेष बात नहीं है। एक अतिरिक्त कारण यह भी है कि न्यायाधीश अनुभव करते हैं कि न्याय करना सरल नहीं होगा यदि पक्षकारों के अधिवक्ताओं को तैयारी के लिये उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया या अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य खराब रहने पर यदि उन्हें अतिरिक्त समय नहीं दिया गया। इस कारण और अन्य उपरोक्त वर्णित कारणों से ही न्यायाधीश स्थगन के आवेदन पत्रों को स्वीकार कर लेते हैं। कभी-कभी व्यस्तता के कारण अधिवक्ता वास्तव में वाद में प्रस्तुत होने के लिये असमर्थ हो जाता है।

Q.32 Do you feel that power of court for trying the petty offences should be given to Gaon Panchayat ?

Replies from Bench

Already Gaon Panchayats have power to try certain petty offences. However our Gaon Panchayats are not yet manned by people who can be entrusted with much judicial power. The experience has already failed earlier. Gaon Panchayats had been given the power but as they had no experience to do work according to law and did not possess the experience, high standard of moral and ethics and etiquettes, it failed.

A Nyaya Panchayat for specified area say a block, consisting of members appointed by the Govt. on the recommendation of a Selection Committee of Distt. Magistrate, Distt. Judge and one or two more official functionaries may be constituted. Petty offences should go to gram panchayat.

Another view is that Nyaya Panchayat System needs a total change. The function of administring justice should be given to every Gram Panchayat. In a democratic set up it is very desirable. The people at the village or in the rural area should learn to shoulder, this type of responsibility and the regular courts at the district or Tahsil level should not be surrounded with the petty work and more over there are certain cases in which proper justice can be done only at the village level where the spot is situated. For example the cases of encroachments in the villages can well be solved at the village level than by doing paper justice at the district or Tahsil level.

प्रश्न-32 क्या आप सोचते हैं कि छोटे मामलों/अपराधों का निस्तारण करने की शक्ति गाँव पंचायत को दे दी जानी चाहिये?

न्याय पीठ का विचार -

गाँव पंचायतों के पास पहले से ही इस प्रकार की शक्ति हैं। फिर हमारे ग्राम पंचायत इसके प्रकार के लोगों से नहीं बनती जिन्हें कि न्यायिक शक्ति दी जा सके। इस प्रकार का प्रयोग असफल रहा है। ग्राम पंचायत को यह शक्ति दी गई थी, किन्तु उन्हें विधि के अनुसार कार्य करने का अनुभव नहीं था न ही उनमें उच्च स्तर का आचार एवं शिष्टाचार था।

किसी विशेष क्षेत्र, जैसे ब्लाक के लिये न्याय पंचायत का सृजन किया जा सकता है। वे लोग राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जा सकते हैं जिनकी संस्तुति, जिला मजिस्ट्रेट, जिला जज तथा एक या दो अन्य अधिकारी करें। छोटे मोटे अपराधों का निस्तारण ग्राम पंचायत द्वारा हो सकता है।

एक अन्य विचार के अनुसार न्याय पंचायत प्रणाली में आमूल परिवर्तन अपरिहार्य है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को न्याय प्रशासन के दायित्व को सौंपना चाहिये। प्रजातान्त्रिक प्रणाली में यह अति वांछनीय है। ग्राम स्तर पर लोगों को इस प्रकार के दायित्व वहन के कार्य को सीखना चाहिये तथा जिला या तहसील स्तर पर न्यायालयों को छोटे मोटे कार्यों के भीड़ को बढ़ाना नहीं चाहिये। अनेक प्रकरण ऐसे हैं जिनका उचित निस्तारण ग्राम स्तर के स्थल पर ही किये जा सकते हैं। जैसे ग्राम की भूमि के अतिक्रमण के प्रकरण का निस्तारण, जिला या तहसील स्तर के न्यायालयों के कागजी न्याय के बजाय, ग्राम स्तर पर ही किया जा सकता है।

The members of the Gaon Panchayat cannot decide the cases judicially. A case may be big or petty, both have to be decided on judicial principle though procedure may be different for example petty cases may be decided by the court of judge small causes and number of such court can be increased.

The Gaon Panchayats are controlled unfortunately by anti social elements. The anti social elements in the panchayat weighing muscle power will secure orders in their favour. Granting of judicial powers to the panchayat will thus mean granting of such powers to the anti social elements in the panchayat resulting in corruption and denial of justice to the villagers who are generally extremely poor and physically weak.

बार का विचार -

ग्राम पंचायत वादों को न्यायिक तरीके से निर्णीत नहीं कर सकती। चाहें छोटे मामले हो या बड़े दोनों का निस्तारण न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा न्यायिक सिद्धान्तों के अनुसार होना चाहिये। आजकल छोटे वादों के निस्तारण के लिये न्यायालय है। उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है।

आजकल दुर्भाग्य से अधिकतर ग्राम पंचायत असामाजिक तत्वों के अधीन है। यह लोग अपने भुजा बल के आधार पर आदेश जारी करवा लेते हैं। यदि उन्हें न्यायिक शक्ति प्रदान कर दी जायेगी तो यह असामाजिक तत्वों के हाथ में होगी जिससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा व गरीब तथा कमजोर वर्ग के लोगों को न्याय नहीं मिल सकेगा।

Q.33 How can you develop the uniformity in orders passed by judges ?

Replies from Bench

It is very difficult to develop uniformity in the pattern of orders to be passed by Judges. Each Judge is expected to decide a case independently, impartially and according to his own perceptions of the case un-influenced by the opinion of others; except the precedents which he is bound to follow. After the development of the concept of social justice there is great deal of disparity in the pattern of orders. This is not a very happy state of affairs and even lawyers of status interested in fair administration of justice have suggested that the judges may evolve some minimum standards in passing interim orders. However, in view of the judicial principles on which courts act, it has not been possible to evolve uniformity even in interim orders. Judges possess sufficient individuality and they will not be unduly influenced if periodically they merely discuss the merit or demerit of certain orders without reference to particular case or cases. It may be that while passing a certain order the Judge passing the order has omitted to take a certain circumstance into consideration. When at a meeting this circumstance is brought to his notice he may change his attitude. The purpose of such meeting would be to exchange views on current legal problems. It is hardly possible, firstly because the facts and nature of controversy may differ from case to case and secondly there is always a human factor. They may have different social and economic views, which often reflect in their orders and judgements.

प्रश्न-33 न्यायाधीशों द्वारा पारित आदेशों में समरूपता किस प्रकार लाई जा सकती है?

न्याय पीठ का विचार –

ऐसा सम्भव नहीं है कि न्यायाधीशों द्वारा पारित आदेशों में एक समानता लायी जा सके। सभी न्यायाधीशों से आशा की जाती है कि वे मामले को अपने विवेक से स्वतंत्रता पूर्वक एवं निष्पक्ष रूप से निर्णीत करें, बिना किसी अन्य प्रभाव के, सिवाय जबकि वे पूर्व निर्णय से बाधित न हों। जबसे सामाजिक न्याय का विकास हुआ है आदेशों में काफी भिन्नता आती जा रही है। यह कोई प्रसन्नता का विषय नहीं है। यहाँ तक कि अधिवक्ता भी यह चाहते हैं कि स्वच्छ न्याय प्रशासन हो तथा न्यायाधीशों को कुछ मापदण्ड अन्तरिम आदेशों को पारित करने के लिये बना लेने चाहिये। किन्तु जिन न्यायिक सिद्धान्तों पर न्यायालय कार्य करता है उसमें यह सम्भव नहीं है कि अन्तरिम आदेशों में समरूपता लाई जा सके। प्रत्येक न्यायाधीश में पर्याप्त विशिष्टत्व होता है। समय-समय पर बिना किसी विशेष प्रकरण का संदर्भ लिये, यदि न्यायाधीश, किसी विषय पर अपने विचारों के आदान प्रदान कर लेवें तो उससे वे अनुचित प्रभावित नहीं होंगे। यह भी संभव है कि बिना किसी एक विशिष्ट परिस्थिति को संदर्भ में लिये उसने एक न्यायिक आदेश पारित कर दिया हो। हो सकता है बैठक में यदि इस परिस्थिति को प्रकाश में लाया जाये तो वह अपना दृष्टिकोण बदल देवें। इन बैठकों का उद्देश्य मात्र वर्तमान विधिक समस्याओं पर न्यायिक दृष्टिकोण को संज्ञान में लाना है। एक विचार यह भी है कि यह कठिनता से संभव है, प्रथमतः इस कारण कि तथ्य एवं परिस्थितियाँ प्रत्येक मामले में भिन्न होती हैं, और दूसरा, प्रत्येक मामले में मानवीय तत्व होता है। प्रत्येक न्यायाधीश के विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक विचार होते हैं जो उनके आदेशों एवं निर्णयों में परिलक्षित होते रहते हैं।

Uniformity is possible only where there exists uniform social and economic system. If the system is not uniform the judges may differ but they are bound to follow the Constitution and the law which is just and fair and the earlier precedents. There is a little variance in human intelligence. If the judges are competent the most of the time they would reach to the same conclusion but if I.Q. disparity is considerable then only more difference in the opinions would arise. But different opinion is inherent in judicial system set up and the practical system set up and the practical and well tested methods resolve it to get such matter decided by more than one judges. In fact each case has its own peculiarities. The presiding officer has to decide it on the basis of the facts of each case.

समरूपता तभी संभव है जबकि एक समान सामाजिक एवं आर्थिक प्रणाली हो। यदि प्रणाली में एकरूपता नहीं है तो न्यायाधीशों में मतभेद स्वाभाविक है किन्तु फिर भी वे संविधान, न्यायोचित विधि एवं पूर्व दृष्टान्तों में आबद्ध हैं। मानव ज्ञान में थोड़ा अन्तर है। यदि न्यायाधीश योग्य हैं तो अधिकांश प्रकरणों में उनके विचारों के निष्कर्ष में समानता होगी, किन्तु बुद्धि लब्धि में व्यापक अन्तर होने पर विचारों में अधिक मतभेद होंगे। एक अन्य विचार के अनुसार वर्तमान न्यायिक प्रणाली में विचारों में विभिन्नता अन्तर्निहित है और उस स्थिति में स्थापित तथा परीक्षित प्रक्रिया के अनुसार, उन मतैक्यता का विनिश्चय, एक से अधिक न्यायाधीशों द्वारा हो जाता है। वास्तव में प्रत्येक प्रकरण स्वयं में अपनी विभिन्नता रखता है। पीठासीन अधिकारी को तथ्यों के आधार पर ही उनका निर्णय करना होता है।

Replies from Bar

Judges should follow the principle of rules and law so that uniformity in their orders are attained. This is difficult to achieve, but guidelines can be provided by subordinate legislation or Rules of the court. There can be informal meetings of judges to keep themselves informed of the trends. Uniformity in the orders passed by judges can only be achieved if the judges respect the similar and identical orders passed by other Judges. This problem relates to the judge alone. In similar situation generally there should be no difference of opinion and one court must respect the judgement of the other court without creating unnecessary distinction. Variance in order in similar cases by the same court or judge etc. does lead to conflict between the Bench and the Bar. The lawyer in one case who gets an unfavourable order gets dissatisfied and angry, and some times even doubts the integrity of the presiding officer of the courts when he finds that in an exactly similar matter the same Presiding Officer had passed or passes in future an order favourable to the counsel appearing for a client with the same grievance.

न्यायाधीशों को विधि एवं नियम का पालन करना चाहिये जिससे उनके आदेशों में एक रूपता बनी रहे। ऐसा कठिन है किन्तु मार्गदर्शी सिद्धान्तों को विधायिका या न्यायालय नियम द्वारा स्थापित किया जा सकता है। न्यायाधीशों की औपचारिक बैठक में भी इस पर विचार विमर्श किया जा सकता है। एकरूपता तभी संभव है जबकि न्यायाधीश समरूप एवं समान प्रकार से निर्णीत मामले या पारित आदेशों को ध्यान में रखकर मामले का निर्धारण करे। यह समस्या केवल न्यायाधीशों से संबंधित है। सामान्यता समान दशा में ऐसी भिन्न राय नहीं होनी चाहिये तथा एक न्यायालय को दूसरे न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का सम्मान करना चाहिये। इस प्रकार पालन न किये जाने से न्यायपीठ एवं अधिवक्ता के मध्य विरोधाभास भी उत्पन्न हो जाता है। अधिवक्ता जिसे प्रतिकूल आदेश मिलता है वह असंतुष्ट एवं नाराज होता है तथा कभी-कभी पीठासीन अधिकारी की सत्यनिष्ठा पर शक करने लगता है, जब उसे ऐसा प्रतीत होता है कि बिल्कुल उसी प्रकार के मामले में एक पीठासीन अधिकारी ने अनुकूल आदेश पारित किये किन्तु दूसरे में नहीं तब उसका क्रुद्ध होना स्वाभाविक ही है।

Q.34 Do you feel that advocates have also right to comment on the conduct of the judges?

Replies from Bench

Public comment on the conduct of a judge results in shaking the confidence of the litigant in the administration of justice. It is accordingly desirable that instead of public comment, the conduct of the judge should be brought to the notice of the person who is competent to take action against the judge. It will be equally necessary for the person concerned to take note of the comment made against the judge and take appropriate action. Public comment against the conduct of a judge should be avoided in order to maintain administration of justice. Members of the Bar should not scandalise the judges publicly but they can pass fair comment even on judgment. If there is a severe grievance against a Presiding Officer the lawyer has right to approach either to the Chief Justice or to the Administrative judge but he shall have no right to slandur or defame the judge. The system has provided adequate forums to correct the erring Presiding Officer and that system should not be circumvented. There should be some accountability of the conduct of the judges with reasonable limit which does not have effect of lowering the image of judiciary in public.

प्रश्न-34 क्या आप अनुभव करते हैं कि न्यायाधीश के आचरण पर अधिवक्ताओं को टिप्पणी करने का अधिकार है?

न्याय पीठ का विचार -

सार्वजनिक टिप्पणी किसी न्यायाधीश के आचरण पर करने से वादकारी का न्याय प्रशासन पर से विश्वास हिल जाता है। सार्वजनिक टिप्पणी करने के बजाय न्यायाधीश के आचरण को किसी ऐसे व्यक्ति के संज्ञान में लाना चाहिये जो कि उसके विरुद्ध कार्यवाही करने में सक्षम हो। यह उचित होगा कि सक्षम व्यक्ति उस टिप्पणी का नोट बनाकर संबंधित न्यायाधीश के विरुद्ध कार्यवाही करें। न्याय प्रशासन को बनाये रखने के लिये सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिये। बार के सदस्यों को न्यायाधीश पर सार्वजनिक लांछन नहीं लगाना चाहिये बल्कि उसके निर्णय पर वे स्वच्छ टिप्पणी कर सकते हैं। यदि किसी पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध कई शिकायतें हैं तो अधिवक्ता को यह अधिकार है कि वे मुख्य न्यायाधीश या प्रशासनिक न्यायाधीश के पास जायें किन्तु उन्हें न्यायाधीश को बदनाम करने का कोई अधिकार नहीं है। पीठासीन अधिकारी को सही करने के कई तरीके तंत्र में है। न्यायाधीशों के आचरण में कुछ उल्लेखनीयता उचित सीमा के अन्दर होनी चाहिये जो कि न्यायपालिका की छवि को जनता में गिरने न दे।

Advocates singly or through their associations have no right to comment adversely on the conduct of a Judge or any other judicial officer. In practice however due to general prevalence of violence, physical and vocal, there have been numerous cases of adverse comments by lawyers on the conduct of Judges. The advocates can not be allowed to comment on the conduct of the judges. This can not be justified when we have guaranteed the independence of judiciary in the Constitution of India.

अधिवक्ता को स्वयं या संघ द्वारा न्यायाधीश या अन्य न्यायिक अधिकारी के आचरण पर विपरीत टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। व्यवहार में सामान्य हिंसा, शारीरिक या मौखिक, के कारण कुछ एक ऐसे मामले हुए हैं जहाँ पर अधिवक्ताओं ने न्यायाधीश के आचरण पर प्रतिकूल टिप्पणी की है। अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के आचरण पर टिप्पणी के अधिकार की अनुमति नहीं देनी चाहिये। जब हम भारत के संविधान के अंतर्गत न्याय पालिका की स्वतंत्रता के लिये वचनबद्ध हैं तो यह न्यायोचित नहीं है।

Q.35 Do you think that there is also some duty of judges/ lawyers towards the litigants?

Replies from Bench

The duty is very onerous. The duty of the lawyer as well as of the Judge is to give justice to the litigant. It is for the discharge of this duty that the institution of judiciary exists. Entire system is for the litigants and Advocates and judges have a paramount duty towards the litigants. Both the lawyers and presiding Officers have their duties to redress the grievance of the litigants and to provide them relief where ever it is possible in accordance with law. Litigant's interest is Supreme. Obviously the judges and the lawyers should think that litigants interest should be of prime consideration in their working and both of them should see that justice in any case is secured by them. Both owe a good deal of the duties towards the litigants. The whole judicial system exists for the litigant and both Bench and Bar should keep the interest of the litigants in view for whom they exist. All possible efforts be made that justice is done for the litigants.

प्रश्न-35 क्या आप ऐसा सोचते हैं कि न्यायाधीशों तथा अधिवक्ताओं का वादकारी के प्रति कुछ कर्तव्य है?

न्याय पीठ का विचार -

बहुत बड़ा कर्तव्य है। न्यायाधीश व अधिवक्ता दोनों का कर्तव्य वादकारी को न्याय दिलाना है। इसी कर्तव्य के निर्वहन के लिये न्यायपालिका बनी है। वादकारी के प्रति न्यायाधीश एवं अधिवक्ता का कर्तव्य सर्वोपरि है। दोनों का ही कर्तव्य वादकारी की पीड़ा का निवारण करके उसे अनुतोष प्रदान करना है। वादकारी का हित सर्वोच्च है। न्यायाधीश एवं अधिवक्ता दोनों को ही यह सोचना चाहिये कि उनका प्रथम कर्तव्य वादकारी का हित है। सम्पूर्ण न्यायिक तंत्र का अस्तित्व वादकारी के लिये ही है अतः न्यायाधीश व अधिवक्ता का यह कर्तव्य बनता है कि वादकारी के हित को प्राथमिकता दे। संपूर्ण प्रयास वादकारी को न्याय दिलाने के लिये किया जाना चाहिये।

The primary duty of lawyers is to observe and honestly follow the well known ethics of the profession in dealing with their clients, and being fair to the opposite party also. It is for the judges to know that not only under the law but also under their oath of office, they are bound to be extremely honest, above board, courteous and sympathetic in dispensing justice in accordance with law, equity and good conscious. The lawyers should treat their profession as a noble profession and should not commercialise it.

बार का विचार -

अधिवक्ताओं का प्रथम कर्तव्य है कि अपने व्यवसाय के आचार नीति का ईमानदारी से अनुसरण करें। अपने पक्ष को न्याय दिलाने के साथ-साथ दूसरे विपरीत पक्ष के साथ भी निष्पक्ष रहें। न्यायाधीशों को यह जान लेना चाहिये कि वे न केवल विधि से आबद्ध हैं बल्कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि वे ईमानदारी, सहनशीलता एवं सहानुभूति पूर्वक विधि के अनुसार न्याय करेंगे और इसके लिये उन्हें प्रतिज्ञाबद्ध रहना चाहिये। अधिवक्ताओं को अपने व्यवसाय को सम्मानजनक व्यवसाय के रूप में लेना चाहिये न कि व्यापार रूप में।

Q.36 Do you want to give any other suggestion ?

Replies from Bench

For orderly administration of the State it is necessary that the credibility of permanent institutions may not be eroded. The citizen have faith in the Civil Services including the Police Services and judiciary. A citizen who fails to get redress from the Administrative Officers may approach the courts for redress of his grievances. Once a citizen gets an impression that he will come on the street, then a State anarchy will be reached. This is what has to be realised not only by members of the Bench and the Bar but also by the leaders of the country. Of late a tendency has developed to tarnish the image of the judiciary. Upon lawyers lies especially the responsibility of maintaining the credibility of judicial system. If they will try to obtain final or interim orders on the basis of their physical strength the faith of the citizen in the judicial system will be shaken.

The members of the Bar as well as the Bench may seriously ponder over the question of maintaining the prestige, dignity and credibility of judicial system. It is only when the dignity of the Bench will be maintained that the credibility of the judicial system will be maintained. It is strange that if a presiding officer

प्रश्न-36 क्या आप अन्य सुझाव देना चाहते हैं?

न्याय पीठ का विचार –

राज्य के सामान्य प्रशासन के लिये यह आवश्यक है कि स्थाई संस्था की विश्वसनीयता हिलने न पाये। नागरिकों को सिविल सेवाओं मय पुलिस सेवा तथा न्यायपालिका में विश्वास है। एक नागरिक जिसकी पीड़ा का निवारण प्रशासनिक अधिकारी द्वारा नहीं हो पाता, वह निवारण के लिये न्यायालय का अवलम्ब लेता है। एक बार यदि उस पर यह प्रभाव पड़ जाय कि वह सड़क पर आ जायेगा तब राज्य हीनता या अराजकता हो जायेगी। यह न ही केवल न्यायपीठ के सदस्यों एवं बार के सदस्यों को समझना चाहिये बल्कि देश के नेताओं को भी यह बात समझ में आनी चाहिये। कुछ समय से न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने की प्रकृति का विकास हो रहा है। अधिवक्ताओं पर यह मुख्य रूप से दायित्व है कि वे न्यायपालिका की विश्वनीयता बनाये रखें। यदि वे अन्तिम आदेश या अनन्तिम आदेश प्राप्त करने के लिये भौतिक शक्ति का अवलम्ब लेंगे तो नागरिकों का विश्वास न्यायपालिका पर से हिल जायेगा। न्यायाधीश एवं अधिवक्ता दोनों को न्यायपालिका की गरिमा, प्रतिष्ठा एवं विश्वसनीयता को बनाये रखने के लिये चिन्तनरत होना होगा।

misbehaves the advocates go on strike or boycott that particular court and seek transfer of the P.O., but when any Advocate misbehaves, then Bar Associations keep mum and they refuse to take any action against the particular lawyer. So the Bar Associations should think of system dealing with such Adovcate members who misbehave. There should be an effective machinery to control the work and conduct of the members of the Bar and the functioning of the Bar so that the functioning of the courts is geared up.

यदि न्याय पीठ की गरिमा बनी रहेगी तभी न्यायिक तंत्र की विश्वसनीयता भी बनी रहेगी। यदि कोई पीठासीन अधिकारी दुर्व्यवहार करता है तो अधिवक्ता उसके न्यायालय का बहिष्कार करते हैं तथा हड़ताल पर चले जाते हैं किन्तु जब अधिवक्ता दुर्व्यवहार करता है तो बार संघ के सदस्य चुप्पी धारण कर लेते हैं तथा उस अधिवक्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने से इनकार कर देते हैं, किन्तु उन्हें उस अधिवक्ता के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिये। एक प्रभावी मशीन या तंत्र का होना आवश्यक है जो कि अधिवक्ताओं पर नियंत्रण रखे तथा न्यायालय के कार्यों को सुचारू रूप से चलाये।

Replies from Bar

The constitution of the Bar councils requires to be changed. The disciplinary committee should have a nominated member also who is named by the Chief Justice if the Advocate concerned is ordinarily practicing in the High Court or by the District Judge of the District where the Advocate concerned might be practicing. A thorough debate on the subject is necessary to check the further down fall of the judicial system and for making suggestions to Law Commission. There ought to be more judges in High Court and High Court must decide cases coming in appeal or revision in six months and give directions to court below if any error is committed.

बार का विचार -

बार कौंसिल के गठन में परिवर्तन की आवश्यकता है। यदि अधिवक्ता उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहा हो तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा और यदि जिला न्यायालय में अधिवक्ता प्रैक्टिस कर रहा हो, तो जिला न्यायाधीश द्वारा, नामित एक सदस्य, अनुशासनिक समिति का एक सदस्य होना चाहिये। एक आद्योपान्त वाद विवाद न्यायिक तंत्र की गिरती हुई गरिमा को रोकने के लिये होना आवश्यक है। उच्च न्यायालयों में अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी चाहिये तथा जो अपील या पुनरीक्षण उच्च न्यायालय के समक्ष आते हैं उन्हें छह माह में निर्णीत करने की कोशिश करनी चाहिये तथा उन्हें, त्रुटियाँ होने पर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश देना चाहिये।

Q.37 Why do you avoid Judges ?

Replies from Bar

Some times particular judges are avoided by the Bar when it is known that the particular matter is going to be adversely decided by him because of his ealier views on similar matters. Litigants and lawyers want to take chances before other judges. There are always persons with whom you want to come close and there are some whom you avoid similarly situated. Likes and dislikes are natural. If some judge is abnoxious he ought to be transferred. Each Judge has his own notions, being a human being. If they are not dispensing justice evenly between the parties in similar situations or if they are rude in their behaviour towards lawyer or even to the litigant, they should be avoided.

प्रश्न-37 आप न्यायाधीश से क्यों बचते हैं?

बार का विचार -

बार के सदस्यों द्वारा कभी-कभी किसी व्यक्ति विशेष न्यायाधीश को इस कारण टाला जाता है जब यह पता लग जाता है कि वह अमुक वाद में प्रतिकूल आदेश पारित करेगा क्योंकि इसी प्रकार के प्रकरण में वह वैसा ही विचार व्यक्त कर चुका है। उस स्थिति में अधिवक्ता या वादकारी दूसरे न्यायाधीश के सम्मुख प्रकरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। सदैव ऐसा होता रहा है कि आप किसी व्यक्ति के समीप आना चाहते हैं एवं किसी से बचते हैं। पसंद या नापसंद स्वाभाविक है। यदि कोई न्यायाधीश आपत्तिजनक है तो उसे स्थानान्तरित कर देना चाहिये। सभी न्यायाधीशों के मानव होने के नाते अपने सिद्धान्त है। यदि वे न्याय को समान रूप से निष्पादित नहीं करते जबकि तथ्य समरूप होते हैं या उनका व्यवहार अधिवक्ता या वादकारी के प्रति निष्ठुर है तो उनसे बचा जाता है।

ANALYSIS OF REPLIES

After analysing these questionnaires we find that on the question of conflict between Bench and Bar, forty percent of the members of Bench have replied that there in no institutionalise conflict as such between the members of the Bench and the Bar, whereas sixty percent of the members of Bench have replied that there is direct conflict between the Bench and Bar and there is conflict of interest.

The percentage of the members of Bar on the question of direct conflict is fifty percent. According to them the conflict between the members of Bench and Bar is now very open. Whereas half of them deny about the direct conflict. Bench and Bar are two limbs of same institution namely judicial justice system, with a common objective of serving the people. How can there be a conflict ?

On the question of reasons of conflict, the percentage of direct reason is very less. Few members of Bench are not in favour of direct reason. The question of conflict arises when a section of some members of the Bar act otherwise with a view to get rich overnight or to earn a reputation, which on merit, they are not entitled to.

Majority of the members of Bench are in favour of direct reason. They say, that there are many reasons of conflict like non training of lawyers, social and political tensions in the society, heavy rush of work in courts etc.

विचार विश्लेषण

इस प्रश्नोत्तर का विश्लेषण करने के बाद यह पाते हैं कि न्यायपीठ एवं बार में विरोधाभास के संबंध में लगभग चालीस प्रतिशत न्याय पीठ के सदस्यों का मत है कि कोई संस्थात्मक प्रकार का विरोधाभास नहीं है जबकि साठ प्रतिशत न्याय पीठ के सदस्यों की राय थी कि प्रत्यक्ष विरोधाभास दोनों में विद्यमान है।

बार के सदस्यों में आधे का मत है कि प्रत्यक्ष विरोधाभास है जबकि आधे ने इन्कार किया कि कोई प्रत्यक्ष विरोधाभास है। न्याय पीठ एवं बार दोनों न्यायिक तंत्र के दो पहिये हैं तथा जिनका उद्देश्य न्याय दिलाना है, तो विरोधाभास कैसे हो सकता है।

जहाँ तक विरोधाभास के कारण का संबंध है कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं है। न्याय पीठ के कुछ सदस्यों ने माना है कि प्रत्यक्ष कारण नहीं है। विरोधाभास तभी उत्पन्न होता है जब कि बार का एक वर्ग एक ही रात में या कम समय में अमीर होने का स्वप्न देखता है। जबकि इसके लिये वे पूर्णतः प्रयास नहीं करते।

न्याय पीठ के अधिकतर सदस्यों का यह मत है कि प्रत्यक्ष कारण है। उन्होंने अधिवक्ताओं का प्रशिक्षित न होना, राजनीतिक एवं सामाजिक तनाव, कार्य की अधिकता आदि को विरोधाभास का कारण माना है।

As far as the members of Bar are concerned few of them replied that there is no reason of conflict but the percentage of the person who answered positively is very high. About ninety five percent of the members of Bar have given many reasons for conflict. The question No.3 is concerned with the fall in the standard of behaviour of the Bench and Bar. The fall in behaviour is accepted by the majority of the members of Bench. In the last fifteen years things have really gone too bad and the members of the judiciary have been subjected to even physical assault by lawyers.

Cent percent members of the Bar have also accepted that there has been a fall in standards of behaviour of both, the Bench and Bar, which is more noticiable for the last fifteen years.

As far question No.4 which relates to shortcomings is concerned, answers of the members of Bench are mostly common, such as there is lack of proper education and training of lawyers and judicial behaviour, increase in violence, tension and corruption etc.

The views of all members of Bar are also common on the question of short comings, like lack of training, lack of integrity, downwards slide in traditions and values etc.

On the question, on whom the responsibility of conflict lies, the sixty percent of the members of Bench have replied that the fault and responsibility lies both ways while some of them keep mum and few of them said that responsibility lies on Bar totally.

जहाँ तक बार के सदस्यों का संबंध है बहुत कम ने यह कहा है कि विरोधाभास का कोई कारण नहीं है जबकि अधिकतर लोगों ने अपना मत विरोधाभास के संबंध में दिया है। बार के करीब 95% सदस्यों ने मतभेद के अनेक कारणों को बताया है। प्रश्न संख्या 3 न्याय पीठ एवं बार के सदस्यों के व्यवहार के स्तर के गिरावट के सम्बन्ध में है।

जहाँ तक न्याय पीठ एवं बार के व्यवहार में हीनता का प्रश्न है, न्याय पीठ के सभी सदस्यों ने यह स्वीकार किया है कि व्यवहार के स्तर में निम्नता आई है। यहाँ तक कि पिछले पन्द्रह वर्षों में स्थिति बहुत खराब हो गई है तथा अधिवक्ता द्वारा न्याय पीठ पर भौतिक प्रहार तक करने के आरोप लगाये गये। यही मत बार के सदस्यों का भी रहा है।

बार के शत प्रतिशत सदस्यों का मत था कि न्याय पीठ एवं बार के सदस्यों के स्तर में गिरावट आई है। यह विगत पन्द्रह वर्षों से अधिक प्रतीत हो रहा है।

न्याय पीठ एवं बार के सदस्यों की कमियों के प्रश्न पर दोनों के विचार एक समान रहे, जैसे अधिवक्ताओं के उचित शिक्षा एवं प्रशिक्षण की कमी, न्यायिक बर्ताव में कमी, हिंसा का प्रभाव परम्पराओं एवं नैतिक आदेशों का ह्रास इत्यादि।

जहाँ तक इस विरोधाभास को उत्पन्न करने के दायित्व का प्रश्न है साठ प्रतिशत न्याय पीठ के सदस्यों का मत है कि दोनों का ही बराबर उत्तरदायित्व है। किन्तु अन्य लोगों ने कोई उत्तर नहीं दिया तथा कुछ ने पूरी तरह बार के सदस्यों को ही उत्तरदायी ठहराया।

A very good number of the members of Bar answered that responsibility lies on both whereas very less number of lawyers answered that only Bar is responsible for conflict.

Overcrowding of Bar is responsible for conflict is favoured by twenty percent, very few totally deny and about some of the members of Bench have not given clear answer.

A good number of the members of Bar have considered overcrowding as an ingredient of conflict while a few of them deny and some of them have not given clear answer.

Cent percent of the members of Bench are in favour of change in the pattern of LL.B. examination. They stress on the practical tyraining after LL.B. and there should be competitive entrance examination for Law course.

As far as members of Bar are concerned few number of lawyers are not in favour of any change in the pattern of LL.B. examination while about ninety five percent are in favour of some change in the pattern of LL.B. examination. They are also in favour of competitive entrance examination for law classes and practical training after passing the law.

On the quesion of training with some senior lawyers before enrolment, all the members of Bench and Bar agreed on this point that there should be training with some senior lawyers. This training acquaints the new entrants with traditions of the profession.

बार के अधिकतर सदस्यों ने भी दोनों को ही इस विरोधाभास के लिये उत्तरदायी ठहराया। बहुत कम लोगों ने केवल बार के सदस्यों को इसके लिये उत्तरदायी माना।

न्याय पीठ के लगभग बीस प्रतिशत सदस्यों ने यह माना कि विधि व्यवसाय में अत्याधिक भीड़ इस विरोधाभास का कारण है, जबकि कुछ ने अस्वीकार कर दिया तथा अन्य ने अपना स्पष्ट विचार नहीं प्रकट किया।

बार के अधिकांश सदस्यों ने माना कि भीड़ से विरोधाभास बढ़ा है जबकि अन्य के मत न्याय पीठ के विचारों के समान है।

नब्बे प्रतिशत न्याय पीठ के सदस्यों ने विधि परीक्षा के ढंग को बदलने के लिये अपनी सहमति दी तथा व्यवहारिक प्रशिक्षण को अनिवार्य बताया।

बार के कुछ सदस्यों की राय विधि प्रवेश के ढंग को बदलने की नहीं है। जबकि अधिकांश सदस्य इस पर सहमत है कि विधि परीक्षा का ढंग बदला जाय तथा प्रवेश परीक्षा अनिवार्य की जाय। विधि परीक्षा के बाद व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाय।

न्याय पीठ एवं बार के सभी सदस्य इस पर सहमत है कि विधि व्यवसाय में प्रवेश के पूर्व अधिवक्ताओं को किसी वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ प्रशिक्षण लेना आवश्यक है। इससे उन्हें इस व्यवसाय की परम्पराओं की जानकारी मिलेगी।

The sixty percent of the members of Bench are not of the opinion that there should be two classes of lawyers namely senior lawyers and lawyers at the level of District Courts as well but few are in favour of such classification.

As far as the members of Bar are concerned the percentage is equal to Bench who are not in the favour of such classification. Very few are in favour of classification.

The opinion of the ninety five percent of the members of Bench regarding the qualification for becoming a senior advocate is that, a senior advocate should have a standing at Bar for not less than twenty years and outstanding performance as an advocate.

Fifty percent of the members of Bar have expressed their opinion that for becoming a senior advocate competency can only be the qualification, while fifty percent have not given any reply in this connection.

A good number of the members of Bench are not agreed with this view that the relationship between the members of the Bar and Bench is that of co-parceners. The Bench and Bar are partners in the administration of justice. While few accept this view that the relationship between the Bench and the Bar is that of co-parceners.

लगभग साठ प्रतिशत न्याय पीठ एवं बार के सदस्यों का मत है कि अधिवक्ताओं के दो वर्ग नहीं होने चाहिये।

वरिष्ठ अधिवक्ता/अधिवक्ता की योग्यता के संबंध में निन्यानवे प्रतिशत न्याय पीठ के सदस्यों का विचार है कि उनकी बीस साल की प्रैक्टिस होनी चाहिये तथा उनका उत्कृष्ट आचरण होना चाहिये।

पचास प्रतिशत बार के सदस्यों का विचार है कि वरिष्ठ अधिवक्ता का अपने कार्य में सक्षम होना काफी है तथा पचास प्रतिशत ने कोई राय नहीं दी।

न्याय पीठ के काफी सदस्यों का यह मत है कि न्याय पीठ एवं बार का संबंध सह भागीदार की तरह नहीं है क्योंकि दोनों ही न्याय प्रशासन के साथी हैं, जबकि कुछ ने इस संबंध को स्वीकार किया।

As far as members of the Bar are concerned, majority of the members of the Bar accept this relationship as co-parceners and few are not agreeing with this view.

Lawyers are members of spiritual organisation, namely judiciary and have no right of strike. The ninety percent of the members of Bench are agreeing with this view that strike is a weapon of workers against proprietors.

As regards the views of the members of Bar in this connection are concerned, the percentage of accepting strike as a weapon is about ninety percent and about ten percent are not agreed with this.

A worker goes on strike to protest against his employer. A Lawyer goes on strike which has the effect of prejudicing the cause of his client when he has no grievance against his client. Lawyers go on strike primarily to satisfy their ego. Lawyers do not gain anything by proceeding on strike. They may loose fee and not a single client feels happy and sympathise with lawyers when they proceed on strike. These are the views of all the members of Bench and Bar.

All the members of the Bench and Bar are in agreement on the point that clients confidence in the administration of justice shaken when lawyers proceed on strike.

All the members of the Bench are of this opinion that grievance of the lawyers can be redressed otherwise than by way of strike.

बार के अधिकांश सदस्यों ने न्याय पीठ एवं बार के संबंधों को सहभागीदार माना जब कि कुछ ने नहीं।

अधिवक्ताओं एवं न्यायपीठ के अधिकांश सदस्यों ने यह माना कि अधिवक्ताओं को हड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं है न ही उन्हें हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग करना चाहिये।

एक कर्मकार हड़ताल पर अपने मालिक के विरुद्ध अपने रोष को प्रकट करने के लिये जाता है। जबकि अधिवक्ताओं के हड़ताल पर जाने से वादकारी पर प्रभाव पड़ता है तथा अधिवक्ता केवल अपने अहम को संतुष्ट करने के लिये हड़ताल पर जाते हैं। अधिवक्ताओं को हड़ताल पर जाने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता न ही उन्हें अपनी फीस की हानि उठानी पड़ती है। कोई भी वादकारी अधिवक्ता के हड़ताल पर जाने से न तो खुश होता है न ही उसे अधिवक्ताओं से सहानुभूति होती है। यह विचार न्याय पीठ एवं बार दोनों के सभी सदस्यों का है।

न्याय पीठ एवं अधिवक्ता दोनों का यह मानना है कि हड़ताल से न्याय प्रशासन में वादकारियों का विश्वास घटता है।

All the members of Bar are agreed upon that the grievance of the lawyers can be redressed otherwise than by way of strike and about eighty percent of the members of Bar are of this view that there should be redressal forum for settling the conflicts between Bench & Bar and the constitution of that redressal forum is common in both the members of Bench and Bar.

Reasons for delay in disposal of cases given by the all members of the Bench and Bar are also common.

As far as some structural or basic amendments in Advocates Act, C.P.C. and Cr. P.C. are concerned, majority of the members of the Bench are of this opinion that Advocates Act requires amendment while a few have given no answer.

Only twenty percent of the members of Bar are in favour of amendment in Advocates Act.

All members of Bench and Bar are agreed upon that relationship between the Bench and Bar can be improved by having mutual ,respect to each other.

न्याय पीठ एवं बार सभी का यह मानना है कि अधिवक्ताओं की पीड़ा का निवारण हड़ताल के अतिरिक्त भी हो सकता है। निवारण समिति का गठन करके उनका हल निकाला जा सकता है।

वादों के निस्तारण में विलम्ब के क्या कारण हैं इस पर अधिवक्ता एवं न्याय पीठ दोनों के समान विचार हैं जैसे अत्याधिक लम्बित वाद, न्याय पीठ एवं बार की अयोग्यता महत्वांकाक्षी होना, अत्याधिक स्थगन आदि।

जहाँ तक अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन का प्रश्न है न्याय पीठ एवं अधिवक्ता दोनों ही यह चाहते हैं कि संशोधन किया जाय।

न्याय पीठ एवं बार दोनों का मत है कि आपस में आदर भाव से दोनों के संबंधों में सुधार लाया जा सकता है।

On point of the trial of petty cases by Gaon Panchayat, Members of Bench and Bar are totally against.

All the members of the Bench and Bar accept that only fair comment can be passed on the conduct of judges and judgment given by them.

छोटे मामलों के निस्तारण को ग्राम पंचायत के सुपुर्द करने के प्रश्न पर न्याय पीठ एवं अधिवक्ता दोनों ही विरुद्ध हैं।

न्यायपीठ एवं बार दोनों के सदस्यों का मत है कि न्यायाधीशों के आचरण या कार्य पर स्वच्छ एवं निष्पक्ष टिप्पणी की जा सकती है।

Bench and the Bar constitute the two sides of the same coin. A strong Bar and a strong Bench can alone result in a strong judiciary. Both judges and lawyers are social scientists working in this laboratory. Together and united they can produce excellent result. There should be as much understanding, harmony and mututal respect between the Bench and Bar, as humanly possible. A judge does not relish in deciding a case when one side is unrepresented or poorly represented. It may be that a judge is unable to appreciate a valid point made by a counsel but his duty is to hammer the point politely. If the counsel will become aggressive, perhaps the debate may end and the judge may thereafter be merely listening to the arguments without any mental participation. By exchange of views the counsel may ultimately be able to bring the judge around his point of view, but if the exchange of views comes to an end, the interest of the client may be lost. Aggressive advocacy scuttles debate. A consciencious lawyer is more interested in correct decision of the case than in the decision of the case in favour of his client, especially where law is to be laid down. The members of the Bar as well as of the Bench may seriously ponder over the question of maintaining the prestige, dignity and credibility of the judicial system. It is only when the dignity of the Bench will be maintained, the credibility of the judicial system will be maintained.

The dignity of the Bar is enhanced

न्याय पीठ एवं बार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक सुदृढ़ न्याय पीठ एवं सुदृढ़ बार से एक सुदृढ़ न्यायपालिका का निर्माण होता है। न्यायाधीश एवं अधिवक्ता दोनों ही सामाजिक वैज्ञानिक हैं। एक साथ एवं एक मत होकर वे उत्कृष्ठ परिणाम दे सकते हैं। न्याय पीठ एवं बार के मध्य एक दूसरे के लिये आदर भाव होना चाहिये। एक सही न्यायाधीश किसी वाद का निर्णय करने में उस स्थिति में असमर्थता व्यक्त करता है जब कि दूसरा पक्ष ठीक प्रकार से प्रस्तुत न किया गया हो। यदि कोई न्यायाधीश किसी वाद का निर्धारण करते समय किसी मान्य बिन्दु पर विचार नहीं करता तो अधिवक्ता का यह कर्तव्य है कि उस बिन्दु को नम्रतापूर्वक उसके ज्ञान में लावे। यदि अधिवक्ता उग्र होगा तो विवाद खत्म नहीं होगा। यदि विचारों का आदान-प्रदान भली प्रकार हो तो न्यायाधीश उस बिन्दु तक पहुंच सकता है। उग्र बहस से विवाद उत्पन्न होता है। एक जागरूक अधिवक्ता सदैव वाद के सही निर्णय के लिये रुचि लेता है बजाय बादकारी के पक्ष में, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है विशेषकर जहाँ विधि की व्यवस्था होनी हो। न्याय पीठ एवं बार दोनों को न्यायिक तंत्र की गरिमा, प्रतिष्ठा एवं उल्लेखनीयता बनाये रखने में अपना सहयोग देना चाहिये। जब न्याय पीठ की गरिमा बनी रहेगी तो न्यायिक तंत्र की भी

by dignified behaviour. Unruly behaviour is not an attribute of a civilised society. Members of the Bar are expected to make use of their tongue and brain and not hands and legs. A sophisticated but incisive remark has more effect upon a judge than a crude remark. The entire judicial system has been built only to provide relief to the litigants, both the lawyers and presiding officers have their duty to redress the grievance according to law. The ultimate goal of the Bench is to reach the truth and to provide what is due to him according to law. The Bar assists in reaching the said goal. Sometimes, though not often, indisciplined and unruly behaviour is resorted to with a view to adopt the tactic of brow-beating and if that is checked, a threat is there to create trouble for the courts. Self correction on the basis of fair and unbiased criticism is one of the methods to go forward towards unachievable goal of perfection. It is some thing which is an ideal. No one perhaps may be able to claim it but an endeavour to reach and achieve the goal is nothing but to be honest to oneself. In such matters, ego should not be involved.

But it is seen that in result oriented practice of profession often the criticism is not fair. Sometimes criticism is levelled on uncorrect and incomplete facts. Far fetched motives are searched out and imputed without going to ascertain before making any allegation. Allegations are made lightly.

उल्लेखनीयता बनी रहेगी। बार की गरिमा, गरिमापूर्ण व्यवहार के द्वारा बढ़ सकती है। उच्छृंखल या विधि रहित व्यवहार सभ्य समाज की विशेषता नहीं है। बार के सदस्यों को अपने मस्तिष्क एवं जिह्वा का प्रयोग करना चाहिये न कि हाथ एवं पैरों का। एक व्यवहारकुशल किन्तु तीखी टिप्पणी न्यायाधीश पर उतना प्रभाव डालेगी जितना कि असभ्य टिप्पणी नहीं। सम्पूर्ण न्यायिक तंत्र वादकारियों को न्याय प्रदान करने के लिये बना है। पीठासीन अधिकारी एवं अधिवक्ता दोनों का ही ये कर्तव्य है कि वादकारी की पीड़ा का निवारण कर उन्हें विधि के अनुसार अनुतोष प्रदान करें। न्याय पीठ का ध्येय यही होना चाहिये कि सत्य तक पहुंचे और उसे प्राप्त करें जो विधि द्वारा मान्य हो तथा बार को इसमें न्याय पीठ की सहायता करनी चाहिये। कभी-कभी अनुशासनहीनता व विद्रोही व्यवहार का सहारा लेकर अधिवक्ता समुदाय धमकाने की कोशिश करते हैं और यदि उन्हें रोका जाय तो वे अदालत के लिये बाधायें खड़ी करने की धमकी भी देते हैं। स्वच्छ एवं पक्षपात-रहित टिप्पणी के आधार पर स्वयं का संशोधन करना, अप्राप्य पूर्णता के उद्देश्य को पाने की दिशा में एक प्रयास है। यह एक आदर्श स्थिति है। निश्चय ही इसे कोई प्राप्त नहीं कर सकता किन्तु इस तक पहुंचने का प्रयास स्वयं को ईमानदार बनाये रखने का एक निश्चित प्रयास है। इस दिशा में अपने अहम को आने नहीं देना चाहिये।

किन्तु बहुधा यह देखा गया है कि परिणाम से हितबद्ध इस व्यवसाय में टिप्पणी सदृश्यता से युक्त नहीं होती। कभी-कभी टीका टिप्पणी गलत एवं अपूर्ण तथ्यों पर आधारित होकर तथ्यहीन आरोप आरोपित किये जाते हैं। आरोपों को बिना सोचे समझे आसानी से लगा दिया जाता है।

In the present judicial system, for smooth working co-operation between the Bar and the Bench is necessary. To achieve this end, so far as the Bench is concerned, some of the officers who are arrogant in their behaviour will have to correct themselves. They will also have to develop a sense of respect towards the Bar. They will also have to be well up with law so as to be able to conduct the proceedings with grip over the judicial proceedings of the court. So far complaint of falling standard of integrity is concerned, it should be strongly taken care of on the administrative side. In this connection it is also necessary that those who make a complaint must co-operate so that in case it becomes necessary to take action, it may be taken to its logical end. The officers who do not enjoy good reputation will have to be watched.

In the course of their training prior to appointment, great emphasis is required to be given on the aspects mentioned above. They have to be made to realise that integrity of an officer is the core of his service which inspires confidence of the public in them and this is what is necessary and is the essence of an effective judiciary. So far as the Bar is concerned, with immediate effect one year's training with senior lawyer must be made compulsory. Only such lawyers should be eligible and qualified to give training who have some minimum prescribed period of experience at the Bar and their records of performance and

वर्तमान न्यायिक तंत्र के सफलतापूर्वक कार्य करने के लिये न्याय पीठ एवं बार के सदस्यों के बीच सहयोग अवश्य रहना चाहिये। न्याय पीठ के वे सदस्य जो उच्च हैं उन्हें अपने व्यवहार को सही करना चाहिये। उनमें बार के सदस्यों के प्रति आदर भाव भी होना चाहिये। उन्हें विधि का उचित ज्ञान होना चाहिये तथा उनका आचरण भी शुद्ध होना चाहिये। जहाँ तक न्याय पीठ के सदस्यों के सत्यनिष्ठा का प्रश्न है, प्रशासनिक पहलू पर अधिक ध्यान देना चाहिये। वे जो शिकायतकर्ता हैं उन्हें सहयोगी होना चाहिये ताकि कोई कार्यवाही तर्क के साथ की जा सके। वे अधिकारी जिनकी प्रतिष्ठा सही नहीं है उन पर निगरानी रखना होगा।

नियुक्ति के पूर्व उनके प्रशिक्षण के मध्यान, उपरोक्त पहलुओं पर अधिक बल देना होगा। उन्हें भी समझाना होगा कि ईमानदारी ही अधिकारी की सेवा का मूल तंत्र है जिससे जनता का उनके प्रति विश्वास उपजता है और यही उनके लिये आवश्यक है, जिससे न्यायपालिका की छवि निखरती है। जहाँ तक बार का संबंध है, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ कनिष्ठ अधिवक्ताओं का एक वर्ष का प्रशिक्षण अनिवार्य कर देना चाहिये। केवल उन्हीं अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिये पात्र एवं योग्य समझना चाहिये जिन्होंने अधिवक्ता के रूप में प्राविधित अवधि तक कार्य कर लिया हो और न्यायालय में कार्य पद्धति एवं व्यवहार सराहनीय हो।

conduct in court have been good. There should be attitudinal change. Both Bar and Bench should have the attitude that they are collectively working in spiritual organisation. Both Bar and Bench should avoid loud, harsh and in-temperate language.

The basic short coming is the general deteriorations of morals regarding truth, rituousness and equitable social behaviour due to numerous causes. The first step would be to meet the District Judge and thread Bare discuss the matter with him. Across the table the Bar and the District Judge can thrash out the difference and try to arrive at the amicable redress. If the Bar is not satisfied then the next step would be to approach the judicial authority who is higher in rank than the District Judge. If the Bar is still not satisfied with the redress sought to be meeted out for a particular grievance it can then meet the learned Chief Justice, the highest judicial authority in the State. This step by step approach would also be conclusive to the growth of healthy relationship of mutual trust and confidence between the Bench and the Bar.

Coming to the relationship between the Bar and the Bench from judicial angle two aspects are involved viz the Bar's relationship with the Bench and the relationship of Bench with Bar. So far as Bar relationship is concerned, lawyers should act with dignity, decorum and responsibility. They should also try their best to see that court time is not wasted.

पीठ एवं बार दोनों को यह सोचना चाहिये कि वे आध्यात्म संस्था के सदस्य हैं। दोनों को ही कठोर शब्दों के प्रयोग से दूर रहना चाहिये।

अनेक कारणों से सत्यनिष्ठा एवं न्यायप्रिय सामाजिक व्यवहार में कमी सामान्य गिरावट का मूल स्रोत है। सर्वप्रथम किसी भी समस्या के निदान के लिये जिला न्यायाधीश से सम्पर्क करना चाहिये। टेबुल पर बार के सदस्य व जिला जज बैठकर मतभेदों पर खुलकर बातचीत कर सकते हैं और शांति पूर्वक हल निकाल सकते हैं। यदि उस निर्णय से बार संतुष्ट न हो तो उनके ऊपर के न्यायिक अधिकारी से सम्पर्क किया जाय। यदि तब भी विवाद का हल न हो राज्य के उच्चतम न्यायिक अधिकारी, विद्वान मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपनी पीड़ा को रखकर बातचीत द्वारा हल निकाला जा सकता है। इस उत्तरोत्तर प्रयास से, न्यायपीठ एवं बार के सदस्यों के पारस्परिक संबंध व विश्वास को बल मिलेगा और शंका का समाधान भी हो जायेगा।

न्यायिक दृष्टिकोण से न्याय पीठ एवं बार के संबंधों के दो पहलू हैं एक तो न्याय पीठ एवं बार का संबंध एवं दूसरा बार एवं न्यायपीठ का संबंध। जहाँ तक बार का संबंध है, अधिवक्ताओं को अपना कार्य शिष्टता शालीनता एवं उत्तरदायित्व से करना चाहिये। उनको ऐसा प्रयत्न करना चाहिये ताकि न्यायालय का समय कम से कम बर्बाद हो।

CONCLUSION

In fact both the Bench and Bar are two sides of the same coin and if one side of it loses its identity the coin loses its price and becomes a worthless metal piece. Therefore, it is essential that the Bar also realises its duty and sacrifices its individual interests in the larger interest of the institution of judiciary because once the people distrust in the institution it will crumble down like a house of cards and a situation may come when it will be difficult to distinguish between professional conduct or misconduct. The earlier we realise it, the better it would be to restore people confidence in the instituion which is already on trial. If the Bar wants to maintain it professional hold on the judges, it is essential that it will have to bring substantial changes in its outer look and approach towards the judges and the judiciary.

Bar and Bench are sinequanon of administration of justice. Therefore, it is imperative on the Bar and the Bench both, to put on their best towards each other. There should be as much understanding, harmony and mutual respect between the two as humanly possible. Their good relations and mutual confidence would strengthen the confidence of the people in judiciary and in its turn, enable it to deliver justice properly. Both are complementary to each other.

निष्कर्ष

वास्तव में न्यायपीठ तथा बार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यदि एक हिस्सा अपनी पहचान खो देता है तो सिक्के का मूल्य शून्य हो जाता है वह केवल एक धातु का टुकड़ा मात्र रह जाता है। इस कारण यह आवश्यक है कि बार अपने कर्तव्यों का पालन करे तथा अपने व्यक्तिगत हित को न देखकर पूरे न्यायिक संस्था के हित के लिये थोड़ा त्याग करे। क्योंकि यदि एक बार जन साधारण के हृदय में इस संस्था के लिये अविश्वास पैदा हो गया तो फिर यह संस्था ताश के घर की तरह चरमरा कर गिर जावेगी और एक ऐसी स्थिति आ सकती है जब व्यवसायिक दुराचरण एवं दुराचरण में भेद करना कठिन हो जाय। जितना शीघ्र इस स्थिति को समझा जावेगा उतना ही शीघ्र जनता का विश्वास न्यायपालिका में बढ़ेगा जो पहले ही से दांव पर लगा है। यदि बार के सदस्य चाहते हैं कि न्याय पीठ पर उनकी पकड़ मजबूत रहे तो उन्हें अपने दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन लाना होगा और परिवर्द्धित दृष्टिकोण से उन्हें न्यायपालिका पर विश्वास करना होगा।

बार एवं न्यायपीठ दोनों ही न्याय प्रशासन के अनिवार्य अंग हैं। इस कारण यह आवश्यक है कि एक दूसरे के प्रति दोनों का आचरण श्रेष्ठ हो। दोनों के मध्य आपसी समझदारी, सामंजस्य तथा एक दूसरे के लिये आदर की भावना उतनी होनी चाहिये जितना सम्भव हो। उभय पक्षों के मध्य मधुर संबंध व आपसी विश्वास के फलस्वरूप जनसाधारण के हृदय में न्यायपालिका के प्रति विश्वास की भावना जाग्रत होगी जिस कारण उचित न्याय करने में सहायता प्राप्त होगी। न्याय पीठ एवं बार एक दूसरे के पूरक हैं।

The judges and the lawyers are the most important participants in the dispensation of justice and it is essential that they must work in co-ordination and harmony. Court decorum, self discipline and cool temperament are indispensible for the smooth working of the system. Irascibility at the individual level should be treated as an aberration and should not mar the general relations between the Bench and the Bar. There is an element of vulnerability about the office of a judge. The Bar more than any other body should be over vigilant towards any attack on the judiciary and in the same way the judges must exert their best to see that the legitimate grievances of the Bar are attended to. Conflict between the Bench and the Bar thus looked at, would appear to be wholly misconcieved and irrational.

If the Bench and Bar are to be treated as part and parcel of the scheme of and wheels of justice, the Bar in particular faces two formidable challenges; one to keep the steams of justice pure and clean, and another to improve the standard of the profession. Both go together and have to be taken up together for treatment. Unless the people get equal justice under the Constitution and justice is taken to the door of the poor, the legal profession will have to bear the cross that justice is yet to be done.

न्यायाधीश एवं अधिवक्ता न्याय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यह आवश्यक है कि दोनों में परस्पर सारतम्यता एवं सहयोग हो। न्यायालय शिष्टाचार, आचरण तथा शांत स्वभाव इस तंत्र को सरलतापूर्वक चलाने के लिए आवश्यक है। व्यक्तिगत आधार पर किसी के चिड़चिड़ेपन को एक भूत समझना चाहिये और इस कारण न्याय पीठ एवं बार के मध्य सामान्य सम्बन्ध को समाप्त नहीं करना चाहिये। समीक्षा करना न्यायाधीश का कर्तव्य है। किसी अन्य संस्था से कहीं अधिक यह दायित्व बार का है कि वह न्यायपालिका पर आक्रमण के प्रति सजग रहे। ठीक उसी प्रकार न्यायाधीश से भी अपेक्षा की जाती है कि बार के उचित कठिनाईयों के शमन के लिये यथायोग्य प्रयत्न यथाशीघ्र करें। इस परिवेश में बेन्च एवं बार के मध्य मतभेद अनुपयुक्त व अतार्किक लगेगा।

यदि न्याय पीठ एवं बार को न्याय रूप रथ के दो पहिये समझा जाये तो बार को दो विशालकाय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, पहला न्याय की धारा को शुद्ध एवं स्वच्छ रखना और दूसरा व्यवसाय के स्तर को ऊपर उठाना दोनों को एक साथ चलना है और निदान निकालना है। जब तक, जनता को संविधान के अनुसार समान न्याय नहीं मिलता, विधि व्यवसाय की आशंका बनी रहेगी कि न्याय अभी भी होना शेष है।

Both would have to do sacrifice for their better relationship. Only after this judiciary can maintain dignity and can inculcate a pious feeling, confidence and respect in the mind of the people. Both should think that litigants interest is supreme. The conflicts between the Bench and the Bar may be confined at intellectual level and may not be descended to physical levels.

सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित रखने के लिये दोनों को ही एक दूसरे के लिये त्याग करना होगा। तभी न्यायपालिका की गरिमा बनी रहेगी तथा जन साधारण के हृदय में भी न्यायिक तंत्र के प्रति विश्वास एवं पवित्रता की भावना बनी रहेगी। उभय पक्षों को सोचना चाहिये कि वादकारी का हित आपसी मतभेद भौतिक शक्तियों द्वारा न सुलझा कर मानसिक विवेक द्वारा हल किये जावे तो उचित रहेगा।

SUGGESTION

After studying the reply of questionnaires the following suggestions may be helpful to remove the differences between the Bench and Bar.

1. There should be provision in Advocates Act whereby training of one year under a senior lawyer before enrolment is made compulsory. For practising in the High Court, besides one year training with senior Advocate, an entrance examination or eligibility test should be held.

2. There should be check upon the entry of those persons into the profession who have spent a major part of their life in different offices and branches of activity.

3. There should be five years course for law degree after Intermediate, only for those people who want to come into legal profession. Last two years or one year should exclusively be devoted to the practical training of working in the court. But those people who only want to do law for their knowledge it should be only for three years after graduation.

4. The seats for LL.B. examination should be limited and entrance examination is the only way to regulate admission.

सुझाव

प्रश्नोत्तर का सम्पूर्ण अध्ययन करने के बाद कुछ सुझाव प्रकाश में आये हैं जो कि न्याय पीठ एवं बार के सदस्यों के मध्य उत्पन्न मतभेद या विरोधाभास को दूर करने में कुछ सीमा तक सहायक हो सकते हैं।

1. अधिवक्ता अधिनियम में अधिवक्ताओं के विधि व्यवसाय में प्रवेश के पूर्व उनका किसी वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ एक वर्ष के प्रशिक्षण का अनुभव अनिवार्य होने का प्रावधान बनाया जाना चाहिये। उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिये, किसी वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ एक वर्ष के प्रशिक्षण के अनुभव के साथ-साथ प्रवेश परीक्षा या योग्यता परीक्षा पास करने का भी प्रावधान बनाना चाहिये।

2. ऐसे व्यक्तियों को विधि व्यवसाय में प्रवेश के लिये प्रतिबन्ध लगाना चाहिये जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा भाग विभिन्न कार्यालयों एवं अन्य क्रिया कलापों में व्यतीत किया हो।

3. जो लोग विधि व्यवसाय में आना चाहते हैं, उनके लिये इण्टरमीडियेट के बाद पाँच वर्षीय विधि पाठ्यक्रम होना चाहिये। अन्तिम दो वर्ष या एक वर्ष न्यायालय के कार्यों के सम्बन्ध में व्यावहारिक ज्ञान पर केन्द्रित होगा किन्तु जो लोग विधि की पढ़ाई अपने ज्ञान के लिये करना चाहते हैं, उनके लिये स्नातक शिक्षा के पश्चात तीन वर्षीय पाठ्यक्रम होना चाहिये।

4. विधि पाठ्यक्रम के लिये सीट सीमित होने चाहिये और प्रवेश परीक्षा ही प्रवेश को सीमित करने का एकमात्र विकल्प है।

5. Legal fund should be created at Govt. Level so that like medical profession payment of stipend to the lawyers for the training period can be made by their seniors. It is expected that after five years they will become self supporting.

6. This can be inserted in S. 16 of Advocates Act that the senior advocate should have at least 20 years practice. Only those persons deserve to be appointed as senior advocates either in Civil Court or High Court, who have unblamished record of practice. Their conduct and behaviour inside and outside the court must have been exemplary, and who are approved by Full Court of the High Court and who have very good knowledge of interpretation of law and who possess a good oratory.

7. Strike should be defined as misconduct in Advocate Act.

8. If lawyers resolve to go on strike then it should be only done by secret ballot. Proper notice before any decision to go on strike should be given to members of Bar.

9. Provision of role of conduct of lawyers should be in Advocate Act, and the same should be maintained by the Bar Council.

10. A lawyer who goes on strike must return the fees to his client.

11. An agency should be created to solve the dispute between the Bench and Bar.

5. चिकित्सा व्यवसाय की तरह विधि व्यवसाय अपनाने वालों के लिये विधि फण्ड की व्यवस्था शासन स्तर पर होनी चाहिये। ताकि उनसे सम्बद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उनको प्रशिक्षण की अवधि में कुछ पारिश्रमिक दिया जा सके। ताकि ऐसी आशा हो सके कि पाँच वर्ष बाद वे अपने को स्वयं पोषित कर सके।

6. अधिवक्ता अधिनियम की धारा 16 में एक अन्य प्रावधान जोड़ा जा सकता है कि वरिष्ठ अधिवक्ता को लगभग बीस वर्ष की प्रैक्टिस होनी चाहिये। केवल उन्हीं व्यक्तियों को व्यवहार न्यायालय या उच्च न्यायालय का वरिष्ठ अधिवक्ता बनाना चाहिये जिनकी प्रैक्टिस के मध्य छवि स्वच्छ हो तथा जिनका आचरण न्यायालय के भीतर एवं बाहर, दोष रहित तथा अनुकरणीय हो तथा जो उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ द्वारा स्वीकार्य हों और जिनके पास विधि मीमांसा का अच्छा ज्ञान हो और जो अच्छे वक्ता हों।

7. हड़ताल को अधिवक्ता अधिनियम में दुराचरण परिभाषित करना चाहिये।

8. यदि अधिवक्ताओं को हड़ताल पर जाना है तो पहले बार के सदस्यों के मध्य गुप्त मतदान करा लेना चाहिये। हड़ताल पर जाने के निर्णय के पूर्व पर्याप्त सूचना बार के सदस्यों को देनी चाहिये।

9. अधिवक्ता अधिनियम में अधिवक्ताओं के आचरण से संबंधित प्रावधान होना चाहिये तथा ऐसा ही एक अधिलेख बार कौंसिल द्वारा रखा जाना चाहिये।

10. जो अधिवक्ता हड़ताल पर जा रहे हों उन्हें अपने वादकारी का शुल्क वापस कर देना चाहिये।

11. न्याय पीठ एवं अधिवक्ता के मध्य विवाद सुलझाने के लिये एक एजेन्सी का निर्माण होना चाहिये।

12. A scheme of group insurance for lawyers should be made.

13. Properly trained and experienced Judges having element of dedicated service should be elevated to the High Court and the Supreme Court.

14 Appointment of judges should be strictly on merit. If an objective evaluation of the categories of the work is done, District Judges are equally well suited to handle the work in the High Court. As such 50% judges of the High Court should be from amongst the District Judges. The High Court should exercise better and more effective and merit related control over the District Judiciary.

15 The constitution of the Bar Councils requires to be changed. The disciplinary committee should have nominated member also who is named by the Chief Justice if the Advocate concerned is ordinarily practicing in the High Court or by the District Judge of the District where the Advocate concerned might be practicing.

16 (1) In order to purify the administration of justice in the territories under various High Courts the Criminal Procedure Code and Civil Procedure Code should be amended so as to provide that:-

12. अधिवक्ताओं के लिये सामूहिक बीमा योजना के लिये प्रावधान होना चाहिये।

13. प्रशिक्षित एवं अनुभवी न्यायाधीश, जिनमें त्यागमय सेवा की भावना हो, उन्हें ही उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनाना चाहिये।

14. न्यायाधीश की नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर होनी चाहिये। यदि यथार्थनिष्ठ कार्यों का मूल्यांकन किया जाय, तो यह पाया जायेगा कि जिला जज उच्च न्यायालय का कार्य करने में पूर्णतयः सक्षम हैं। इस लिए पचास प्रतिशत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जिला न्यायाधीशों में से होनी चाहिये। उच्च न्यायालयों को और अधिक प्रभावी एवं गुणात्मक नियंत्रण, जिला न्यायपालिका पर रखनी चाहिये।

15. बार कौंसिल के गठन को बदलने की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ताओं के संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश तथा जिला स्तर पर प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ताओं के संदर्भ में जिला जज द्वारा नामित सदस्य भी अनुशासनात्मक समिति में सम्मिलित होने चाहिये।

16. विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकारों में न्याय प्रशासन को स्वच्छ रखने के लिये, व्यवहार एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता में इस प्रकार संशोधन होना चाहिये :–

a. Advocates, senior or junior, to be engaged by local bodies, Govt. or any instrumentality of Govt. such as nationalised banks, Govt. Companies as defined under the Companies Act, must be engaged only out of a list of three advocates (Senior or Junior as the case may be) to be selected by the High Court after calling applications from the lawyers.

b. No advocate who is not thus engaged out of the list mentioned under (a) above should be entitled to appear for the Govt. or any of its instrumentalities mentioned above.

17 to ensure security tenure and devotion to duties by lawyers engaged by local bodies, Govt. or any of its instrumentalities it should be provided that they shall be paid their fee in civil cases in accordance with the rules governing the taxation of costs with a reasonable higher minimum Rs. 500/- for suit of low valuation in civil matters and in criminal or other proceedings which do not require fixation of valuation (as in civil cases) there should be a fixed uniform fee (for senior or juniors as the case may be) and in case of non-payment of such fee to the lawyer within a month of submission of his bill, the amount of the bill drawn in accordance with the above provision, should be on application of the lawyer on a prescribed form be recoverable through the court concerned as land revenue paid to the lawyer.

अ- अधिवक्ता चाहे वह कनिष्ठ हो या वरिष्ठ जो भी स्थानीय निकायों द्वारा या सरकार या सरकारी उपक्रम जैसे राष्ट्रीय बैंक, शासकीय कंपनियां जो कि कम्पनी अधिनियम में परिभाषित हैं उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा तीन अधिवक्ताओं, वरिष्ठ या कनिष्ठ जैसा संदर्भ हो की एक सूची बनाकर उनमें से चयनित किया जाना चाहिये जिसके लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाये।

ब- यदि किसी अधिवक्ता का चयन (अ) में वर्णित सूची के अनुसार नहीं हुआ हो तो उसे सरकार या अन्य निकाय की तरफ से उपसंजात होने की अनुमति नहीं देनी चाहिये।

17. स्थानीय निकाय, सरकार या अन्य सरकारी उपक्रमों के लिये नियुक्त अधिवक्ताओं में अवधि एवं कर्तव्य बोध को सुनिश्चित करने के लिये यह व्यवस्था होनी चाहिये कि निष्पादन वादों में शुल्क का निर्धारण दीवानी वादों में प्रविधित नियमों के अनुसार होगा तथा कम मूल्य के वादों के प्रकरण में, उच्चतर सीमा कम से कम 500 रुपये, होनी चाहिये। फौजदारी या अन्य वादों में, जिनका मूल्यांकन दीवानी वादों की तरह नहीं किया जा सकता, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिवक्ताओं की फीस समान रूप से निश्चित होनी चाहिये। यदि उनके बिलों का भुगतान, जो नियमानुसार बनाये गये हों, बिल जमा करने के एक माह के भी न हो, तो निर्धारित आवेदन पत्र देने पर न्यायालय द्वारा, भूमि राजस्व के रूप में वसूल करके, अधिवक्ताओं को भुगतान कर देना चाहिये। खर्चों के कराधान के वर्तमान प्रावधान के अनुसार यदि मूलवाद में प्रतिनिधित्व करने वाला अधिवक्ता डिग्री पर आधारित निष्पादन वाद में प्रतिनिधित्व करता है तो उसके द्वारा कोई फीस अतिरिक्त नहीं ली जायेगी और इसके लिये कोई शुल्क का संदाय नहीं किया जायेगा। यह प्रावधान अत्यधिक असंगत है। सामान्य दीवानी वाद से अधिक मेहनत व समय, निष्पादन वाद एवं उससे सम्बन्धित व्यवहार प्रक्रिया संहिता के धारा 47 की आपत्ति पत्र के

The resent rules for taxation of costs provide that if the lawyer who appeared in the original case appears also in the execution proceedings based on the decree of that case no lawyer fee shall be charged or taxed in connection with the execution proceedings. This provision is extremely unreasonable. The work involved in execution proceedings with objection under section 47 C.P.c. and consequent appeal etc. in volves much more labour and trouble as compared to a regular civil suit. The lawyer must be paid separately for all such proceedings. Taxation of costs should be done in execution also in the same manner as in regular civil suit.

18. In Cr.P.C. and C.P.C. provisions are to be made for taking serious actions in the matter of filing of false petitions as well as wrong swearing of the affidavit, as well as for wrong verification of pleadings.

19. In C.P.C. in 0.7, R. 18 one provision may be added-

That when a suit is filed, it will be duty of plaintiff to serve a copy to defendant by registered post, and file a copy of acknowledgement along with affidavit. The court should wait for about one month, if in the mean time opposite party appears, the court shall fix up a date for filing the written statement by defendant and if after the expiry of

निस्तारण एवं उससे सम्बन्धित अपील में लगता है। अधिवक्ताओं को इन प्रकरणों के लिये अलग से फीस देनी चाहिये। नियमित व्यवहार वाद की तरह निष्पादन वाद में भी अलग से कराधान की व्यवस्था होनी चाहिये।

18. दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं व्यवहार प्रक्रिया संहिता में प्रावधान होना चाहिये ताकि मिथ्या याचिका प्रस्तुत करने वाले, असत्य हलफनामा प्रस्तुत करने वाले तथा दावे को गलत सत्यापित करने वाले के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा सके।

19. दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 18 में एक प्रावधान जोड़ा जा सकता है :-

जब कोई वाद दायर हो तो वादी का यह कर्तव्य है कि वह प्रतिवादी को रजिस्ट्री डाक द्वारा कापी भेजे तथा प्राप्ति की रसीद शपथ पत्र के साथ संलग्न करे। न्यायालय को एक माह तक प्रतीक्षा करनी चाहिये। यदि प्रतिवादी उस समय तक उपस्थित हो जाये तो न्यायालय लिखित कथन के लिये तिथि तय कर दे तथा यदि समय अवधि बीतने के बाद भी पक्ष उपस्थित न हो तो न्यायालय अपने विवेकाधिकार के अनुसार उचित आदेश पारित कर सकता है या प्रकरण का निस्तारण एक-पक्षीय कर सकता है।

the term such party is not present the court may make such order as it thinks just, or may decide the case exparte.

20. There should be uniformity in judgments. Judges should fix some standard of granting relief in identical or similar cases.

21. There should be reservation for women in judicial appointments so as to enhance their representation in Bench. Women prove better judges due to their skill in making adjustments in adverse situation. Their sound temperament may be helpful in bringing cordial relations between the Bar and Bench.

22. There is need to implement a code of conduct for regulating court room behaviour of Bar and the Bench.

23. Whenever the case of involvement of a member of the Bar with a judge in corrrupt practice is even whispered, the Bar Council and the Bar Association should take up the matter. The procedure should not be cumbersome.

24. There should be a board or a committee or a similar such institution made by representative of the Bench and the Bar and of the Govt. if necessary to settle disputes of the Bar.

20. निर्णयों में एक रूपता होनी चाहिये। न्यायाधीशों द्वारा समान या मिलते जुलते प्रकरणों में अनुतोष देने का एक मानक निश्चित करना चाहिये।

21. पीठ में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिये, न्यायिक नियुक्तियों में महिलाओं का भी आरक्षण होना चाहिये। प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने को समायोजित करने के गुण के कारण, महिलायें अधिक उपयुक्त न्यायाधीश सिद्ध होंगी। न्याय पीठ एवं बार के सदस्यों के मध्य सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रखने में, उनके गहन व्यवहार से सहायता प्राप्त होगी।

22. न्यायालय कक्ष में व्यवहार हेतु एक आचरण संहिता न्याय पीठ एवं बार दोनों के लिये बनायी जानी चाहिये।

23. जब कभी बार के किसी सदस्य का न्याय पीठ के किसी सदस्य के भ्रष्ट आचरण की भनक भी लगे, बार कौंसिल एवं बार संघ को इसको संदर्भित करना चाहिये किन्तु प्रक्रिया दुरूह न हो।

24. बार के विवाद के निस्तारणार्थ, यदि आवश्यक हो, न्याय पीठ, बार तथा सरकार के प्रतिनिधियों का एक बोर्ड या कमेटी या इसी प्रकार की संस्था बनायी जानी चाहिये।

25. Adjournment of case at the request of the advocate of the party having obtained a stay order or injunction in its favour should be avoided except in very very exceptional cases.

26. A rule should be made that after three adjournments a case shall not be adjourned at any cost. If a lawyer is not willing to appear after the third adjournment, he should tell his client to make some other arrangement and the lawyers should also returen the fee. There should be no appeal against adjournment in next higher court on this issue.

27. A list of cases pending for more than five years should be prepared and every week two days should be allotted for deciding these cases. There should be constant monitoring so that the old cases do not get rendered unnoticed. In every court one week before each of the vacation like Dussehra or Summer Vacation, only old cases be listed, and every conscious effort should be made to decide these old cases.

28. Time limit should be fixed for similar type of cases, for e.g. if there is suit for rent, suit for eviction, recovery of arrear, there should be a time limit that every rent cases and suit for eviction will be decided within three years. Suit for eviction shall be decided within two years, so that the litigant will not suffer. There should b e only two dates of issuing notice

25. अपने पक्ष में स्थगन आदेश या निषेधाज्ञा प्राप्त कर लेने वाले पक्षकार के अधिवक्ता द्वारा, प्रकरण के स्थगन के आवेदन को, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, स्वीकार नहीं करना चाहिये।

26. ऐसा प्रावधान बनाया जाना चाहिये कि तीन स्थगन के बाद कोई भी वाद स्थगित नहीं किया जावेगा। जो अधिवक्ता तीन स्थगन के बाद भी उपस्थित होने में असमर्थ है, उसे अपने कक्षीकार को स्पष्ट रूप से बता देना चाहिये कि वह कोई अन्य प्रबन्ध कर ले तथा अधिवक्ता को उसकी फीस वापस कर देनी चाहिये। इस स्थगन के विरुद्ध उच्च अदालत में कोई अपील नहीं होने का प्रावधान बनाया जाय।

27. जो वाद पाँच साल से अधिक अवधि से लम्बित हैं उनकी एक सूची तैयार करना चाहिये और हर सप्ताह में दो दिन ऐसे वादों को निस्तारित करने के लिये रखना चाहिये। उन सब पर निगरानी रखनी चाहिये ताकि पुराने केस छूट न जावे। दशहरा या ग्रीष्म कालीन अवकाश के एक सप्ताह पूर्व से ही प्रत्येक न्यायालय में केवल पुराने वादों को ही लेना चाहिये और हर प्रयास करना चाहिये कि वे पुराने मुकदमे निपट जाय।

28. समरूप वाद जैसे बेदखली वाद या किराया वसूली वाद के निस्तारण का समय सीमा बाँध देनी चाहिये। जैसे यह निश्चित हो जाय कि किराया वसूली के वाद का निस्तारण तीन वर्ष में हो जावेगा। बेदखली का वाद दो वर्ष में निस्तारित हो जावेगा। ऐसा करने से वादकारी का अहित नहीं होगा। सूचना निर्गत होने के लिये मात्र दो तिथि दिये जावे और इसके पश्चात् उभयपक्ष अपने अपने साक्ष्य देंगे और गुण-दोष के आधार प्रकरण का निर्णय हो जावेगा। इस प्रक्रिया के अपनाने से दुरूहता कम हो जावेगी और न्यायालय सुचारु रूप से कार्य कर सकेगी।

and after that both parties should produce its evidence and case should be decided on its merit. Adopting this procedure the burden of case will be smooth and court work will proceed speedily.

29. The presiding officers should be so well equipped and efficient that they are able to control the proceedings and time is not wasted due to lawyers and clients tactics.

30. Judges and lawyers should understand and appreciate that cases are instituted for being decided and not for gathering dust in record room. A time limit should be set down for each case to be decided and so the use of computers is necessary. There should be constant watch and monitoring over the progress in order to avoid delay. Limited case should be listed in Cause list.

31. Government is the biggest litigant and it should have a forum or committee which should scrutinise the merits of the case, and the cases that cannot be defended on merits should accordingly be suggested with a recommendation to the Government. Invariably, the govt. should accept the recommendation. This will avoid unnecessary harassment to the other party, reduce the number of cases in courts and public money would also not be wasted by unnecessary contest of cases.

29. पीठासीन अधिकारी अपने को इस प्रकार सुसज्जित एवं योग्य बनावें कि वह अपने न्यायालय में वादों को नियंत्रित कर सकें और अधिवक्ताओं एवं वादकारियों के विलम्ब प्रक्रिया के कारण, समय बर्बाद न हो।

30. न्यायाधीश व अधिवक्ता दोनों को ही यह समझना चाहिये कि वाद निर्णीत करने के लिये दायर किये गये हैं न कि अभिलेख कक्ष में धूल इकट्ठा करने के लिये। हर वाद के निर्णीत होने के लिये समय सीमा निर्धारित कर देनी चाहिये। इस दिशा में कम्प्यूटर का प्रयोग सहायक सिद्ध हो सकता है। वादों के निस्तारण की प्रगति पर अनवरत ध्यान रखना चाहिये ताकि विलम्ब से बचा जा सके। न्यायालयों में प्रतिदिन लगाये जाने वाले वादों की संख्या सीमित होनी चाहिये।

31. सरकार सबसे बड़ी वादकारी है और इसमें एक फोरम या कमेटी होनी चाहिये, जिनके द्वारा वादों के गुण-दोष का मूल्यांकन हो और यदि किसी मुकदमें में सरकार का पक्ष मजबूत न हो तो सरकार को वथा न लड़ने हेतु संस्तुति किया जा सके और उसी स्थिति में, सरकार कमेटी के उस संस्तुति को मानने को बाध्य हो। इससे दूसरे पक्ष को अनावश्यक परेशानी नहीं होगी, न्यायालयों में मुकदमें की संख्या कम होगी और जनता का धन बर्बाद नहीं होगा।

The committee which may be called upon to take a decision without contesting a case should also have members of the judiciary.

The Government should also be prepared to have some dispute settled through arbitration or accept decision of a mutually agreed judge nearing retirement. Efforts should be made to settle a matter out of court also.

कमेटी जो मुकदमें न लड़ने का निश्चय ले, उस कमेटी में न्यायपालिका का भी एक सदस्य होना चाहिये। सरकार को कुछ विवाद मध्यस्थता द्वारा तय करना चाहिये या उभय पक्षों की स्वीकृति के आधार पर तय किये गये, सेवा निवृति अवधि के समीपवर्ती न्यायाधीश द्वारा दिये गये निर्णय को भी सरकार को स्वीकार करना चाहिये। न्यायालय के बाहर भी मामले को तय करने का प्रयास करना चाहिये।